खण्ड-326, अंक-9
सोमवार, 21 भाद्रपद, शक संवत् 1899
(12 सितम्बर, 1977 ई0)

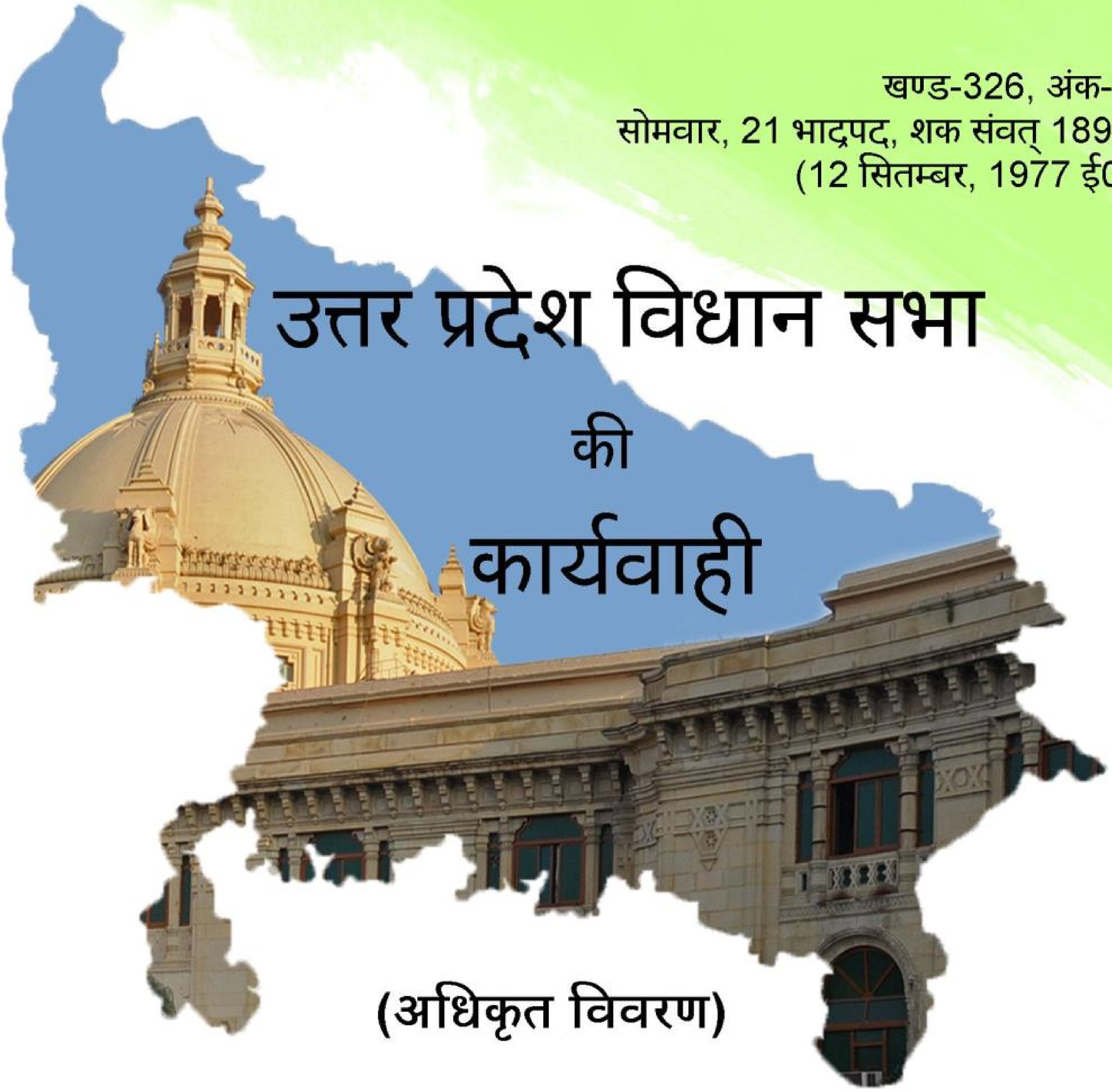

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 326 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	797–801
श्री अध्यक्ष की अनुपस्थिति की सूचना	801
प्रश्नोत्तर	802–825
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	825–826
परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल एवं एक परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक की सिविल अस्पताल, लखनऊ में मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	826
लखनऊ नगर में हैजे के प्रकोप के विषय को सदन के संज्ञान में लाना ..	826–827
प्रदेश के गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा क्रमिक भूख-हड़ताल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	827
शिक्षक नेता स्वर्गीय श्री कामता प्रसाद शास्त्री की हत्या के परिणामस्वरूप छात्रों द्वारा प्रदर्शन व पुलिस की निष्क्रियता के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	828–832
शासन के कुछ विभागों में इन्दिरा सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रमों का प्रचार जारी रखने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना	832–833
सदन के संज्ञान में लाई जाने वाली परस्पर विरोधी सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	833–834
दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 29 का गलत उत्तर दिए जाने के सम्बन्ध में दोषी पाए गए अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना	835
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 (पुरःस्थापित किया गया)	836
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) बिधेयक, 1977 (पुरःस्थापित किया गया)	836
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	836–837
फैजाबाद मण्डल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आयोग गठित करने के सम्बन्ध में संकल्प (विचारोपरान्त वापस) ..	837–866
सहकारी समितियों के कार्यकलाप तथा उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अक्षमता की जांच करने एवं पुनर्गठन के सम्बन्ध में संकल्प (विचारोपरान्त वापस) ..	866–885

विषय	पृष्ठ संख्या
सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का स्थानान्तरण एवं नियुक्ति सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में संकल्प (चर्चा जारी)	885–888
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	888
उन्नाव के थाना पुरवा के अन्तर्गत ग्राम बेहटा सुभारी मजरा भीखमपुर में 3 हरिजनों को भूमि विवाद के कारण गोली से मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	888–892
हरित इंन्डिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्धकों एवं प्रदर्शनकारी मजदूरों के संघर्ष में दो व्यक्तियों के मरने तथा कुछ व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	893–902
नत्थी	903–905

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, 12 सितम्बर, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 332

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठईराम, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नारायण, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
आबिद अली यादव, श्री
इन्द्रमणि बड़ौनी, श्री
इसमांईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नरायन, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राईस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
किशन लाल, श्री
किसन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्रा, श्री
कृष्ण कुमार पाठीवाल, श्री
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोण्डा)
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा 'अरविन्द', श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज", श्री
बाल कृष्ण, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृजलाल, श्री
बेचूराम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणवीत सिंह 'जूदेव', श्री

रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रताप शास्त्री, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री (जिला एटा)
राम सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिचरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम चन्द तिवारी, श्री
हेम राज, श्री

नोट—मुख्य मन्त्री, श्री राम नरेश यादव भी सदन में उपस्थित थे ।

श्री अध्यक्ष की अनुपस्थिति की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों को सूचना देनी है कि अध्यक्ष जी यहां लखनऊ में आज नहीं हैं, कल रहेंगे ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, कांग्रेस के लोगों ने बहिष्कार किया है, आप यहां पर हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

कांग्रेस की हैसियत से यहां पर नहीं हूं । मैं अधिष्ठाता हूं ।

उत्तर प्रदेश सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 12 सितम्बर, 1977

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शारदा नहर की हरदोई ब्रांच के बन्द किए जाने से प्रभावित कतिपय जिले

**1—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह जानकारी है कि शारदा नहर की मुख्य ब्रांच खीरी लखीमपुर से सम्बन्धित सभी नहरें बन्द कर दी गयी हैं जिससे हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, उन्नाव, लखनऊ तथा रायबरेली आदि अनेक जिलों में बड़ी धान की लहलहाती फसल के चौपट हो जाने की आशंका है ? यदि हां, तो उक्त नहरों में कब तक पानी छोड़ा जायगा ?

सिंचाई उप मन्त्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)—

शारदा मुख्य नहर से निकलने वाली खीरी ब्रान्च बन्द नहीं है। शारदा मुख्य नहर से निकलने वाली हरदोई ब्रांच के मील 21—6 के फाल-कम-ब्रिज के तीन दर दिनांक 25/26 अगस्त, 1977 की रात्रि को क्षतिग्रस्त हो गए। इस भाग की अस्थायी मरम्मत करने हेतु हरदोई ब्रांच को हेड से बन्द करना पड़ा जिससे सिंचाई हरदोई ब्रांच व उससे निकलने वाली नहरें जिनसे मुख्यतः हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर एवं जौनपुर जिलों में सिंचाई होती है, प्रभावित हुई परन्तु अभी तक किसी फसल के नुकसान होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

हरदोई ब्रांच में पानी दिनांक 6 सितम्बर, 1977 को छोड़ दिया गया है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं मन्त्री जी को यह जानकारी देना चाहूंगा, जहां तक मुझे जानकारी है कि अधिकारियों ने मन्त्री जी को गुमराह किया है, अभी तक नहरों में पानी नहीं आ सका है।

श्री अधिष्ठाता—

जानकारी आप न दें; प्रश्न करें।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इसकी वह जांच करवायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

किस सम्बन्ध में जांच करवाना चाहते हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

मान्यवर, पानी अभी तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, इसकी सूचना शासन को अगस्त में प्राप्त हुई है कि इस तरह की घटना हो गयी है और उसके बाद आदेश दे दिया गया। जैसा कि अभी प्रश्न के उत्तर में बताया गया था, 6 तारीख को पानी जारी हो गया है। इसके बाद अगर कोई घटना

हो गयी है तो उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं स्वयं 5 तारीख को वहां गया था, अपने आप देखकर आया था, आदेश देकर आया था कि जल्द से जल्द पानी चला दिया जाय। तार के जरिए से मुझको सूचना मिली कि 6 तारीख को पानी चला दिया गया है। इसके बाद कोई घटना हुई हो, तो मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, एक तरफ तो जैसा कि स्पष्ट है कि सभी नहरें बन्द कर दी गई हैं, पानी ज्यादा हो गया है,जैसा कि उत्तर से सम्बन्धित हैऔर दूसरी तरफ शारदा नदी में बाढ़ इतनी ज्यादा आ गयी है जिससे कि भयंकर हानि हो रही है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा, क्या यह सच नहीं है कि शारदा नदी में भयंकर बाढ़ आ जाने के कारण क्षति हो रही है और पानी बहुत ज्यादा है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, जैसा कि उत्तर में निवेदन किया गया है, नहर क्षतिग्रस्त नहीं हुई है, बल्कि जहां पर उसका स्लोप है, जहां पर पानी तेजी से गिरता है, एक-डेढ़ फीट का गढ़ा है, नहर की चौड़ाई 200 फीट है, 70 फीट दर टूट कर गिर गई है, जो 1926 की बनी हुई है, इससे हमको नहर को बन्द करना पड़ा। जो मुख्य नहर है, जो प्रश्न में है खीरी ब्रांच की नहीं है, बल्कि हरदोई ब्रांच को बन्द करना पड़ा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, उससे जो नुकसान फसलों को हुआ है, उसकी जांच अपने विभाग द्वारा करा कर, जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने स्वयं जाकर देखा, उस वक्त काफी वर्षा हो रही थी, धान की फसल में कोई नुकसान नहीं हुआ है। बारिश की रिपोर्ट भी हमने मंगाई है। इन दिनों में जब से नहर बन्द हुई 27 अगस्त से और 6 सितम्बर तक, उसमें कितनी-कितनी वर्षा हुई है, यह मैं निवेदन कर दूं। यह खीरी ब्रांच जो है उसमें खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, इनकी सिंचाई होती है। खीरी जिले में 103.2 सेंटीमीटर, सीतापुर में 99.1 से0 मी0 बरसात हुई है, बाराबंकी में वाकई कम बरसात हुई है। लखनऊ में 48.5 से0मी0, हरदोई में 101.6 से0 मी0, उन्नाव में 34, रायबरेली में 7.4 से0मी0 बरसात हुई है। प्रतापगढ़ में कम हुई है। सुल्तानपुर में 16 से0मी0, जौनपुर में 58 से0मी0 बरसात हुई है। इसके अलावा जब मैं वहां गया तो मैंने जानकारी की और किसानों से और डी0एम0 से बात करने से पता चला कि नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उसकी जांच की मैं समझता हूं कि जरूरत नहीं है कि क्या और जांच कराऊं ? आगे जब कोई सवाल पैदा होगा तो कराऊंगा।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वहां पानी न पहुंचने से नुकसान हुआ। लेकिन यहां पानी बाढ़ का पहुंचा है, तो उससे कितना नुकसान हुआ ? इस नदी में जो बाढ़ आई है, उससे कितना नुकसान पहुंचा ?

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रश्न बाढ़ का नहीं है ।

श्री राम दत्त जोशी--

पानी न पहुंचने से नहीं बल्कि पानी ज्यादा पहुंचने से वहां नुकसान हुआ है ?

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रश्न सीमित है कि नहर में पानी न आने से कितना नुकसान हुआ । इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि फाल गिर गया था, उससे नहर को बन्द कर दिया गया था । तो फाल का सुपरविजन करने का काम किसका था ? उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे, जिसने फाल गिरने तक उसकी मरम्मत का काम नहीं किया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, मैंने पहले निवेदन किया कि 1926 में जब नहर बनी थी तब फाल बना था । पुराना होने के कारण टूट गया, तो अधिकारी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो बरसात के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, वह किस-किस तहसील के आंकड़े हैं ? और इनको किस आधार पर इकट्ठा किया गया है ?

श्री बलवीर सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, यह जिले के आंकड़े हैं । इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में जो रिपोर्ट आती है, वही इसका आधार है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने बताया कि फाल पुराना था गिर गया इसलिए अधिकारी का दोष नहीं है । मन्त्री जी को कब जानकारी हुई कि फाल पुराना था ?

श्री बलवीर सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, इसकी जानकारी के लिए, क्या कारण हुए कि यह फाल गिर गया, फाल गिरा इसके लिए एक जांच समिति बना दी गयी है । 13 आदमी इसमें रखे गए हैं । इसमें इस बात की जांच होगी कि क्या कारण थे ? जहां तक इसके गिरने का सम्बन्ध है, यह तो गिरने पर पता चला कि गिर गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

एक व्यवस्था का सवाल है ?

श्री अधिष्ठाता--

इसमें क्या व्यवस्था का सवाल है ?

श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)--

मान्यवर, फाल गिर गया, इस बीच में नहर बन्द करनी पड़ी। हो सकता है कि आगे भी नहर बन्द करने की आवश्यकता पड़े। तो जब तक धान की फसल तैयार न हो जाय, अक्तूबर तक इस नहर को बन्द न करने पर विचार करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

यह तो काल्पनिक प्रश्न है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

मान्यवर, रियासत हुसैन जी ने प्रश्न किया है, हरदोई के सम्बन्ध में, फाल को जो बन्द करना पड़ा उससे हरदोई को कितना नुकसान हुआ ? मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, जो आंकड़े दिए हैं, यह दूसरे जिलों के बारे में हैं।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं हरदोई के बारें में कि जहां पानी जाना चाहिए था और बन्द हो गया। वहां पानी बरसा है कि नहीं इसकी आपके पास क्या सूचना है ?

श्री बलवीर सिंह--

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हरदोई में 101.6 सेन्टीमीटर पानी बरसा है।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, मन्त्री जी ने दो उत्तर दिए एक तो यह कि फाल पुराना था और दूसरा यह कि कमेटी बिठा दी गयी है कि वह जांच करेगी कि फाल कैसे गिरा ? तो मैं मान्यवर, जानना चाहता हूं कि इन दोनों उत्तरों में से कौन सही है ?

श्री बलवीर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, दोनों ही सही हैं। इसमें मुझे तो कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता है।

तारांकित प्रश्न

आगरा रीजन में परिवहन विभाग के कर्मचारियों की नसबन्दी के कारण कथित सेवा समाप्ति

*1--श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को पता है कि सन् 1975-76 में आगरा रीजन के परिवहन विभाग में काफी कर्मचारियों को नसबन्दी कराने के आदेश दिए गए और उसका परिपालन न करने के कारण उन्हें नौकरी से हटा दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कर्मचारियों को नौकरी पर वापिस लेने के आदेश दिए हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)--

हां, नसबन्दी कराने के आदेश दिए गए थे, किन्तु नसबन्दी न कराने के कारण परिवहन विभाग में किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाया गया।

जिला सहकारी बैंक लि०, झांसी में हरिजन कर्मचारियों का कोटा

*2—श्री प्रेम नारायण अहेरवार (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लि0, झांसी में कितने कर्मचारी हैं और उसमें हरिजन कितने हैं ? यदि हरिजन कम हैं तो उनका कोटा पूरा करने की कृपा करेंगे ?

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

जिला सहकारी बैंक लि0,झांसी में कुल 93 कर्मचारी हैं,इनमें 4 हरिजन हैं। हरिजन कर्मचारियों के कोटे की पूर्ति आगामी रिक्तियों में बैंक द्वारा सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के माध्यम से चयन कराकर पूरी की जायगी।

*3—श्री विद्या शंकर पाण्डेय—

[परिवहन निगम से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त।]

दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, जिला वाराणसी पर बकाया गन्ना मूल्य

*4—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दि काशी सहकारी चीनी मिल औराई, जिला वाराणसी के द्वारा किसानों के गन्ना का भुगतान 1976–77 का नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो कुल बकाया धनराशि क्या है और कब तक यह धन भुगतान कर दिया जाएगा ?

स्वायत्त शासन उप मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश)—

दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई ने सीजन 1976–77 में 107.22 लाख रुपए मूल्य का गन्ना क्रय किया था जिसमें से 15 अगस्त, 1977 तक 103.04 लाख रुपए का भुगतान किसानों को कर दिया गया है और अब केवल 4.18 लाख रुपया भुगतान हेतु अवशेष है ?

इस बकाया के भुगतान हेतु प्रयास जारी है और उसके आगामी पेराई सीजन में भुगतान हो जाने की आशा है।

श्री अठई राम—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो 4.18 लाख रुपया मिल पर बकाया है, तो वह किसानों को परेशान करने के लिए बकाया रखा गया है ? क्या मन्त्री जी किसानों को, उसके सूद का रुपया दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, परेशान करने की कोई भावना नहीं है क्योंकि 107 लाख रु0 में से 103 लाख रुपए तो अदा कर दिया गया है और जो 4 लाख रुपया बाकी है वह शीघ्र से शीघ्र अदा कर दिया जायगा जैसाकि मैंने कहा। इसके अतिरिक्त मैं समझता हूं कि जैसे ही सीजन शुरू होगा, पेमेन्ट कर दिया जायगा।

श्री अठई राम—

मान्यवर, यदि सरकार से किसान कर्ज ले तो सूद लगाया जाता है लेकिन किसान मेहनत करके गन्ना मिल को दे और उसका 10 साल तक रुपया न पावे, न उसको आने-

जाने का किराया दिया जाय और न सूद दिया जाय, तो मेरा प्रश्न है कि उन किसानों को सूद सहित बकाए का रुपया सरकार क्या अदा करायेगी ?

श्री सत्य प्रकाश--

मान्यवर, नियमानुसार अवश्य रुपया अदा किया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)--

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो एक वर्ष का विलम्ब भुगतान में हो गया है, तो उसके कारण कौन रहे हैं ? क्या सरकार इस विलम्ब का ब्याज भी देगी ?

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रश्न पहले आ चुका है इसलिए अब नहीं उठता है ।

श्री अठई राम--

मान्यवर, साल भर से पैसा प ा है, तो इसका सूद देने की व्यवस्था क्या सरकार करायेगी ?

श्री अधिष्ठाता--

मूल प्रश्न का जो उत्तर दिया उसके पहले भाग में इसका उत्तर है । जो अनुपूरक उत्तर दिया, उसमें भी है । उन्होंने कहा मेरा ऐसा विचार है सूद के बारे में, नियमानुसार कहा है । यह उनको तय करना होगा और उनको बताना होगा ।

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)--

सूचना देने का विचार है इस तरह की बात माननीय मन्त्री जी ने नहीं कही ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्रयास किया जा रहा है । क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट करेंगे कि इस 4 लाख 18 हजार की अदायगी मय सूद के होगी जैसा कि मुख्य मन्त्री जी ने कहा और सदन में घोषणा हो चुकी है पहले कि किसानों का जो रुपया रह जायगा, वह मय सूद के दिया जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश--

मान्यवर, ब्याज के सम्बन्ध में सदस्यों ने पूछा है । नियमानुसार 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है, वह दिया जायगा । ब्याज सहित इसका भुगतान होगा । अभी तक गन्ना समिति ने ब्याज की धनराशि कितनी है, यह नहीं बताया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सवाल भुगतान का पैदा हुआ है, यह सवाल प्रदेश की तमाम फैक्ट्रियों में है । हमारे यहां घुघली और सिसवा में है, तो क्या मन्त्री जी सभी फैक्ट्रियों में किसानों का रुपया बकाया है, उसके भुगतान का आश्वासन देंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

इसको व्यापक न बनाइए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं सिद्धान्त की बात कह रहा हूं। यह एक ही फैक्टरी की बात नहीं है, तमाम फैक्ट्रियों में बकाया है, तो क्या मन्त्री जी कोई घोषणा करेंगे कि सभी जगह भुगतान की क्या नीति होगी और कब तक भुगतान करा दिया जायगा ?

श्री सत्य प्रकाश—

यह जो प्रश्न है, केवल काशी सहकारी मिल, औराई जिला वाराणसी के बारे में है। इस सम्बन्ध में ही उत्तर दिया गया है। और मिलों के बारे में अलग-अलग यदि माननीय सदस्य बतायेंगे तो उसका उत्तर दिया जायगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस 4 लाख 18 हजार के बकाए रहने के क्या कारण हैं और क्या इसके वसूली यानी रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए गए या नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया जो मेजर पेमेन्ट है, वह हो चुका है। यह जो बाकी रह गया, इसका कारण यह है कि चीनी मिल जहां लगी है वहां यह आशा थी कि काफी अधिक गन्ना मिल सकेगा, लेकिन बहुत कम गन्ना मिला। इसलिए यह मिल लगातार घाटे में चल रही है और इसको अब तक 1 करोड़ 68 लाख का घाटा हो चुका है। इसी कारण पेमेंट में थोड़ी सी कठिनाई आई। जैसे ही नया सीजन शुरू होगा जनवरी, 1978 के शुरू में सारा पैसा भुगतान करा दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

दूसरा हिस्सा प्रश्न का यह था कि रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुए या नहीं ?

श्री सत्य प्रकाश—

इसके लिए सूचना मंगानी पड़ेगी।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

औराई क्षेत्र में जिसकी चर्चा हो रही है, वहां पर लैण्ड मार्गेज बैंक के बकाए के लिए लोगों को हवालात भेजा जा रहा है जबकि किसानों का पैसा इस मिल पर बाकी है। क्या माननीय मन्त्री जी ऐसे आदेश करेंगे कि उन किसानों की वसूली रोक दी जाय और उनका रुपए के भुगतान शीघ्र कराने की कृपा करें ? कब तक भुगतान करा देंगे, इसकी तारीख बताने की कृपा करें ?

श्री सत्य प्रकाश—

तिथि के बारे में जहां तक प्रश्न है, तो मैंने पहले ही कहा कि जनवरी, 1978 तक प्रयास करेंगे कि भुगतान हो जाय। जहां तक और रिकवरीज हैं, उनके बारे में शासन विचार करेगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, क्या यह सत्य है कि 1975–76 में 1.41 लाख बकाया है और 1976-77 में 3.09 लाख का बकाया है ? यदि हां, तो जो 1975-76 में 1.41 लाख बकाया है, उसका भुगतान अब तक क्यों नहीं किया गया ?

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न तो 1976–77 के सम्बन्ध में था. . .

श्री ऊदल—

मैं पूछ रहा हूं कि 1975–76 में भी एक लाख से ऊपर बकाया है इस मिल के ऊपर और 1976–77 में 3.09 लाख है। क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले बकाये का भुगतान अब तक क्यों नहीं किया ?

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, मैंने तो यह 1976–77 के बारे में आपको सूचना प्रस्तुत की है। अन्य वर्षों के बारे में सूचना चाहेंगे, तो मंगानी पड़ेगी।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ऊदल जी केवल एक ही प्रश्न. . .

श्री ऊदल—

मान्यवर, दूसरा पूछ रहा हूं। माननीय मन्त्री जी ने कहा चार लाख अट्ठारह हजार बकाया है ? सरकार के द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक चार लाख पचास हजार बकाया है। इनमें से कौन सी बात सही है ?

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, जो मेरे पास धनराशि बकाया है उसमें यह चार लाख अट्ठारह हजार रुपए भुगतान हेतु अवशेष हैं, यह सत्य है और आपकी सूचना के बारे में. . . .

(व्यवधान)

(श्री राजेन्द्र कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैंने भी इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न किया है। अतारांकित प्रश्न संख्या 4। एजेंडे में है। इसका मूल विवरण दिया है. . .

श्री अधिष्ठाता—

एक ही उपाय है। यदि आप असंतुष्ट हैं, तो आप या तो अलग से सूचना दें या आधे घंटे की चर्चा की नोटिस दें।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो अगला सीजन प्रारम्भ होने वाला है, उसके पहले ही काश्तकारों को बकाया रुपया मिल जाय ?

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, मैं उत्तर दे चुका हूं. . .

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मन्त्री जी ने 1978 की बात कही है। अभी सीजन आरम्भ होने वाला है, उसके पहले क्यों न दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी क्या इसका उत्तर दे सकेंगे कि इस महीने तक दे सकेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, मैंने कहा है कि जनवरी, 1978 तक भुगतान करने का प्रयास किया जायगा।

गोण्डा जिले के साधन सहकारी समिति लि०, हरसिंहपुर द्वारा गोदाम का निर्माण एवं सीमेन्ट का कथित ब्लैक

*5—श्री दीप नरायन (जिला गोण्डा)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8 जुलाई, 1977 को गोण्डा जिले में विकास खण्ड हलधर मऊ में साधन सहकारी समिति, हरसिंगपुर में बन रहे साधन सहकारी समिति के कार्यालय व गोदाम की 100बोरी सीमेन्ट बेची गयी। जिसकी शिकायत रामजीत सिंह व सरदार सिंह ने की तथा गोण्डा के संसद सदस्य व एक विधायक ने जांच करने की संस्तुति सहायक निबन्धक से की ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

साधन सहकारी समिति लि0, हरसिंहपुर के हडियागाढ़ा स्थान में बन रहे ग्रामीण गोदाम की 100 बोरी सीमेन्ट ब्लैक करने के सम्बन्ध में प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 8 जुलाई, 1977 को प्राप्त हुआ जिसकी जांच सहायक निबन्धक, गोण्डा ने अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, गोण्डा से कराई। जांच में उक्त आरोप निराधार पाया गया। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री दीप नरायन—

क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिकायतकर्ता रामजीत सिंह और सरदार सिंह के बयान जांच अधिकारी ने लिए हैं या नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उनके बयान लिये गये हैं।

श्री दीप नरायन—

क्या उस बयान को सदन के पटल पर मन्त्री जी रख सकेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव—

बहुत लम्बा बयान है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो पढ़ दूंगा।

श्री दीप नरायन—

मेरी सूचना यह है कि इन दोनों आदमियों ने अपने बयान नहीं दिए हैं और बयान फर्जी हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए अगर उनको सन्तोष नहीं है, तो मैं फिर से जांच करा लूंगा पी0 डब्ल्यू0 डी0 के इंजीनियर को भेज कर।

श्री दीप नरायन--

इन लोगों ने क्या बयान दिया क्या मन्त्री महोदय उसे संक्षेप में बतलायेंगे और सीमेन्ट तथा बालू के मिश्रण का क्या अनुपात है, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जांच करा लूंगा।

श्री रियासत हुसैन--

अगर दुबारा जांच में यह सिद्ध हुआ कि जो बयान लिए गए हैं, वे फर्जी हैं, तो क्या इस सदन को माननीय मन्त्री जी यह आश्वासन देंगे कि जिन अधिकारियों ने जांच की है, उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री अधिष्ठाता--

पहले निर्णय आ जाने दीजिए।

श्री रियासत हुसैन--

यह गम्भीर मामला है--बयान नहीं हुए हैं।

श्री अधिष्ठाता--

यह काल्पनिक प्रश्न है। पहले वह बात आ जाने दीजिए तब पूछिएगा क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन--

दीप नरायन जी का यह कहना है कि ये बयान फर्जी हैं और माननीय मन्त्री जी यह कह रहे हैं कि हम दुबारा जांच करा लेंगे, तो दुबारा जांच में अगर यह सिद्ध हो गया कि बयान फर्जी बनाए गए थे, तो क्या इन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री अधिष्ठाता--

जांच होने वाली है तो उस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय आज कैसे निर्णय दे दें ? निर्णय तभी हो सकेगा जब रिपोर्ट आ जाय। उस समय कार्यवाही न करें, तो आपको अधिकार होगा कि आप तब पूछतांछ करें, इस समय कैसे यह सवाल पूछ सकते हैं ?

श्री सुखपाल पाण्डेय--

शिकायत दो व्यक्तियों ने की थी और उस पर संसद सदस्य तथा एक विधायक ने संस्तुति की थी, तो जांच के समय किस-किस के बयान लिए गए और जिन अधिकारियों ने जांच की क्या उन्होंने माननीय विधायक तथा संसद सदस्य से भी सम्पर्क स्थापित किया था ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैंने बतलाया यह पूरी रिपोर्ट है, जांच की। संसद सदस्य श्री सत्य देव की संस्तुति थी, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया, अन्य लोगों से पूछा गया था।

श्री अधिष्ठाता--

विधायक से पूछा गया या नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विधायक की संस्तुति नहीं है। लोक सभा सदस्य श्री सत्य देव की संस्तुति है।

श्री अधिष्ठाता--

आप प्रश्न देखें उसमें लिखा है, "जिसकी शिकायत रामजीत सिंह व सरदार सिंह ने की तथा गोन्डा के संसद सदस्य व एक विधायक ने जांच करने की संस्तुति सहायक निबन्धक से की ।" अब अगर यह बात सही है तो विधायक और संसद सदस्य से पूछा गया या नहीं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

श्री जगन्नाथ प्रसाद--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच किस अधिकारी ने की ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

डी० सी० ओ० से।

श्री दीप नरायन--

यह जो मन्त्री जी ने जांच करवाने को कहा है यह कब तक करवायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

शीघ्र ही करवायेंगे।

श्री दीप नरायन--

एक महीना, दो महीने या कितने दिन में ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

एक महीने में।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया आपस में उत्तर प्रत्युतर न करें। जब मैं कहूं तब माननीय सदस्य उठें और जब मैं कहूं तब मन्त्री जी उत्तर दें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब संस्तुतिकर्ता से पूछा भी नहीं गया, जिसमें संसद सदस्य तथा विधायक हैं और जांच के सम्बन्ध में भी जानकारी संक्षिप्त में नहीं दी जा रही है। इसका क्या कारण है जिसकी शिकायत सरदार सिंह तथा रामजीत सिंह ने की ? यह गम्भीर मामला है, इसमें आपने अपनी क्या आख्या दी है ? दुबारा किस अधिकारी से जांच करायेंगे ?

पर्वतीय विकास उप मन्त्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)--

श्रीमन्, जब एक महीने में पूरी जांच करने का आश्वासन सदन में मन्त्री जी ने दे दिया है, तब इस पर फिर अनुपूरक प्रश्न करने का प्रश्न नहीं उठता है।

बहराइच जिले के श्री राजा राम, श्री छेदी आदि निवासी परसा डेहरिया का साधन सहकारी समिति द्वारा फर्जी ऋण की वसूली सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*6--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शासन को यह जानकारी है कि श्री राजाराम, छेदी आदि 21 व्यक्तियों, निवासी परसा डेहरिया, तहसील भिनगा, विकास खंड, हरिहरपुर रानी जनपद बहराइच ने माह जून,

जुलाई, 1977 में जिलाधिकारी बहराइच को एक शिकायती प्रार्थना-पत्र बावत फर्जी टाप लगाकर कोआपरेटिव सोसाइटी में नाजायज कर्जा लेने के सम्बन्ध में दी है ? यदि हां, तो उनमें मुख्य आरोप क्या-क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 5 जुलाई, 1977 को जिलाधिकारी, बहराइच के कार्यालय में प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में मुख्य आरोप निम्नलिखित हैं :--

(1) प्रार्थीगण साधन सहकारी समिति, परसा डेहरिया के सदस्य जाली व गैरकानूनी तरीकों एवं फर्जी रूप से बनाए गए हैं और अपनी सदस्यता की उन्हें कोई जानकारी नहीं है प्रार्थीगण ने हिस्से वगैरह का कोई रुपया नहीं जमा किया है और सब कार्यवाही फर्जी है।

(2) प्रार्थीगण के खिलाफ कर्जे की वसूली 1977 में जारी हुई जब कि उन्होंने कभी कोई कर्जा नहीं लिया और न कोई प्रार्थना-पत्र इस सम्बन्ध में किसी अधिकारी को दिया।

शिकायती पत्र की जांच जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा--स्थानीय पुलिस से करायी जा रही है। जांच के परिणाम अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि पुलिस से जो जांच करवाई जा रही है इससे पहले जिला सहायक निबन्धक के सहकारिता विभाग द्वारा जांच कराई गई थी ? अगर कराई गई, तो वह क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, जांच कराई गयी और उधर पुलिस के द्वारा जांच कराई जा रही थी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जांच कराई गई, उस जांच में एक हजार रुपया श्री छेदी, सदस्य के विरुद्ध वितरण किए जाने की पुष्टि नहीं हो पाई और 7 सौ रु0, सदस्य श्री राजाराम हैं, उनके विरुद्ध जो धनराशि है उसे संदिग्ध पाया गया। यह जांच विभाग द्वारा की गयी। उसके मुताबिक शासन ने दिनांक 2 सितम्बर, 1977 को उनकी सेवायें समाप्त कर दी हैं, जो श्री राम प्रह्लाद विश्वकर्मा सचिव थे, उनको जिम्मेदार ठहराया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 6 सितम्बर, 1977 को पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी गई है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मन्त्री जी ने बताया कि राम प्रह्लाद विश्वकर्मा की सेवायें समाप्त कर दी हैं। ये वहां एकाउन्टेन्ट थे या सचिव थे ? क्योंकि एकाउन्टेन्ट सरपंच द्वारा नियुक्त होते हैं और सचिव विभाग द्वारा नियुक्त होते हैं क्योंकि प्रह्लाद सिंह ने सारी गड़बड़ की है ? यह किस वर्ष में की गई और कितने रुपयों की गड़बड़ी का यह मामला है, जिसमें इस तरह से फर्जी लोनिंग की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह सचिव थे और सवाल के अन्य भाग के लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

जब इसकी सूचना नहीं है एक जाली फर्जी काम लोन का इस तरह से हुआ, मैं उनसे फिर भी जानना चाहता हूं कि यहां की सहकारी समिति में ही नहीं, बल्कि जिले भर में इस प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो इस प्रश्न को स्थगित करके पूरी सूचना एकत्र करके पुन: पूरी सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसमें पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, इसकी रिपोर्ट हो गयी है। विभाग द्वारा जो आरोप सही पाए गये, उतने में ही दोषी पाए जाने वाले सचिव की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं और विभाग द्वारा पुलिस में भी रिपोर्ट कर दी गई है।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

मन्त्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जब प्राइमाफेसी तो सिद्ध है कि उन 21 आदमियों ने रुपया नहीं लिया था और उनके जाली कागज बनाए गए थे, तो क्या मन्त्री जी उन 21 आदमियों को कर्जे से मुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

इसमें 23 सदस्यों की शिकायत थी। 21 आदमी जो सदस्य बनाए गए सही पाए गए, केवल 2 सदस्यों का यह मामला शेष रहा है, जिसमें झगड़ा है और जिनके बारे में संदिग्ध है। अब इनकी पूरी जांच की जा रही है, इसके बाद ही सारे तथ्य सामने आने पर उचित कार्यवाही होगी।

श्री दीप नरायन--

फर्जी टाप लगाने वाली जो बात है, उसकी किसी एक्सपर्ट से आप जांच करायेंगे या किससे करायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

यह तो पुलिस जांच करवा रही है और जैसा पुलिस समझेगी, वैसे जांच करावेगी।

श्री दीप नरायन--

मेरा निवेदन यह है कि फर्जी टाप की जांच तो एक्सपर्ट ही कर सकता है, पुलिस उसे नहीं कर सकती है इसलिए क्या मन्त्री जी उसकी किसी एक्सपर्ट से जांच करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

मन्त्री जी ने कहा कि पुलिस ही जांच कराएगी, यह ठीक है। कैसे फर्जी है, उसमें देखा जायगा कि कैसे फर्जी है और जो लोग उसकी जांच करते हैं, स्वाभावत: वह उसी से जांच करायेंगे। इसमें यह उसका उत्तर क्या देंगे ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

क्या सहकारिता मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिस अधिकारी को अनियमितता के मामले में दोषी पाए जाने पर सस्पेन्ड किया गया है, उनसे वह पैसा भी वसूल करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

यह तो जांच के बाद ही निर्णय होगा।

श्री कमला प्रसाद वर्मा---

इस प्रकार से जाली और फर्जी कर्जे देने का काम पूरे प्रदेश भर में व्याप्त है, तो क्या इस प्रकार के कोई आदेश आप नीचे के अधिकारियों को देंगे कि प्रदेश भर में जहां-जहां भी ऐसे मामले हों, उसकी पूरी छानबीन की जाए और उसका निराकरण किया जाए ?

श्री अधिष्ठाता---

यह जिले का प्रश्न है, पूरे प्रदेश के लिए आप अलग से प्रश्न करें, तो हो सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अभी आपने उस सवाल पर कह दिया कि मामला पूरे प्रदेश का नहीं, एक जिले का है, इसलिए उससे सम्बन्धित प्रश्न न पूछा जाए। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात को दृष्टि में रखकर कि ये मामले दूसरे जिले में भी हो सकते हैं, जहां-जहां से इस प्रकार के आवेदन-पत्र मिले, अपने अधिकारियों को निर्देश देंगे कि तुरन्त ऐसे मामले की जांच करा ली जाए ? क्या इस प्रकार के आदेश शासन द्वारा दिए जायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न बड़ा व्यापक है। मन्त्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें। वही प्रश्न दूसरे ढंग से कह दिया गया है।

श्री मुलायम सिंह यादव---

जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है,' सभी माननीय सदस्यों को पहले से भी मैंने लिखकर भेज दिया है, एक छोटी किताब छपी है। सारे उत्तर प्रदेश में सत्यापन करने का आदेश जारी कर दिया गया है। पहली सितम्बर से 30 नवम्बर तक सारे उत्तर प्रदेश में तीन महीने के अन्दर सत्यापन होगा। एक जिले की बात नहीं है। सारे सूबे में, जहां पर गड़बड़ी होगी, जो भी भ्रष्टाचार और बेईमानी होगी, वह सब उभर कर आ जायेंगे।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---

मैं जानना चाहता हूं कि जो जांच समितियां बनायी गयी हैं, उनमें क्या जन-प्रतिनिधियों को भी लेने पर विचार करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता---

यह तो अलग प्रश्न होगा।

*7---श्री राम आसरे तथा श्री हरिकेवल प्रसाद---

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर 3रे सोमवार के लिए स्थगित।]

राज्य सड़क परिवहन निगम के मध्य क्षेत्र लखनऊ के सहायक अभियन्ता के कार्यालय की उप मन्त्री, पर्यटन द्वारा जांच एवं पाई गयी अनियमितताएं

*8—श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 16 जुलाई, 1977 को वर्तमान उप मन्त्री पर्यटन, उत्तर प्रदेश ने राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्य क्षेत्र,लखनऊ के कार्यालय की जांच की और घोर अनियमितताओं सम्बन्धी कागजात को अपने कब्जे में किया ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमिततायें उनके द्वारा पायी गयीं और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री आबिद अली—

जी हां। श्री परमानन्द सिंघल, 1-अशोक नगर, लखनऊ की शिकायत पर उप मन्त्री पर्यटन, उत्तर प्रदेश ने दिनांक 16 जुलाई, 1977 को राज्य सड़क परिवहन निगम के मध्य क्षेत्र, लखनऊ के सहायक अभियन्ता के शिविर कार्यालय की जांच की तथा सहायक अभियन्ता के शिविर कार्यालय का डिस्पैच रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिया। श्री सिंघल के पत्र में संक्षेप में मुख्यत: निम्नलिखित शिकायतें की गयी थीं —

(1) सीतापुर बस स्टेशन पर बिजली के कार्य के टेन्डर की दर सबसे कम होने के बावजूद भी उनका टेन्डर स्वीकार नहीं किया गया।

(2) कार्य की प्रगति के साथ प्रतिमाह बिलों का भुगतान का न होना तथा रायबरेली बस स्टेशन को कैन्टीन के कार्य के सम्बन्ध में दिये गये बिल से अनधिकृत कटौती।

(3) रायबरेली वर्कशाप को बाउन्ड्री तथा एन्गिल आयरन लगाकर कांटेदार तार लगाने के कार्य हेतु दिये गये बिल से अनधिकृत कटौती।

(4) बछरावां बस स्टेशन पर सेनेटरी और बिजली के कार्य के लिए दिये गये बिल का भुगतान नियमानुसार न करना तथा अधिक दर पर टेन्डर स्वीकृत करना।

(5) कैसरबाग बस स्टेशन में क्यू लगाने के कार्य के लिए दिये गये बिल से अनधिकृत कटौती।

(6) वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियुक्ति निर्धारित संख्या से अधिक करना तथा उनसे घर का निजी नौकर की तरह कार्य करवाना।

(7) सरकारी कागजात में तोड़-मरोड़ करना और फर्जी कागजात तैयार करना जिसका प्रमाण इश्यू और डिस्पैच रजिस्टर है।

उप पर्यटन मन्त्री द्वारा निरीक्षण करने पर उनको उपरोक्त बातों की पुष्टि मिली। ईशू रजिस्टर उन्होंने देखा जिसमें पिछली तारीखों में काफी जगह खाली पड़ी हुयी थीं रजिस्टर को सील कर दिया गया है। इस रजिस्टर से पर्यटन मन्त्री जी को ऐसा महसूस हुआ कि एक बड़े पैमाने पर अनियमिततायें बरती जा रही हैं जिसकी जिम्मेदारी श्री आर0 एस0 त्रिपाठी, सहायक अभियन्ता एवं श्री के0 सी0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता की है।

ऐसी दशा में उक्त अधिकारियों को उनके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित करने का आदेश दे दिया गया है और इसके फलस्वरूप सहायक अभियन्ता श्री आर0 एस0 त्रिपाठी को

उनके मूल विभाग (सा0 नि0 वि0) में दिनांक 24 अगस्त, 1977 को वापिस कर दिया गया। निगम को पुन: निदेश दे दिया गया है कि वह श्री के0 सी0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता को भी उनके मूल विभाग में तुरन्त लौटा दें।

श्री सिंघल द्वारा की गयी शिकायत की जांच शासन के विचाराधीन है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो वर्तमान उप मन्त्री, पर्यटन ने राज्य सड़क परिवहन निगम, मध्य क्षेत्र, लखनऊ के कार्यालय की जांच की तो सरकार उसको कब तक पूरा करा लेगी ?

श्री आबिद अली--

इसकी निगम शायद अपने यहां जांच करवा रही है।

श्री अधिष्ठाता--

2 प्रश्न हैं। नहीं मालूम है, तो समय ले लीजिए।

श्री आबिद अली--

जांच के लिए भेजा गया है। इसलिए मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि जो आरोप किए गए थे उन पर माननीय मन्त्री जी जांच करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

इस प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, दूसरा करें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि श्री के0 सी0 तिवारी, अधिशासी अभियन्ता अभी भी अपने पद पर कार्य कर रहें हैं ?

श्री आबिद अली--

उनको वापस जाने के लिए हुकुम दे दिया गया है और शीघ्र ही वापस चले जायेंगे ?

श्री सुखपाल पाण्डेय--

यह आदेश कब दिया गया है और कब वह वापस वहां पर ज्वाइन कर लेंगे ?

श्री आबिद अली--

बहुत जल्द चले जायेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के केस साबित हुए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जब ऐसे गम्भीर आरोप हैं, तो उनको निलम्बित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री अबिद अली--

वह सार्वजनिक निर्माण विभाग से आए थे और जो कार्यवाही होगी, वह वहीं से की जाएगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या आपने उनके खिलाफ आरोप-पत्र दिया है ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मन्त्री जी ने इसका उत्तर दे दिया कि जहां से वह आए थे, वहां पर उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी। माननीय ओझा जी आप बैठ जायें। एक प्रश्न के अलावा 2 का अधिकार नहीं है, आपको।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई आरोप-पत्र दिया है ?

श्री अधिष्ठाता--

मैंने वर्मा जी को बुला लिया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जब प्राइमाफेसी केस बनता है तो उनको निलम्बित करने के आदेश देंगे ?

श्री आबिद अली--

प्रश्न को समझ नहीं सका।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा--

क्या निलम्बित करने की सिफारिश की है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता--

क्या परिवहन विभाग ने कोई सिफारिश की है कि उनको निलम्बित कर दिया जाए।

श्री आबिद अली--

खाली वापस करने के लिए कहा गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार--

2 महीने हो गए लेकिन वह वापस नहीं गये, तो इसके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री आबिद अली--

सहायक अभियन्ता थे, वह वापस चले गये हैं लेकिन एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने वापसी के विरुद्ध मुकदमा दायर कर दिया था कि उनको वापस न किया जाए लेकिन उनसे कहा गया है कि उन्हें वापस जाना है।

श्री राजेन्द्र कुमार--

आरोप-पत्र अभी तक नहीं भेजा गया।

श्री आबिद अली--

उसके लिए कार्यवाही हो रही है।

गन्ना सहकारी समिति, मुरादाबाद में सहायक सचिव की नियुक्ति

*9—श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)—

क्या गन्ना मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारी गन्ना समिति, मुरादाबाद में सहायक सचिव की नियुक्ति उत्तर प्रदेश स० गन्ना विकास संघ लिमिटेड की सेवा नियमावली के अन्तर्गत गत वर्ष की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सत्य प्रकाश—

जी हां, उत्तर प्रदेश केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन्स, 1975 के नियमों के अन्तर्गत ही इस समिति में सहायक सचिव की नियुक्ति अस्थायी प्रबन्ध के रूप में की गयी है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1976 में एक गन्ना संघ की कार्य कारिणी ने सहायक सचिवों की कोई सूची बनाई थी और उस सूची के अन्तर्गत नियुक्ति न करके उसकी नियुक्ति किन कारणों से अलग से की गई ?

श्री सत्य प्रकाश—

मुरादाबाद गन्ना समिति में दिनांक 1 जुलाई, 1975 से सहायक सचिव के पद रिक्त चल रहे थे। चूंकि समिति के कार्य में बाधा पड़ रही थी इसलिए नियुक्ति हेतु दिनांक 3 मई, 1976 को इसके लिए आवेदन-पत्र मांगे गए और उसके अनुसार गन्ना आयुक्त ने जिनको विशेषाधिकार प्राप्त है और कार्य के हित में आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं, इस आधार पर उनकी नियुक्ति की।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

जब एक सूची कार्यकारिणी द्वारा तैयार कर ली गई और उस सूची में 21 आदमियों के नाम रखे गए तो सन् 1975 से रिक्त चल रहे पदों पर अगस्त या सितम्बर माह में उनकी नियुक्ति क्यों की गई ? क्या यह सही है कि नियम के अन्तर्गत जब कि नियम तो यह है कि नियमावली के अन्तर्गत नियुक्ति की जाए तो किस आधार पर उनकी नियुक्ति की गई ?

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, पहले प्रश्न का उत्तर तो यह है कि सीधी भर्ती के नियमानुसार 37 अभ्यर्थियों का चयन करके दिनांक 23 मार्च, 1976 से 25 सितम्बर, 1976 तक प्रशिक्षण हेतु भेजा गया था। चूंकि प्रशिक्षण देने से पूर्व ये स्थान रिक्त थे अत: दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के बाद दिनांक 1 जुलाई, 1975 से गन्ना आयुक्त को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करके उनकी नियुक्ति करनी पड़ी। ऐसा उत्तर प्रदेश केन कोआपरेटिव सर्विस रेगुलेशन 1975 के नियम 200 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या गन्ना मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने स्थान रिक्त थे और गन्ना आयुक्त ने कितने स्थानों पर नियुक्ति के लिए अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया ?

श्री सत्य प्रकाश--

मान्यवर, यह व्यवस्था तो एक स्थान के लिए की गई। 37 अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ट्रेनिंग प्राप्त कर लेने के बाद अभ्यर्थियों को रिक्त स्थानों पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग से पूर्व रिक्त एक स्थान के लिए गन्ना आयुक्त द्वारा नियम 200 के अन्तर्गत अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया गया।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती) --

गन्ना आयुक्त को किन परिस्थितियों में विशेषाधिकार प्रयोग करने का अधिकार है? क्या ऐसा वह हर समय कर सकता है?

श्री सत्य प्रकाश--

इसके लिए आप नियम 200 को देख सकते हैं और इसका प्रयोग इमरजेन्सी की स्थिति में किया जा सकता है। चूंकि ट्रेन्ड लोग उस समय मौजूद नहीं थे इसलिए उन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करके उनकी नियुक्ति कर दी।

श्री गनेशी लाल चौधरी--

माननीय मन्त्री जी ने बताया कि 37 आदमियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। क्या वे बताने का कष्ट करेंगे कि उनमें से कितने हरिजन अभ्यर्थी थे?

श्री अधिष्ठाता--

यह अलग से प्रश्न कीजिए। इससे यह प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों तथा गन्ना संघ, लखनऊ द्वारा कीटाणुनाशक दवाइयों की खरीद

*10--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76, 1976-77 में पेस्टीसाएड (कीटाणुनाशक दवाइयां) किन-किन फर्मों से गन्ना विभाग या उत्तर प्रदेश गन्ना सहकारी संघ, लखनऊ द्वारा कौन-कौन सी दवाइयां खरीदी गईं? क्या यह सही है कि घटिया किस्म की दवाइयां खरीदी गईं और उनका उपयोग नहीं हुआ और गन्ना यूनियन के गोदामों में आज भी पड़ी हैं? यदि हां, तो क्या जो दवाइयां खरीदी गईं उनका कोई नमूना फर्म से खरीदने वाले अधिकारी ने लेकर गन्ना यूनियनों को भेजा था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सत्य प्रकाश--

जी हां, प्रश्नगत वर्षों में संलग्न सूची में दर्शायी गयी फर्मों से कीटाणुनाशक दवाइयां क्रय की गयीं।

घटिया किस्म की कोई भी कीटाणुनाशक दवाइयां क्रय नहीं की गयीं अपितु शोध परिषद् उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार की संस्तुति के आधार पर उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित दरअनुबन्ध की विज्ञप्ति में स्वीकृत फर्मों से क्रय की गयीं। इनके नमूने प्राविधान के अनुसार गन्ना आयुक्त द्वारा विश्लेषण हेतु मान्यता प्राप्त विश्लेषण केन्द्रों को भेजे गए। परीक्षणोपरान्त कुछ बैच अनुत्तीर्ण पाए गए जिनके विरुद्ध नियमानुसार

कार्यवाही की जा रही है। इन कीटाणुनाशक दवाइयों का अधिकांश भाग प्रयोग किया जा चुका है तथा अधिमानक को छोड़कर अवशेष मात्रा का उपयोग किया जा रहा है।

गन्ना यूनियनों को नमूने भेजने का कोई प्राविधान नहीं है अपितु गन्ना आयुक्त द्वारा नमूनों का विश्लेषण मान्यता प्राप्त विश्लेषण केन्द्रों से कराया जाता है।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 903 पर।)

श्री सुखपाल पाण्डेय—

जो सैम्पिल्स निकाले गए, क्या माननीय मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनको किस श्रेणी के अधिकारी ने देखा है और उसके क्या आदेश थे ?

श्री सत्य प्रकाश—

साढ़े सात सौ सैम्पिल्स प्रति वर्ष लिए जाते हैं और विभाग की ओर से उनकी जांच के लिए भेजा जाता है।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कितने सैम्पिल लिए गए, कितनों की जांच हुई, कितने अवशेष पड़े हुए हैं ?

श्री सत्य प्रकाश—

वर्ष 1976-77 में प्राविधान के अनुसार गन्ना आयुक्त द्वारा नमूनों का विश्लेषण, मान्यता प्राप्त विश्लेषण केन्द्रों द्वारा कराया गया। वर्ष 1975-76 में निम्नलिखित फर्मों के विरुद्ध जांच के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गई। इसमें डिटेल्स दी हुई है, यदि आज्ञा हो तो . . .

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं, स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। इसलिए आप इसे आज स्थगित कर दें ? मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि कितने सैम्पिल्स आए, कितनों की जांच हो गई और कितने अवशेष हैं ?

श्री सत्य प्रकाश—

मैंने पहले ही निवेदन किया कि गन्ना आयुक्त ने प्राविधानों के अनुसार जितने भी मान्यता प्राप्त विश्लेषण केन्द्र हैं, उनको भेजा। साढ़े सात सौ सैम्पिल्स प्रति वर्ष भेजे जाते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के विमानों का विवरण

*11—श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास कितने और किस-किस प्रकार के विमान हैं ? क्या सरकार निकट भविष्य में कुछ विमानों की खरीद करने वाली है ? अगर हां, तो क्यों और नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री आबिद अली—

उत्तर प्रदेश सरकार के पास 7 विमान और 2 हैलीकाप्टरों का बेड़ा है जिनके विवरण निम्न प्रकार हैं :—

क्रम-सं0	मेक	रजिस्ट्रेशन नं0	संख्या	प्रकार
1	2	3	4	5
1	किंग एयर, ए–90 ..	वीटी–डीएक्सक्यू ..	एक	टर्बो प्रोप प्रेसराइज्ड
2	बीच बैरन, बी–55 ..	बीटी–ईडीसल ..	एक	पिस्टन इंजन
3	बोनान्जा ..	बीटी–सीवाईजे बीटी–सीएसजी ..	दो	सिंगिल इंजन
4	ट्रिवन बीच ..	बीटी–सीजेबी वीटी–डीआई ..	दो	पिस्टन इंजन
5	पाइपर सुपरक्रूजर ..	बीटी–सीएनक्यू ..	एक	सिंगिल इंजन (ट्रेनिंग विमान)
6	एलौटी–111-हैलीकाप्टर।	बीटी–ईसीएफ वीटी–ईएफआई ..	दो	टरवाइन इंजन
		योग ..	नौ	

पिछले शासन द्वारा 2 पाइपर ने वहों विमान और एक किंग एयर सी–90 तथा एक हैलीकाप्टर खरीदने के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गई थी। इसमें से एक हैलीकोप्टर पिछले शासन काल में ही प्राप्त हो गया था। शेष तीन विमानों में से पाइपर वायुयानों को न खरीदने का निर्णय लिया जा चुका है। केवल किंग एयर सी–90 खरीदने के लिए भारत सरकार को अनुमति हेतु लिखा गया है। पिछला किंग एयर वायुयान 14 वर्ष पुराना हो चुका है इसलिए एक वायुयान खरीदने का निर्णय लिया गया।

*12—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

पशु चिकित्सालयों पर लघु पशु की चिकित्सा पर लेवी की दर

1—श्री अठई राम—

क्या पशु पालन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु-चिकित्सालयों पर लघु पशु के दवा दिलाने की लेवी 10 पैसे प्रति पशु हैं जबकि भेड़ा केन्द्रों पर भेड़ों को दवा दिलाने की लेवी 20 पैसे प्रति भेड़ है ? यदि हां, तो इस अन्तर का कारण क्या है ?

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 11 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री मुलायम सिंह यादव—

हां, पशु-चिकित्सालयों पर लघु पशु की सामान्य चिकित्सा हेतु लेवी 10 पैसा प्रति पशु है। लेकिन भेढ़ा केन्द्रों पर सामूहिक रूप से दवा पिलाने हेतु लेवी 20 पैसा प्रति भेड़ इस कारण रखा गया है कि इन केन्द्रों पर पार जीवी कीटाणुओं से उत्पन्न होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु विशिष्ट प्रकार की दवाइयों के घोल पिलाने की व्यवस्था है।

बरेली जिले के ग्राम चिटौली के बसीट नाले की अर्धनिर्मित पुलिया

2—श्री हामिद रजा खां (जिला बरेली)—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चिटौली फतेहगंज (4) (ब्लाक), जिला बरेली में बसीट नाले पर कई वर्षों से आधी बनी हुई पुलिया को पूरा करने के सम्बन्ध में फतेहगंज (4) ब्लाक और जिला परिषद् बरेली ने क्या कार्यवाही की ?

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

ग्राम चिटौली ब्लाक फतेहगंज, जिला बरेली में बसीट नाले पर अधूरी बनी हुई पुलिया को पूरा करने के सम्बन्ध में विकास खंड फतेहगंज तथा जिला परिषद् बरेली द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

जिला सहकारी संघ लि० (गोण्डा) के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

3—श्री दीपनरायन—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25 जुलाई, 1977 को यज्ञ प्रसाद शर्मा ने जिलाधिकारी, गोन्डा को एक लिखित शिकायती-प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया था कि जिला सहकारी विकास संघ, गोन्डा में भारी गोल-माल है तथा जिलाधिकारी, गोन्डा ने परगना अधिकारी, गोन्डा को तत्काल जांच करने का आदेश दिया था और परगनाधिकारी जिला गोन्डा दूकानों को सीलकर के जांच किया ? यदि हां, तो इस जांच से क्या तथ्य प्रकाश में आए और उनका पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां। परगनाधिकारी, गोन्डा ने दिनांक 27 जुलाई, 1977 को जिला सहकारी विकास संघ लि0, गोन्डा की थोक एवं फुटकर कपड़े की दुकान सील करके अपनी अन्तरिम रिपोर्ट जिलाधिकारी, गोन्डा को दिनांक 28 जुलाई, 1977 को प्रस्तुत किया जिस पर जिलाधिकारी ने सहायक निबन्धक गोन्डा से विस्तृत जांच कराई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त संघ की निम्नलिखित दुकानों में उनके सम्मुख लिखित धनराशि की अनियमिततायें प्रकाश में आईं—

		रुपए
1—संघ के थोक कपड़े की दुकान . .	नियन्त्रित कपड़े के स्टाक में कमी	7,999.36
2—कटरा फुटकर कपड़े की दुकान	कपड़े के स्टाक में तथा कपड़े व चीनी के बिक्री धन में कमी।	9,690.78
3—मालवी नगर फुटकर कपड़े की दुकान।	कपड़ा स्टाक में कमी	344.77
4—संघ मुख्यालय फुटकर कपड़े की दुकान।	कपड़े के स्टाक में कमी	215..20

उपरोक्त क्रमांक 1 व 2 के सम्बन्ध में विक्रेताओं के विरुद्ध क्रमशः दिनांक 3 अगस्त, 1977 व 13 अगस्त, 1977 को थाना कोतवाली शहर गोन्डा एवं थाना नवाबगंज, गोंडा में प्रथम सूचना दर्ज कराई गई तथा उनके विरुद्ध आर्बीट्रेशन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। क्रमांक 3 व 4 के सम्बन्ध में धनराशि की वसूली करने के उपरान्त दोनों विक्रेताओं को सेवा से पृथक कर दिया गया।

प्रदेश की चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य तथा कर

4—श्री ऊदल, श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया), श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया) तथा श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या गन्ना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सभी चीनी मिलों पर किसानों का करीब 10 करोड़ रुपया तथा सरकार का 4 करोड़ रुपया बकाया है? यदि हां, तो यह किस-किस सन् का अलग-अलग मिलों पर कितना-कितना रुपया बकाया है उसे न वसूलने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई?

गन्ना विकास मन्त्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों पर दिनांक 15 अगस्त, 1977 तक की स्थिति के अनुसार किसानों का 11.92 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया है तथा सरकार का 5.02 करोड़ रुपया क्रय कर का बकाया है।

चीनी मिलवार एवं सत्रवार बकाए की स्थिति संलग्न† है।

उक्त बकायों की वसूली हेतु शासन ने चीनी मिलों को निर्देश दे दिए हैं कि वे उक्त बकायों का शीघ्र भुगतान कर दें।

5—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

गन्ना विकास विभाग के खाण्डसारी निरीक्षकों की नियुक्ति

6—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या गन्ना एवं चीनी उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1974 से अब तक कितने खाण्डसारी निरीक्षकों की नियुक्तियां विभाग द्वारा की गई हैं? क्या यह सही है कि उनकी नियुक्तियां नियमानुसार नहीं की गई हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उचित कार्यवाही हो रही है?

श्रीमती चन्द्रावती—

अक्तूबर, 1974 से अब तक कुल 44 खाण्डसारी निरीक्षकों की नियुक्तियां की गयी हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा चयन किए गये अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण विभागीय कर्मचारियों की निर्धारित अर्हताओं के आधार पर इन पदों पर नियुक्तियां तदर्थ रूप से प्रोन्नति देकर की गयी हैं। यह नियुक्तियां पूर्णतया अस्थायी हैं और लोक सेवा अयोग द्वारा आयोजित चयन होने पर समाप्त हो जाएगी।

---

†विवरण छापा नहीं गया।

7—श्री कृष्ण स्वरूप—

[माननीय मन्त्री की प्रार्थना पर 3रे सोमवार के लिए स्थगित।]

मेरठ, बुलन्दशहर तथा गाजियाबाद के दूध विक्रेताओं का ज्ञापन

8—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद के दूध विक्रेताओं ने जुलाई, 1977 में अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन शासन को दिया था? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां, शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

9—श्री अठई राम—

[4थे सोमवार के लिए स्थगित।]

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

आपसे एक निवेदन करना है। इस कार्यसूची को आप देख लें। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न जो अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न के रूप में आने चाहिए उन्हें अतारांकित करके उनके तथ्य को छिपा दिया जाता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप व्यवस्था दें कि जो तारांकित या अल्पसूचित प्रश्न दिए जायं उन्हें अतारांकित न कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्नों के सम्बन्ध में अध्यक्ष को अधिकार है कि एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में वह कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न ऐसा आया है तो उनकी आज्ञा से आया है। किसी विशेष प्रश्न के सम्बन्ध में यदि कहना है तो अध्यक्ष महोदय से उनके कक्ष में बात करनी चाहिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह जो प्रश्न संख्या 11 शतरुद्ध प्रकाश जी ने दिया है एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपसे चाहूंगा कि नियम 49 के अन्तर्गत इस पर आध घंटे की चर्चा की इजाजत दें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मेरी भी यही राय है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर नियम 49 के अन्तर्गत आधा घंटे की चर्चा की जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप उचित ढंग से सूचना दीजिए और उसके सम्बन्ध में यदि व्यवस्था हुई तो आपको समय दिया जायगा। नियमावली का नियम आपको मालूम है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

[× × ×]

श्री अधिष्ठता—

यह बिना सूचना के नहीं आ सकता। यह कार्यवाही का अंश नहीं हो सकता। इसको कार्यवाही का अंश न समझा जाय। अब हम शून्य प्रहर की सूचनाओं को लेते हैं।

परिवार नियोजन विभाग के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल एवं एक परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक की सिविल अस्पताल, लखनऊ में मृत्यु के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नूराम (जिला बलिया)—

मान्यवर, कल दिनांक 11 सितम्बर, 1977 को एक परिवार नियोजन स्वास्थ्य सहायक की मृत्यु अचानक सिविल अस्पताल, लखनऊ में हो गई। यह कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर स्वास्थ्य भवन, लखनऊ में बैठा और अचानक तबियत खराब होने पर सिविल अस्पताल, लखनऊ लाया गया। लेकिन अस्पताल में कोई उसका समुचित इलाज नहीं किया गया। रात भर यह कर्मचारी कराहता और छटपटाता रहा। सुबह इसकी मृत्यु हो गई। जनता तथा कर्मचारियों में काफी क्षोभ व असन्तोष उत्पन्न हो गया है। यह कर्मचारी इलाहाबाद का निवासी है। इलाहाबाद में इसकी लाश पहुंचने की सूचना को पा कर पूरे जिले के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों के बंगले का घेराव कर लिया। यह कर्मचारी अपने पिता का इकलौता रहा है। इसके परिवार का चिराग गुल हो गया। इसकी मृत्यु के सदमें से भयभीत हो कर भूख हड़ताल पर बैठे हुए शेष स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की हालत गम्भीर होती जा रही है। एक दूसरा भी भूख हड़ताली रह-रह कर बेहोश होता जा रहा है। इस स्थिति से कर्मचारियों की दशा चिन्तनीय हो गई है।

अस्तु मैं सरकार का ध्यान इन स्वास्थ्य विभाग के भूख हड़तालियों की मांगों, बेहोशी व मृत्यु की तरफ आकर्षित करता हूं।

लखनऊ नगर में हैजे के प्रकोप के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान निम्न-लिखित लोक महत्व के प्रश्न पर आकर्षित करना चाहता हूं—

यह कि लखनऊ प्रदेश की राजधानी है और ऊंचे से ऊंचे अधिकारी यहां निवास करते हैं, इस समय लखनऊ नगर की स्वास्थ्य समस्या बहुत ही विषम हो गयी है। नगर में हैजा का प्रकोप जोरों से चल रहा है प्रत्येक दिन संक्रामक रोग से अस्पताल में हैजे के लगभग 10 या 15 मरीज आ जाते हैं। नगर में व्यापक रूप से इस रोग के फैलने की आशंका पैदा हो

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गयी है। सरकार ने समय से इस पर ध्यान न दिया तो यह महामारी नगर में न रह कर प्रदेश के जिलों में फैल सकती है क्योंकि प्रदेश भर में लखनऊ नगर में यात्रियों का हजारों की संख्या में आना जाना लगा रहता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि डाक्टरों ने हैजे की बीमारी की भयंकरता को छिपाने के लिए इसका नाम गेस्ट्रों इन्ट्राइटिस रख छोड़ा है, जिससे नगर के लोग हैजे के प्रकोप से भयभीत न हों। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रदेश के गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान गैर शिक्षक कर्मचारियों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। माध्यमिक पाठशालाओं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के समस्त गैर शिक्षक कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि विधान भवन के सम्मुख दिनांक 8 सितम्बर, 1977 से अनिश्चित कालीन क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं। अभी तक सरकार द्वारा कोई समाधानकारक उत्तर नहीं मिला। कर्मचारियों के वेतनमान, सेवा शर्तों तथा सुरक्षा आदि की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी मांगों को स्वीकार करना शिक्षा व्यवस्था के हित में होगा। अध्यापकों की सेवा शर्तों में जो सुविधायें दी गयी हैं गैर शिक्षकों को उनसे वंचित रखा गया है। उनकी मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) अध्यापकों की भांति समस्त शिक्षण संस्थाओं में गैर शिक्षक कर्मचारियों को भी प्रोवीडेन्ट फन्ड, पेन्शन व ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाय।

(2) गैर शिक्षक कर्मचारियों के निमित्त सेवा नियम बनाए जायं।

(3) गैर शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति व निष्कासन का अधिकार जो प्रधानाचार्यों को प्राप्त है उसे समाप्त करके चयन समिति को दिया जाय।

(4) गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था की जाय, जिसे आवास नहीं मिलता है उसे वेतन का 15 प्रतिशत मकान भत्ता दिया जाय।

(5) गैर शिक्षक कर्मचारियों से बेगार लेना बन्द किया जाय।

(6) बोर्ड या विश्वविद्यालय या इस प्रकार की किसी परीक्षा में काम करने के बदले प्रति पाली परीक्षा भत्ता दिया जाय जैसा कि अध्यापकों को मिलता है।

(7) गैर शिक्षक कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय।

(8) वर्ष 1972 से बकाए का भुगतान किया जाय।

(9) उत्तर प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी परिषद् को मान्यता दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शिक्षक नेता स्वर्गीय श्री कामता प्रसाद शास्त्री की हत्या के परिणाम स्वरूप छात्रों द्वारा प्रदर्शन व पुलिस की निष्क्रियता के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बांदा जिले में विगत 8 सितम्बर, 1977 को सहायता प्राप्त कुछ कालेजों के कतिपय अध्यापकों के नेतृत्व में छात्रों से बांदा शहर में जुलूस निकलवाया गया और बाजार की दुकानें बन्द करवाने का प्रयास किया गया। बदौसा हाई स्कूल के एक अध्यापक स्वर्गीय कामता प्रसाद शास्त्री की हत्या के विरोध में बाजार में हड़ताल करने का आवाहन किया गया था। उसी सम्बन्ध में जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व बजरंग विद्यालय, बांदा के श्री चक्रधर द्विवेदी तथा डी0 ए0 वी0 कालेज के कुछ थोड़े से अध्यापक कर रहे थे। उनके साथ आराजक तत्व भी शामिल थे। छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा पूरे शहर में दुकानों का सामान तोड़ा फोड़ा गया। कलेक्टरी कचेहरी और जजी कचेहरी के हाते के अन्दर तथा उसके आस-पास की दुकानें उजाड़ी गयीं। चाय-मिठाई, शब्जी, फल, क्राकरी आदि कई प्रकार की पचासों दुकानों को लूटा गया। एक शराब की दुकान की पूरी शराब पी डाली गयी। लोगों को गालीगलौज की गयी। मारने पीटने की धमकी दी गयी तथा दुकानें जबरदस्ती बन्द कराने का प्रयास किया गया। आर्य इन्टर कालेज के अहाते में घुसकर कैन्टीन लूट ली गयी तथा छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। बांदा बार एसोसिएशन ने लूटपाट की घटनाओं की कड़ी निन्दा की है। सबसे गम्भीर बात यह है कि शहर लुटता रहा और पुलिस केवल तमाशा देखती रही। पुलिस स्वयं भयभीत थी क्योंकि लूट-पाट एवं तोड़-फोड़ करने वालों को जनता पार्टी के कुछ नेताओं का सक्रिय सहयोग एवं समर्थन प्राप्त था। जनता पार्टी के कुछ नेताओं और अध्यापकों के भड़काने से कुछ थोड़े से उपद्रवी छात्रों ने 10 सितम्बर को बदौसा थाने के सामने कालेज के मैनेजर की कार तोड़ डाली और उसे उलट कर फेंक दिया। मैनेजर ने थाने में घुस कर अपनी जान बचाई पी0 ए0 सी0 का ट्रक पहुचने पर उपद्रवी क्षात्रों ने उस पर भी हमला कर दिया। एक सरकारी अमीन को उपद्रवकारियों द्वारा गालीगलौज की गई तथा मारा पीटा गया। इसी प्रकार एक जाति विशेष के छात्रों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों को अतर्रा, नरैनी, बदौसा, बांदा आदि स्थानों पर उत्पीड़ित किया जा रहा है।

उपरोक्त घटनाओं से बांदा, नरैनी, अतर्रा, बदौसा आदि अन्य कई कस्बों में व गांवों में आतक एवं अराजकता का वातावरण व्याप्त है। पुलिस एवं जिला प्रशासन की निष्क्रियता एवं उदासीनता के कारण आम जनता में घोर निराशा एवं चिन्ता व्याप्त है। सरकार से तुरन्त कार्यवाही की अपेक्षा की जाती है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है सदन को यह तथ्यों को छिपाकर गोलमोल सूचना दी गयी है..

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

कोई आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं। इस पर तो सरकार को जवाब देना है। माननीय सदस्य बैठ जायं। अगर किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध में कोई बात हो तो उसके स्पष्टीकरण के लिए पहले आज्ञा ले लें।

श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है यह बिल्कुल सत्य से परे है।

श्री अधिष्ठाता--

मैं इसकी व्यवस्था कैसे दूं? व्यवस्था का प्रश्न तो नियमों का प्रश्न है। मैं किस नियम में कह दूं कि यह आता है या सही है? माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

इसमें तो सरकार जांच करेगी।

श्री अधिष्ठाता--

ऊदल जी बैठ जायं। मैंने शतरुद्ध प्रकाश जी को बुलाया है।

श्री राजेन्द्र कुमार--

इसका स्पष्टीकरण तो होना चाहिए?

श्री अधिष्ठाता--

अगर आपके सम्बन्ध में हो तो आज्ञा लेकर स्पष्टीकरण करेंगे। क्या आपको स्पष्टीकरण करना है?

श्री राजेन्द्र कुमार--

मेरे जिले का प्रश्न है....

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला वाराणसी)--

मैं निवेदन करूंगा कि अभी माननीय सदस्य बांदा ने एक स्पष्ट आरोप लगाया बांदा जिले के विधायकों और जनता पार्टी के ऊपर, इसलिए बांदा जिले के सदस्य अगर स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो आप उनको अवसर देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य बैठ जायं। सफाई किसी माननीय सदस्य की व्यक्तिगत होती है, समूह के लिए नहीं होती। अगर व्यक्तिगत रूप से किसी माननीय सदस्य के सम्बन्ध मे कोई बात कही गयी हो तो स्पष्टीकरण का उनको अधिकार है। अगर किसी समूह, जिले या प्रान्त के सम्बन्ध में कहा गया है तो माननीय मन्त्री जी जब सूचना देंगे तो उसमें आप दिला सकते हैं, आप दे सकते हैं: इस समय कोई प्रश्न नहीं उठता.....

(व्यवधान)

श्री बाबू बदरे (जिल कानपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है वह हमारे जनता पार्टी के नेताओं पर आक्षेप है कि उनकी साजिश है जबकि जनता पार्टी के नेता दूध के धोये और गंगा नहाए हुए हैं। इस तरह का आक्षेप न लगाया करें हमारे नेताओं पर।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

एक व्यवस्था के प्रश्न के बारे में हो नहीं पाया दूसरा प्रश्न आ गया, इस तरह से कैसे होगा ?

मैं समझ गया एक ही बात बार-बार दूसरे शब्दों में आ रही है। माननीय सदस्य ने कहा कि आरोप लगा रहे हैं। इस सम्बन्ध में सरकार बिल्कुल सक्षम है कि जब उत्तर वह देगी या सूचना देगी, उस सूचना में उत्तर में यह दिया जा सकता है कि आरोप निराधार है। लेकिन व्यक्तिगत आरोप किसी माननीय सदस्य पर लगाए गए होते तो मैं स्वत: कह देता कि स्पष्टीकरण का अधिकार है।

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं, जनता पार्टी पर यह आक्षेप है। नियमों के अन्दर है कि सदन के अन्दर गलत सूचना नहीं दी जा सकती।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय कल्पनाथ सिंह को बुलाया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

अभी माननीय कल्पनाथ सिंह उठा रहे हैं। आप बैठ जायं।

एक सदस्य—

यह जो उन्होंने सूचना दी उसमें उन्होंने जनता पार्टी पर आरोप लगाए हैं। यह सब बातें अखबारों में आयेंगी।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कल्पनाथ सिंह जी को बुलाया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, इन्होंने स्पष्ट आरोप लगाए हैं।

श्री अधिष्ठाता—

बार-बार उसी प्रश्न को उठाया जा रहा है। मैं खड़ा हूं इसलिए आप बैठ जायं। अध्यक्ष ने माननीय कल्पनाथ सिंह को बुलाया है। वह खड़े हो सकते हैं, आप बैठ जायं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

अधिष्ठाता ने बुलाया है।

श्री अधिष्ठाता—

अधिष्ठाता भी अध्यक्ष होता है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अधिष्ठाता अध्यक्ष होता है या नहीं, इस पर व्यवस्था दें ?

श्री अधिष्ठाता—

मेरी व्यवस्था है कि इस समय अधिष्ठाता अध्यक्ष का काम कर रहा है, वह अध्यक्ष है।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा निवेदन है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय यहां पर माननीय सदस्य उठा रहे हैं। माननीय सदस्य बांदा ने कुछ घटनाओं से जनता पार्टी का नाम जोड़ दिया। उनको इस प्रश्न को उठाने की इजाजत मिली और उन्होंने प्रश्न उठाया। सवाल है कि किसी पार्टी का नाम इससे जोड़ने का अधिकार किसी सदस्य को मिलेगा। अगर मिलेगा तो पार्टी के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वह अपनी पार्टी की नीतियों को सदन के सामने रखें। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर एक सदस्य को किसी पार्टी को बदनाम करने की अनुमति आसानी से प्राप्त होती है तो दूसरे सदस्यों को भी उसी प्रकार की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए ताकि वे अपनी नीतियों को स्पष्ट कर सकें कि हमारी दल की यह नीतियां हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह आप व्यवस्था मांग रहे हैं ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, इसी पर मैं व्यवस्था मांग रहा हूं। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां यह प्रश्न आने के बाद यह सदन की सम्पत्ति हो जाती है। इसलिए श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि यदि इस अंश को जो जनता पार्टी से सम्बन्धित है या तो आप उसे कार्यवाही से निकाल दें या सारे सदस्यों को इसका उत्तर देने के लिए आप आज्ञा प्रदान करें। इस बात की व्यवस्था चाहता हूं।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, जो मैं व्यवस्था दे रहा हूं उसे पहले सुन लें। व्यवस्था मैं पहले दे चुका हूं और उसी को दूसरे शब्दों में श्री कल्पनाथ सिंह जी ने कह दिया। मैं व्यवस्था देना चाहता हूं कि प्रतिदिन सदन में, विधान मन्डलों में पार्टियों के नाम बराबर लिए जाते हैं और लेने का माननीय सदस्यों को अधिकार हैं। तमाम सदस्यों को उनके उत्तर देने का अधिकार भी है। यह सूचना देने का शून्य प्रहर है। इसका अधिकार माननीय सदस्यों को उत्तर देने का नहीं है। लेकिन यहां की सरकार का दायित्व इसके सम्बन्ध में उत्तर देने का, सूचना देने का उस सदस्य को है। यहां की सरकार इस सम्बन्ध में यदि समझती है कि इन्होंने आरोप गलत लगाए हैं और आरोप मिथ्या हैं, तो अपना उत्तर देगी। इस सम्बन्ध में उनको पूरा अधिकार है, पार्टियों को कहने का और प्रतिदिन– पार्टियों के नाम लिये जाते हैं, लिए जाते रहेंगे और लिया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मेरी एक सूचना है . . . .

श्री अधिष्ठाता—

शतरुद्ध प्रकाश जी इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था न उठायें।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है कि इन सूचनाओं को लेने के लिए कुछ नियम हैं और अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दिया था तो उन्होंने स्वीकार किया था कि वह नियमों के अन्तर्गत लिए जा सकेंगे जो लोक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, न कि आरोप-प्रत्यारोप होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य ने सूचना दी है वह आरोप-प्रत्यारोप से भरी है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि इस सूचना को इस सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

इस सम्बन्ध में मैं तो अपनी अन्तिम व्यवस्था दे चुका हूं।

श्री शतरूद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि शून्य काल में 3-4 बार मेरा नाम ले चुके हैं इसलिए मैं सूचना देना चाहता हूं कि जब आपने मेरा नाम लिया है, तो मेरी बात आप सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

आपको बार-बार बुलाया लेकिन बीच में अन्य माननीय सदस्य खड़े हो जाते रहे, इसलिए उनको सुनना पड़ा।

शासन के कुछ विभागों में इन्दिरा सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रमों का प्रचार जारी रखने के विषय को सदन के संज्ञान में लाना

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, आश्चर्य की बात है कि आन्तरिक आपातस्थिति के समाप्ति एवं इन्दिरा तानाशाही के खात्मे के बाद अब भी उत्तर प्रदेश के कुछ सरकारी दफ्तरों में आपात स्थिति के गर्भ से निकले 20 सूत्री कार्य क्रम का प्रचार जोर-शोर से चल रहा है जबकि शासन की नीति आपात स्थिति के अवशेषों को मिटाना है न कि उनको जीवित रखना है।

हमारी यह मान्यता है कि 20 सूत्री कार्य क्रम कुछ नहीं था। इसके अलावा कि उसके जरिए आपात स्थिति एवं तानाशाही की कमजोरियों को छिपाया गया और 20 सूत्री कार्य क्रम झूठी प्रगति का मुखौटा और नारा बनाया गया जिसे देश व प्रदेश की जनता ने कभी भी स्वीकार नहीं किया।

सम्प्रति उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के कार्यालय से लोक सेवा आयोग की सेवाओं हेतु आवेदन-पत्र निःशुल्क एवं शुल्क सहित बांटे जा रहे हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखा है "बीस सूत्री कार्यक्रम प्रगति की रूप रेखा है" और यही शब्दावली लोक सेवा आयोग के दफ्तर द्वारा बांटे जा रहे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन-पत्रों के साथ-साथ दिए जा रहे सामान्य निर्देश पत्रों में भी छपी हुई है।

अत : मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से सदन का ध्यान इस महत्वपूर्ण सूचना की ओर आकर्षित करते हुए लोक सेवा आयोग कार्यालय, इलाहाबाद द्वारा बांटे जा रहे आवेदन-पत्रों एवं अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश पत्रों से तत्काल 20 सूत्री सम्बन्धी प्रगति के झूठे नारे को निकलवा कर बांटे जाने की मांग सरकार से करता हूं।

मान्यवर, मेरे सामने संलग्न आवेदन-पत्र का सारांश यह है कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि बीस सूत्री कार्य-क्रम प्रगति की रूपरेखा है।

श्री अधिष्ठाता—

भाषण नहीं। पढ़ने का जो था आपका हो चुका है। अब नहीं।

माननीय मन्त्रीगण इस सम्बन्ध में जो सूचना होगी, वह एक सप्ताह में दे देंगे।

सदन के संज्ञान में लाई जाने वाली परस्पर विरोधी सूचनाओं के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)—

मेरी एक व्यवस्था है। शून्य प्रहर के लिए हम सदस्य आपके पास अनेक सूचनाएं देते हैं। समझा यह जाता है कि वह अवलंबनीय लोक महत्व की हैं। कभी ऐसा होता है कि परस्पर विरोधी सूचनायें आ जाती हैं। एक की सूचना सदन में आ गयी जैसे कि आज बांदा से सम्बन्धित सूचना थी। मेरी निश्चित जानकारी है कि माननीय सदस्य परमार ने भी एक इस तरह की सूचना दी थी लेकिन उसको नहीं लिया गया। मैं आपके ऊपर कोई आक्षेप करने की धृष्ठता नहीं कर सकता लेकिन आप विचार करलें कि एक पक्ष को तो प्रस्तुत करने का मौका मिल गया लेकिन दूसरे सदस्य को अपनी सूचना प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला। अगर उनको भी मौका दिया गया होता तो पूरे तथ्य आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत हो जाते।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मैंने भी एक सूचना दी थी। उस सूचना में कौनसी ऐसी त्रुटियां थीं जिनके कारण वह अस्वीकृत कर दी गयी। वहां गन्डक और बांसी के कटाव से काफी क्षति हुई है....

श्री अधिष्ठाता—

कृपया एक-एक करके। राजेन्द्र कुमार जी ने जो कहा उसके बारे में पहले कह दूं। मुझे दफ्तर ने पहले और अब भी ऐसा बतलाया कि उस सम्बन्ध में सूचना पहले ही पढ़ी जा चुकी थी। जो सूचना यहां पहले आ चुकी उसको दुबारा नहीं लिया गया। सचिव यह बतला रहे हैं कि सात सितम्बर को यह सूचना आयी थी माननीय सदन के सम्मुख। इसलिए अध्यक्ष ने, आज के अध्यक्ष ने, केवल एक को ही इजाजत दी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

उस सूचना में तथ्य दूसरे थे और आज दी है उसमें भिन्न तथ्य हैं। आज की सूचना का सम्बन्ध पहले की सूचना से नहीं था।

श्री अधिष्ठाता—

निवेदन यह है कि माननीय सदस्य प्रति दिन, आज मैंने देखा, 20, 22, 24 सूचनायें शून्य प्रहर के लिए देते हैं। अध्यक्ष को उसमें से केवल पांच छांटनी पड़ती हैं। यह कहना कि कोई महत्वहीन सूचना देते हैं, ठीक नहीं होगा। सभी में महत्व की चीजें हैं लेकिन उन महत्वपूर्ण में से भी पांच को छांटना पड़ता है। अब किसी को तकलीफ हो कि उसकी सूचना नहीं ली गयी तो अध्यक्ष को लाचारी हो जाती है। उसका भी उपाय है कि दूसरे दिन लायें, तीसरे दिन लायें, बराबर देते रहें। जहां तक इस सूचना का सवाल है तो एक ही विषय पर दो आ गयीं और उसमें से एक पहले आ गयी थी जैसा कि इसमें सात तारीख को आ चुकी है तो आज केवल एक ही को आज्ञा दी गयी।

*श्री राजेन्द्र कुमार—

नियमों के अनुसार हम सचिव के कार्यालय की टीका नहीं कर सकते लेकिन मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि माननीय जगन्नाथ सिंह ने दी है उसमें पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की बात है। सात तारीख की सूचना में यह विषय नहीं था। इसलिए इस पर आपको जानकारी प्राप्त करनी होगी कि दोनों सूचनाओं के विषय भिन्न हैं। इसलिए जो एक सूचना को आपने अनुमति दी है उसको भी आज स्थगित कर दें और फिर दोनों सदस्यों को अपनी सूचनाएं देने की अनुज्ञा प्रदान करें।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो नहीं हो सकता कि जो प्रोसीडिंग्स का पार्ट बन गया और जिसकी अध्यक्ष ने आज्ञा दे दी उसको निकाल दिया जाय। (बिजली चली गयी) अगर कोई आपत्ति इस सम्बन्ध में आपको हो तो कल-परसों अध्यक्ष महोदय वापस आयेंगे और यदि उनकी आज्ञा होगी तो फिर आपको अवसर मिलेगा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पन्द्रह मिनट के लिए हाउस स्थागित कर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

क्योंकि बिजली चली गयी इसलिए सदन को पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित किया जाता है।

(इसके बाद 12 बजकर 32 मिनट पर सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तथा 12 बजकर 47 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्याम धर मिश्र के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 29 का गलत उत्तर दिए जाने के सम्बन्ध में दोषी पाए गए अधिकारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)—

मैं षष्ठ विधान सभा में दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 को श्री वीर सिंह सेंगर सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर गलत दिए जाने के सम्बन्ध में दोषी पाए गए अधिकारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए करण (चतुर्थ संस्करण) के पैरा 313 के अन्तर्गत सदन को देता हूं जो इस प्रकार है :—

"अध्यक्ष महोदय,

विधान सभा के तृतीय सत्र 1974 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री वीर सिंह सेंगर के प्रश्न सं0 29 जिसका उत्तर विधान सभा में दिनांक 17 दिसम्बर, 1974 को दिया गया था, के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने अध्यक्ष महोदय से शिकायत की थी कि प्रश्न के उत्तर में सामुदायिक विकास मन्त्री ने जो उत्तर दिया था वह सही नहीं है। उनकी यह सुनिश्चित जानकारी है कि उत्तर देने की तिथि तक प्रधान के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया गया था, पुलिस तफतीस कर रही थी। अत: सूचना की सत्यता की जांच करा कर माननीय मन्त्री जी सदन को सही जांनकारी देने की कृपा करें तथा यह भी सूचित करें कि गलत सूचना देने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी को क्या दन्ड दिया गया।

उस समय सदन में यह उत्तर दिया गया था कि "प्रधान के विरुद्ध 409 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत न्यायालय में मुकदमा चला दिया गया है।"

उक्त उत्तर सही नहीं था। सही उत्तर इस प्रकार है—

"श्री राम नरायन पचौरी, प्रधान, ग्राम सभा उमरी के विरुद्ध न्यायालय में अभी तक वाद नहीं चल रहा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जानकारी पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त मामला अभी जांच के अन्तर्गत है।" तदनुसार इस सम्बन्ध में 2 नवम्बर, 1976 को प्रश्न का संशोधित उत्तर दिया जा चुका है।

शासन को गलत सूचना भेजने के लिए सम्बन्धित डिप्टी कलेक्टर, जालौन को भविष्य में अधिक सतर्कता बरतने हेतु चेतावनी दे दी गई है।"

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

शासन ने जो यह चेतावनी दी है क्या यह चरित्र पंजिका में अंकित की जा चुकी है अथवा जबानी चेतावनी दी गयी है।

श्री जमुना प्रसाद—

इसकी जानकारी कर ली जायगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977†

श्री उदित नारायण (जिला हमीरपुर)—

श्रीमन्, मैं सदस्य, विधान सभा, दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उदित नारायण—

श्रीमन्, मैं दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर: स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1977†

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान मन्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1977 को पुर: स्थापित करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

एक कार्यस्थगन प्रस्ताव श्री पुरुषोत्तम कौशिक का आया है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदियों से कटाव के सम्बन्ध में है। एक तो वह हैं नहीं। दूसरे दैवी आपत्तियों के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव नहीं लिया जाता है। फिर आज असरकारी दिन भी है। उस दिन भी यह नहीं लिया जाता है।

(श्री पुरुषोत्तम कौशिक के सदन में आ जाने पर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मेरी बात सुन लें। आज असरकारी दिन है तो क्या कल आप इसको ले सकते हैं?

---

†दिनांक 12 सितम्बर, 1977 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ठ में छपा है।

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न न करें मैं कौन जवाब देने वाला हूं। आप मन्त्री महोदय से प्रश्न कर सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

आप अधिष्ठाता भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। इसलिए मैं आपसे आश्वासन चाहता था।

श्री अधिष्ठाता—

आप क्या व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं यह आश्वासन चाहता था . . . .

श्री अधिष्ठाता—

मैं कैसे आश्वासन दे सकता हूं, आप सरकार से आश्वासन मांग सकते हैं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मैं यह कह रहा था कि आज असरकारी दिवस के कारण अगर आप इसे नहीं ले सकते तो कल ले लीजिए।

श्री अधिष्ठाता—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव आज यह नहीं लिया जा सकता इसके कारण मैं बतला चुका हूं। फिर माननीय कौशिक जी थे भी नहीं, अब आ गए हैं। यह कार्यवाही से मालूम हो जायगा।

श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)—

अधिष्ठाता महोदय, अभी इतने लोक महत्व के प्रश्न हैं उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया जा रहा है। मेरा एक आवश्यक प्रश्न था इसको छोड़ दिया है। मैं उसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री जगन्नाथ सिंह परमार सदन त्याग कर चले गए।)

फैजाबाद मण्डल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा आयोग गठित करने के सम्बन्ध में संकल्प

श्री अधिष्ठाता—

अब संकल्प ले रहा हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं सदन के सम्मुख विचार हेतु यह संकल्प पेश करता हूं—"सदन की निश्चित राय है कि फैजाबाद मण्डल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक आयोग गठित करे जो 6 मास के अन्दर अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दे और जिसकी संस्तुतियों को अविलम्ब लागू करने हेतु प्रभावी कदम उठाया जाय।"

(इस समय 12 बजकर 53 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, इस प्रस्ताव को पेश करते हुए मुझे घोर मानसिक पीड़ा व हार्दिक वेदना हो रही है। मेरा फैजाबाद मण्डल इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा मण्डल है। उत्तर प्रदेश के 6 जन-

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

पद फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी को अपने में समेटे इस मण्डल की जो दुर्दशा पिछले 30 वर्षों में आजाद भारत में हुई है उसकी दूसरी मिसाल प्रदेश और देश में नहीं मिलती है। मान्यवर, इस सबके लिए, मैं किसी को दोषी नहीं कहता। यह इस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य ही है। अन्यथा राजनीतिक तथा धार्मिक सभी क्षेत्रों में सारे देश को प्रेरणा देने वाला यह क्षेत्र इस तरह से उपेक्षित नहीं होता जिसकी आबादी संसार के 70 देशों से भी ज्यादा है, जिसकी आबादी इस देश में भी बहुत से प्रदेशों से भी ज्यादा है उसकी इतनी उपेक्षा न हुई होती। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने इस प्रस्ताव को रखते हुए अपने प्रदेश की आबादी के 1/6 जनता की ओर से, फैजाबाद मण्डल की जनता की उपेक्षा के कलंक को दूर करने की मांग कर रहा हूं। आज जब हम इस सदन में इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, इस प्रदेश की 17 प्रतिशत जनता आपकी ओर आंखें लगाए आशा भरी निगाह से देख रही है कि उसके भाग्य के बारे में आपका क्या निर्णय होता है। श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव द्वारा फैजाबाद मण्डल की करोड़ों जनता के लिए दया की भीख नहीं वरन् इस माननीय सदन से न्याय की मांग कर रहा हूं और मुझे विश्वास है मान्यवर, कि इस न्यायप्रिय सदन द्वारा हमारे साथ पूरी तरह से न्याय होगा। मान्यवर, फैजाबाद मण्डल आज तक उपेक्षित और पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है यह वहां के हम निवासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश और प्रदेश के लिए कलंक की बात है।

रामराज्य की प्रेरणा देने वाली राम जन्म-भूमि, दानी दलीप, सत्यवादी हरिश्चन्द्र, मातृभक्त श्रवण कुमार, स्वतन्त्रता आन्दोलन के अमर सेनानी मंगल पाण्डेय, मौलवी अहमद शाह, राजा देवी बख्श सिंह, गालिब जंग, रफी अहमद किदवई, आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 राम मनोहर लोहिया तथा रामसेवक यादव जैसे नेताओं और विचारकों को पैदा करने वाली धरती आज भी उपेक्षित है।

मान्यवर, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ हम प्रदेश के 17 प्रतिशत से अधिक लोग सरकार की ओर आशा लगाए बैठे रहे परन्तु आप जानते हैं हमारे साथ क्या हुआ।

हमारी विषम और विशेष परिस्थितियों पर ध्यान देने की बात तो दूर रही, साधारण दिशा में बनने वाली योजनाओं में भी, हमारे साथ राजनैतिक दांव-पेंच खेले गए, हमें ठगा गया और हमारे साधनों का दुरुपयोग किया गया, हमें लाभ पहुंचाने के बजाय हानि पहुंचाई गई।

गोण्डा, बहराइच में कागज की जो फैक्ट्री लगने वाली थी, सारे साधन होते हुए भी उसे लखीमपुर-खीरी स्थानान्तरित किया गया। सरयू परियोजना हमारे मण्डल में चलेगी मगर उसकी दिशा इस प्रकार से मोड़ दी जायगी कि स्वयं वह जिला भी लाभान्वित नहीं होगा, जहां से वह चालू होगी।

इसी प्रकार लघु ट्रैक्टर की फैक्ट्री और उर्वरक का कारखाना फैजाबाद से नाटकीय ढंग से लखनऊ और गोरखपुर स्थानान्तरित कर दिया गया।

मान्यवर, इसी प्रकार से मण्डल के जनपदों में लगाए जाने वाले प्रस्तावित उद्योगों को अगर आप देखें तो पता चलेगा कि हमारे जनपदों में उनका कार्यान्वयन नहीं हुआ। उसे हम अपना राजनैतिक दुर्भाग्य कहें या राजनीतिक नेताओं और कर्णधारों का अपने ऊपर अत्याचार---इसका फैसला मैं इस आदरणीय सदन पर छोड़ता हूं। मान्यवर, इसी तरह

से उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने यहां पर 3 बड़े उद्योग लगाने का प्रस्ताव किया था, लेकिन मुझे पता चला है कि उसमें भी राजनैतिक दांव-पेंच खेला है और कुछ प्रभावशाली मन्त्रियों की कृपा से शायद वे बड़े उद्योग भी मेरे जिले से ही नहीं वरन् मण्डल से ही बाहर जाने वाले हैं। इस तरह से 30 वर्ष के शासन में फैजाबाद मण्डल के साथ जैसा सौतेला व्यवहार किया गया है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि अर्थशास्त्री जब योजना बनाने बैठते हैं, तो उस समय उनके सामने जो उत्तर प्रदेश का नक्शा रखा जाता है, उसमें से फैजाबाद मण्डल का भूमण्डल निकाल दिया जाता है। सदैव उसे अलग रखा गया है। बहुत दिनों तक तो इस मण्डल की स्थिति त्रिशंकु की भांति बनी रही है, उसकी गणना न पूर्वी उत्तर प्रदेश में की जाती थी न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की जाती थी।

मान्यवर, नेशनल काउंसिल आफ अप्लाइड एकोनामिक रिसर्च ने देश के पिछड़े हुए 289 जिलों का एक सर्वेक्षण कराया था और उस सर्वेक्षण में देश भर में जो 58 जिले अपनी परकैपिटा इन्कम में नेशनल इन्कम से कम पाए गए थे, उनमें से 22 जिले केवल उत्तर प्रदेश के थे। यही नहीं फैजाबाद मण्डल के साथ जो उपेक्षा बरती गयी है, वह इससे भी साबित है कि फैजाबाद मण्डल के सभी 6 जिले उन 22 जिलों में शामिल थे तो यह हाल है फैजाबाद मण्डल का। यही नहीं, बल्कि फैजाबाद, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर जिले उस लिस्ट के 11 सबसे नीचे वाले जिलों में थे। उनमें से भी सुल्तानपुर जिला तो सूची में नीचे से दूसरे स्थान पर था। इसके साथ ही फैजाबाद जिले का भी स्थान, जो मण्डलीय हेडक्वार्टर है बहुत ऊंचे स्थान पर नहीं था। मान्यवर, भारत सरकार ने वैंकटाचलम कमेटी नियुक्त की थी, जिसने जिलों के पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए कुछ क्रायटेरिया तय किए थे और उसके आधार पर पूरा फैजाबाद मण्डल पिछड़ा इलाका घोषित हो चुका है। इसलिए इस बात की अब कोई बहस नहीं है कि फैजाबाद मण्डल पिछड़ा है या नहीं। यह तो सरकार मान चुकी है। मान्यवर, आप जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन पिछड़ापन दूर करने के लिए आबादी के अनुसार अनुदान देती है। लेकिन मैं यह बड़ी विनम्रता के साथ कहने की धृष्टता करने का साहस करूंगा कि इस मामले में भी फैजाबाद मण्डल के साथ न्याय नहीं किया गया है। 15 पूर्वी जिलों के लिए, जिनमें फैजाबाद मण्डल के बाराबंकी जिले को छोड़कर अन्य सभी 5 जिले प्रान्तीय सरकार द्वारा शामिल किए गए थे, चौथी योजना में 2.20 करोड़ रुपए उनके लिए रखे गए थे। उसी समय यह मांग की गयी थी कि चौथी योजना में शासन द्वारा फैजाबाद मण्डल के शेष पांच जिलों पर विकास हेतु किए जाने वाले विशेष प्रयत्नों को स्पष्ट किया जाय तथा केन्द्र से आबादी के आधार पर जो 60 परसेन्ट धनराशि अलग मिलती है, का एक तिहाई भाग अर्थात् 15 जिलों पर खर्च की जाने वाली कुल धनराशि का तिहाई भाग फैजाबाद मण्डल के पांच जिलों पर खर्च किया जाए, लेकिन उसमें भी हमारे साथ ईमानदारी नहीं बरती गयी।

मान्यवर, बहुत दिनों तक अन्याय और अत्याचार को सहते हुए हम लोग महान नेताओं की योजनाओं तथा स्वराज्य के सपनों को साकार होने की आशा लगाए बैठे रहे, लेकिन जब अन्याय असह्य हो गया क्षेत्र में गति न आयी, तो सर्वप्रथम 1968 में फैजाबाद मण्डल के संसद सदस्यों—श्री अटल बिहारी बाजपेई, श्री रामकृष्ण सिन्हा, श्रीमती सुचेता

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

कृपालानी, श्री रामसेवक यादव ने संयुक्त रूप से एक मेमोरेण्डम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश को दिया। हमारे क्षेत्र के साथ किस तरह का सौतेला व्यवहार किया गया था, उस सम्बन्ध में मैं उस मेमोरेण्डम से एक पैराग्राफ आपकी अनुमति से यहां पढ़ना चाहूंगा--

"During the pre-independence days the feudal lords who owned considerable part of the division styling themselves as Rajas were not interested in undertaking any developmental activities that could ameliorate the condition of the people. Similar was the attitude of the British rulers who in particular adopted an attitude of persecution towards the districts of this division, and particularly Faizabad which had become a centre of revolutionary activities. Such revolutionaries are Acharya Narendra Dev and Dr. Ram Manohar Lohia who were from Faizabad and the first Gandhi Ashram was also set up in the district. But it is a pity that while other backward districts of U. P. have received adequate attention from the Central and State Governments since Independence, this division should have been continued to receive the same stepmotherly treatment."

श्री अधिष्ठाता--

माननीय तिवारी जी हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

उसका अनुवाद कर रहा हूं। इसके पहले जो फ्यूडल लार्ड्स थे जो कि राजा के नाम से जाने जाते थे, जिनका इस क्षेत्र के अधिकतर हिस्सों में आधिपत्य था, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं ली और इस के पहले ब्रिटिश शासकों ने कोई दिलचस्पी नहीं ली बल्कि दण्ड देने की प्रवृत्ति थी उनके दिमाग में क्योंकि फैजाबाद मण्डल और विशेष कर फैजाबाद जिला उस समय क्रान्तिकारी गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बना हुआ था। ऐसे क्रान्तिकारी लोग जैसे आचार्य नरेन्द्र देव, डाक्टर राम मनोहर लोहिया थे। और फैजाबाद के अन्दर ही पहले गांधी आश्रम की स्थापना हुई। यह दुख की बात है जबकि सहायता मिलने की बात हुई, उत्तर प्रदेश के दूसरे पिछड़े जिलों को केन्द्र और राज्य की सरकारों से काफी मदद मिली। लेकिन फैजाबाद मण्डल के जनपदों के साथ वही सौतेला व्यवहार जारी रखा गया। मान्यवर, इस मेमोरेण्डम के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो उस समय फैजाबाद के अन्दर एक मण्डलीय सम्मेलन पहली बार हुआ था। 5 अप्रैल, 1970 को फैजाबाद के सभी जन-प्रतिनिधियों ने बिना राजनीतिक भेदभाव के उसमें शिरकत की और कुछ प्रस्ताव पास किए थे। उस सम्मेलन की अध्यक्षता उस समय के केन्द्रीय मन्त्री श्री दिनेश सिंह ने की थी। 4 मई, 1970 को 52 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रदेश के राज्यपाल और बाद में मुख्य मन्त्री से मिला और प्रधान मन्त्री से 24 अगस्त, 1970 को मिला था और उन्हें इस सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की प्रतिलिपि दी और मेमोरेण्डम दिया। लेकिन इस सब का कोई नतीजा नहीं निकला और प्रदेश के दूसरे इलाके विकास की दौड़ में जहां आगे बढ़ते गए वहीं फैजाबाद मण्डल उसी तेज रफ्तार से पिछड़ता गया। इतना ही नहीं मान्यवर, 22 जून, 1976 को मन्त्रि मण्डल की स्थायी मण्डलीय समिति की बैठक फैजाबाद में हुई। उसमें फैजाबाद मण्डल की सारी समस्याओं पर प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा

विचार किया गया था। लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह सारी बैकग्राउण्ड मैंने इसलिए सदन के सामने रखी, मान्यवर, क्योंकि बहुत से लोग यह कह सकते हैं कि आयोग बैठाने की मांग क्यों कर रहे हैं? कुछ यह भी कह सकते हैं कि फैजाबाद मण्डल से भी पिछड़े कुछ मण्डल हैं। अगर ऐसा किसी ने कहा तो मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि ऐसा कहना सत्य का गला घोंटना होगा, अब तक के गुनाहों पर परदा डालने का एक गर्हित प्रयास होगा।

लेकिन यदि इसके बाद भी कोई कहना ही चाहे, केवल बहस के लिए, तो मान्यवर, अपने फैजाबाद जनपद के सभी सम्माननीय साथियों की तरफ से बड़ी विनम्रतापूर्वक मेरी चुनौती है सरकार को कि वह ब्योरेवार हर क्षेत्र में प्रदेश के हर जिले की सही स्थिति को सदन में रखे और जिन क्षेत्रों में फैजाबाद मण्डल अन्य मण्डलों से आगे होगा उन क्षेत्रों में हम तब तक कोई मांग नहीं करेंगे जब तक प्रदेश के दूसरे पिछड़े जनपद हमारे बराबर नहीं पहुंच जाते। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मान्यवर, अपनी सरकार से और दूसरे जिले के लोगों से कि वह भी हमारी इस शर्त को मानें।

अब मैं मान्यवर, आपकी अनुमति से कुछ ब्योरा जिलेवार रखना चाहूंगा। फैजाबाद मण्डल में अपने जिले फैजाबाद का उदाहरण रखना चाहता हूं। अल्बानिया जैसे देश के बराबर का इसका क्षेत्रफल है। मैं बड़ी विनम्रता से आपकी अनुमति से मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि केवल दो जिलों के सारे आंकड़े सदन में रखने की कृपा करें तो स्थिति सदन के सामने एकदम स्पष्ट हो जायगी। 15 अगस्त, 1947 को पर कैपिटा इनकम, शिक्षा, उद्योग तथा अन्य सभी क्षेत्रों में गोरखपुर जिले की क्या स्थिति थी और आज क्या है और इसी तरह से 15 अगस्त, 1947 को फैजाबाद जिले की क्या स्थिति थी और आज क्या है? मैं मेरठ और दूसरे पश्चिमी जिलों की बात नहीं करता। दूसरी मिसाल मैं अयोध्या और बनारस की देना चाहूंगा। 15 अगस्त, 1947 को वाराणसी में गंगा जी के घाट कैसे थे और आज तक उनमें कितना पुनर्उद्धार या निर्माण का काम हुआ है और इसी बीच में अयोध्या में सरयू के घाटों के लिए क्या किया गया है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं वाराणसी में या गोरखपुर में जो कुछ हुआ उसकी आलोचना कर रहा हूं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि इन उदाहरणों से कि 30 वर्ष की इस अवधि में कितना कुछ काया-कल्प किया जा सकता था और हमारी कितनी उपेक्षा की गयी है।

मान्यवर, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, मेरे जिले ने, फैजाबाद जिले ने इतिहास के हर मोड़ पर शानदार रहनुमाई की है। भगवान राम तथा भगीरथ की जन्म-स्थली है, यह वह धरती है मान्यवर, जहां अशफाकुल्ला ने अपनी शहादत दी है। बड़ी शानदार परम्पराएं रही हैं इस जनपद की। अगर भारतीय इतिहास के पन्ने से भगवान राम के इतिहास को हटा दिया जाय तो बापू के रामराज्य की कल्पना का आधार समाप्त हो जायेगा, हिन्दू धर्म और संस्कृति का इतिहास अधूरा रह जायेगा, हरिश्चन्द्र को हटा दिया जाय तो उस सत्य का इतिहास अधूरा रह जायेगा जिसे प्रतिष्ठित करने के लिए राष्ट्रपिता बापू ने जीवन भर संघर्ष किया, जीनत महल और अहमद शाह के कारनामों को हटा दीजिए तो 1857 की क्रान्ति का इतिहास अधूरा रह जायेगा, स्वर्गीय आचार्य नरेन्द्र देव और डा० लोहिया के

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

कारनामों को हटा दीजिए तो 1942 की अगस्त क्रान्ति और देश के समाजवादी आन्दोलन का इतिहास अधूरा रह जायेगा। लेकिन उस फैजाबाद के साथ मान्यवर, कैसा सलूक किया गया है पिछले 30 वर्षों में उसका एक उदाहरण रखने की इजाजत चाहूंगा।

श्रीमन्, पिछले विधान सभा चुनाव में मेरे चुनाव क्षेत्र में हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चन्द्रशेखर जी गए थे। उनके साथ दिल्ली के कुछ पत्रकार भी थे। वापसी में उनमें से एक पत्रकार मित्र ने कहा था कि लगता है इन्द्रा जी को इस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है, वरना आपातकाल में जेलों में जगह की कमी की जो समस्या थी उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। मीसा और डी0आई0आर0 के सारे कैदियों को लाकर कटेहरी क्षेत्र में छोड़ दिया जाता तो भागने का कोई सवाल ही नहीं था। और उन लोगों का यह कहना सही था। मान्यवर, कटेहरी विधान सभा क्षेत्र के बीचो-बीच से लखनऊ-फैजाबाद वाराणसी रेल लाइन जाती है। उसके उत्तर में मान्यवर, पिछले 30 वर्षों में एक इंच भी सड़क नहीं बनी है। आजादी के पहिले भी वहां एक इंच पक्की सड़क नहीं थी। हालांकि उत्तरी छोर पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है जहां पर वर्ष में लाखों तीर्थ यात्री सरयू स्नान करने जाते हैं। यह स्थान गोसाईंगंज से शेरवा घाट मार्ग पर स्थित है। गोसाईंगंज से शेरवा घाट की 12 किलो मीटर लम्बी सड़क का केवल इतना ही महत्व नहीं है कि यह एक धार्मिक स्थान तक जाती है वरन् अगर यह सड़क बन जाए तो बस्ती जिले से गोसाईंगंज कस्बे की दूरी बहुत कम हो जायेगी। इसी तरह से इस क्षेत्र में रेलवे लाइन के उत्तर की दूसरी प्रमुख सड़क अकबरपुर बनगांव–अमसिन की है और तीसरी सड़क माया बाजार महबूबगंज है। लेकिन आज तक इन सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ।

मान्यवर, कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में भीटी और कटेहरी दो पूरे ब्लाक हैं और मया ब्लाक का लगभग आधा हिस्सा है। श्रीमन्, तीसरी योजना काल में सड़क विकास हेतु गठित बम्बई योजना के अनुसार मुख्य अभियन्ताओं की एक बैठक में वर्ष 1961 में यह निर्णय लिया गया था कि वर्ष 1981 तक सभी 1500 आबादी वाले गांव सड़कों से सम्बद्ध हो जाने चाहिए तथा अन्य सभी सघन कृषि क्षेत्र के गांव पक्की सड़कों से 6 किलोमीटर से अधिक तथा साधारण सड़कों से 2 से 4 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं रहने चाहिए। लेकिन उस निश्चय के 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी भीटी ब्लाक की यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि खण्ड मुख्यालय से 16 किलोमीटर चलने के उपरान्त ही पक्की सड़क एवं टेलीग्राम की सुविधा प्राप्त होती है।

इस विकास खण्ड के उत्तर में मड़हा तथा मध्य में विसुई नदी की स्थिति से इस ब्लाक का बहुत बड़ा हिस्सा टापू बन कर रह गया है। दक्षिण में मझुई नदी सुल्तानपुर की सीमा से तथा उत्तर में मड़हा नदी गोसाईंगंज बाजार से काट देती है जिसके कारण यहां का निवासी दैनिक उपभोग की वस्तुओं के लिए 26 से 30 किलोमीटर चलकर गोसाईंगंज तथा अकबर पुर बाजारों से प्राप्त कर पाता है।

इस ब्लाक में मान्यवर, कुल एक पक्की सड़क 13 किलोमीटर की है जब कि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 20 हजार 903 हेक्टर है और जनसंख्या का घनत्व 480 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस ब्लाक के विकास के लिए जरूरी है कि महरूआ से भीटी तक

(9 किलोमीटर), भीटी से ओनी तक (3 किलोमीटर), रायगंज से मिझौड़ा तक (10 किलोमीटर), भीटी से सेमरी तक (16 किलोमीटर), गोसाइगंज से मिझौड़ा होते हुए महरूआ तक (14 किलोमीटर) तथा भीटी से चौरे की सड़कों को अविलम्ब पक्की बनाया जाये। इसी प्रकार से मान्यवर, कटेहरी ब्लाक में भी जिसकी आबादी एक लाख से ऊपर है केवल 28.2 कि0 मी0 पक्की सड़क है जो राष्ट्रीय मार्ग है। इस क्षेत्र में भी मान्यवर, पिछले 30 वर्षों में केवल एक सड़क औरंग नगर से अन्नावा तक बनना शुरू हुई थी परन्तु वह भी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि एक प्रभावशाली कांग्रेसी नेता और विधायक उसे पुरानी सड़क से न ले जाकर नए रास्ते से ले जाना चाहते थे केवल इसलिए ताकि दो कुर्मी लोगों का चक खराब हो जाये जो उनके राजनैतिक विरोधी थे। हालांकि उससे पूरे क्षेत्र का नुकसान होगा, मान्यवर। अगर वह सड़क पुराने रास्ते से जाती, तो श्रवण क्षेत्र पर मझहा और विसुही के संगम पर पुल बनता जिससे पूरे क्षेत्र के लिए आवागमन सुलभ होता। जब ऐसा नहीं हुआ तो क्षेत्रीय लोगों ने विरोध किया। मैं अधिकारियों से मिला तो उन्होंने मजबूरी प्रकट की। महरूआ बाजार से नसीरापुर का रास्ता सुल्तानपुर जिले को मिलाता है। इसी तरह से मान्यवर, मेरा पूरा क्षेत्र सरयू-घाघरा टोंस मझहा विसुई थिरूआ कौहड़सा, दखन आदि नदी नालों और झीलों से घिरा है और असलियत तो यह है मान्यवर, कि नदी नालों के बाहुल्य से 182 किलोमीटर लम्बे जनपद की यातायात समस्याएं बहुत ही जटिल हो गई हैं। मिझौड़ा, बसोहरी, नरायनपुर और श्रवण क्षेत्र पर पुल न होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों का बरसात में निकलना मुश्किल हो जाता है और कभी-कभी दस मील से ज्यादा फासला घूमकर लोगों को सड़क तक आना पड़ता है। लोगों में आशा थी मान्यवर, कि 30 वर्षों से उपेक्षित इस क्षेत्र के लिए जनता सरकार कुछ करेगी। मगर इस वर्ष का बजट देखकर मान्यवर, सारी आशा निराशा में बदल गयी। नेता सदन के चुनाव के बाद मान्यवर, कुछ लोगों ने मुझ से कहा था कि जो कुछ तुमने किया है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। उस समय मान्यवर, मैंने इस पर विश्वास नहीं किया था। मगर बजट का जो स्वरूप देखने को मिला है उससे मुझे भी कुछ शंका हो रही है। एक भी नई सड़क या पुल हमारे क्षेत्र को नहीं मिला है।

इस बारे में मान्यवर, अपनी सरकार में बैठे हुए लोगों से मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि वे लोग लोक नायक जय प्रकाश की उस चिट्ठी को पढ़ लें जो उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को लिखा था। जय प्रकाश जी ने लिखा था कि यदि जुर्म मैंने किया है तो सजा पूरे मुल्क को क्यों दे रही हो। मैं भी माननीय नेता सदन से विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि उनकी नजरों में मैंने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा कटेहरी क्षेत्र की जनता को नहीं मिलनी चाहिए, भगवान के लिए आप और आपको मन्त्रि परिषद् के लोग उनसे बदले की भावना से काम न लें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने मन्त्रियों और नेता सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम जनहित के मसलों में, सार्वजनिक मामलों में, घटक और दल की भावना से ऊपर उठ कर सोचें। ट्रान्सफर और अप्वाइंटमेंट के मामलों में आप मेरी न सुने मुझे कोई शिकायत नहीं है हालांकि मुझे पता चला है कि मितव्ययिता का नारा देने वाली

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

हमारी सरकार के केवल एक विभाग ने एक दिन में केवल एक तार स्थानान्तरण के बारे में भेजने में लगभग 70 हजार रुपए खर्च किए हैं। फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, मान्यवर।

लेकिन जब कटेहरी जैसे उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है जब राज-शक्ति के मद में लोक शक्ति की उपेक्षा की जाती है तब मान्यवर, यह निवेदन करने के लिए मैं मजबूर हूं कि माननीय नेता सदन के नेतृत्व में बनी सरकार के मन्त्रियों को घटकों से ऊपर उठ कर दल के नेता के रूप में काम करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आपने जान-बूझ कर उपेक्षा की। लेकिन न्याय का सिद्धान्त है कि केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि न्याय किया जाय बल्कि यह भी आवश्यक है कि देखने वालों को लगे कि न्याय किया गया है।

मान्यवर, मैं केवल दो दृष्टान्त रखना चाहूंगा। इस वर्ष के बजट में आजमगढ़ जिले की 11 नई सड़कों का उल्लेख है जिनमें से 10 नई सड़कों की लम्बाई 114 किलोमीटर और उन 10 नई सड़कों की अनुमानित लागत 1 करोड़ 68 लाख 82 हजार रुपए है। इसके अलावा अनुदान संख्या 86 के सीरियल×पर पेज 286 पर इकट्ठे चार जिलों की अनुमान 12 हजार 885 करोड़ का दिया हुआ है जिसमें आजमगढ़ भी शामिल है। दूसरी तरफ फैजाबाद जिले में जहां तक मैं समझ पाया हूं कि केवल 7.80 किलोमीटर लम्बी एक नई सड़क ली गई है।

इसी प्रकार से मान्यवर, इस वर्ष के बजट में आजमगढ़ में तीन नए पुलों के निर्माण का प्राविधान किया गया है। जिनका अनुमानित व्यय 1 करोड़ 15 लाख रुपया दिखाया गया है। दूसरी तरफ फैजाबाद में केवल एक नए पुल का प्राविधान किया गया है और उस पर अनुमानित व्यय 19 लाख 60 हजार रुपए का है।

एक बात और ध्यान में रखने लायक है श्रीमन्, कि फैजाबाद की यह नई सड़क और नया पुल जो दिया गया है वह भी उसी इलाके में दिया गया है जो आजमगढ़ के बगल का इलाका है। इसी प्रकार मृत्यांण्ड और (पाटरी) विकास केन्द्र, निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में भवनों के निर्माण हेतु अनुमानित लागत 9 लाख 68 हजार 200 रु0 का प्राविधान है। तो फैजाबाद यानी अयोध्या में जहां मेले लगा करते हैं को जलपुलिस दी गई है।

मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी और माननीय मुख्य मन्त्री जी आजमगढ़ को अधिक से अधिक प्रगति के पथ पर ले जायें और उसका ज्यादा से ज्यादा विकास करें, मुझे उसमें हर्ष होगा। लेकिन मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता ने ऐसा कौन गुनाह किया है कि वहां की एक भी सड़क या पुलिया अथवा पुल इस वर्ष निर्माण हेतु नहीं लिया गया।

मान्यवर, कुछ महीनों पूर्व हमारे जिले में विश्व बैंक की एक टीम आई थी जिसके अध्यक्ष इजराइल के डा0 बेनूर थे। उन्होंने कुछ गांवों में खेती की सफलता और समुन्नत स्तर को देख कर यह आशा व्यक्त की थी कि यदि देश के सभी भाग इसी प्रकार विकसित हो जायें तो भारतवर्ष ने केवल अभाव जनित समस्याओं से मुक्त हो जायेगा वरन् बाहुल्य की विषम परिस्थितियों से आक्रान्त हो उठेगा।

यदि यातायात विकास को किसी विशेष योजना द्वारा जनपद के इस अभाव को शीघ्रातिशीघ्र कम किया जा सके तो निश्चय ही आधारभूत उद्योगों का विकास कर यह जनपद देश में प्रगति का केन्द्र बिन्दु बन सकता है।

डा0 बेनूर को इस सलाह के सन्दर्भ में हमारी सरकार ने फैजाबाद में 7.80 किलोमीटर नई सड़क की जो व्यवस्था की है उसके लिए हम सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को हार्दिक बधाई देते हैं। जून, 77 तक सड़कों की उपलब्धि के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर उत्तर प्रदेश का औसत 48 किलोमीटर प्रति लाख आबादी पर है, परन्तु फैजाबाद का औसत 34.3 किलोमीटर प्रति लाख आबादी पर है। इसी तरह से फैजाबाद में प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र में 15.5 किलोमीटर औसत आता है। बाम्बे योजना के तहत इस जिले में 1981 तक 771 किलोमीटर पक्की सड़क होनी चाहिए जिसमें कुल 563 किलोमीटर पक्की सड़क है। इसमें 44 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग भी शामिल है। इस तरह से 218 किलोमीटर सड़क अभी पक्की हो तब बाम्बे योजना के तहत जो मिनिमम काम होना है वह पूरा होगा। और धन्य हैं हमारे सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय जिन्होंने इस वर्ष बड़ी कृपा कर के 7.80 किलोमीटर का प्राविजन किया है। तो यदि इसी रफ्तार से शासन की कृपा बनी रही तो यह 218 किलोमीटर बनने में लगभग 30 वर्ष लग जायेंगे यानी 1981 का काम 2007 में पूरा होगा। यानी 20 वर्ष की योजना 46 वर्षों में पूरी होगी।

इसी प्रकार से फैजाबाद में अनेक नीची जल-मग्न भूमि है। वर्षा का पानी एकत्र होने से हजारों एकड़ भूमि खेती के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती है। बरसात में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय तिवारी जी आपका समय समाप्त हो गया है, जल्दी कीजिए।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, आपने मुझे 10 मिनट और बोलने का समय दिया था, अभी वह पूरा नहीं हुआ है।

मान्यवर, दखन झील की बाढ़ से इस बारे में जो सरकारी आंकड़े आए हैं, उनसे आप देखेंगे कि 1300 से 1500 एकड़ की फसल नष्ट होती है। इस झील की ड्रेनों के बनने से 620 एकड़ भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जायगी। इसी प्रकार से थिरुआ नाला की ड्रेन निकल जाने से लगभग 1000 एकड़ भूमि खेती के लिए मिल जायगी।

मान्यवर, फैजाबाद एक कृषि प्रधान जनपद है जहां पर 79 प्रतिशत लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है जबकि प्रदेश के लिए यह प्रतिशत 75.4 है।

इस प्रकार से मान्यवर, जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण हर साल इस जिले में बाढ़ से तबाही पैदा होती है। शारदा सहायक परियोजना के पूरी होने पर सूखे की समस्या का समाधान तो कुछ हद तक हो जायगा लेकिन बाढ़ का खतरा बढ़ जायगा।

सूखे और बाढ़ का स्थायी हल खोजने के लिए भी आयोग का गठन आवश्यक है।

[श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी]

इस प्रकार से आप देखेंगे मान्यवर, कि 79 प्रतिशत लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती होने के कारण जब तक कि इस जनपद की संचार व्यवस्था, खास कर सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य ठीक प्रकार से नहीं होता, जल निकासी व बाढ़ से छुटकारा दिलाने के लिए ड्रेनेज का काम पूरा नहीं होता तथा सभी कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती तब तक इसकी प्रगति के दरवाजे बन्द रहेंगे।

आज भी जहां तक कृषि योग्य भूमि का प्रश्न है इस जनपद में ऐसे भी ब्लाक हैं जहां केवल 46 प्रतिशत भूमि में सिंचाई हो रही है।

जहां तक शिक्षा का प्रश्न है यह प्रदेश के औसत से भी बहुत पीछे है। वर्ष 1971 की जन-गणना के अनुसार प्रति 100 व्यक्तियों पर साक्षरता इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश की 21.70 प्रतिशत, फैजाबाद में 19.32, गोण्डा में 14.04, बहराइच में 12.19, सुल्तानपुर में 17.86, प्रतापगढ़ में 18.50, बाराबंकी में 14.25। तो इस प्रकार से मान्यवर, आप देखेंगे कि पूरे जनपद के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसी प्रकार से मान्यवर, आप यह भी देखेंगे कि सारे प्रदेश का शायद ही कोई डिवीजन बचा हो जिसमें मेडिकल कालेज न हों लेकिन फैजाबाद में आज तक एक भी मेडिकल कालेज की व्यवस्था नहीं की गयी है। अगर भूले-भटके कभी कुछ मिल भी गया तो वह नौकरशाही की दफ्तर-शाही का शिकार हो गया, फाइलों में ही कैद होकर रह गया।

आज से वर्षों पहले डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन ने 26 लाख रुपया फैजाबाद में डेयरी खोलने के लिए लोन दिया लेकिन डेयरी अभी तक शुरू नहीं हो पाई।

वहां पर एक लाख रुपया 10-11 साल से स्टेडियम बनाने के लिए जमा है। उसका इण्टेरेस्ट भी शायद एक लाख हो चुका है लेकिन अभी तक स्टेडियम का साइट भी नहीं चुना गया है।

एक कोआपरेटिव चीनी मिल खोलने के लिए वर्षों पूर्व लोगों में शेयर बेचे गए थे लेकिन मिल का आज तक पता नहीं है।

ऊनकी फैक्ट्री लगाने के लिए बाउण्ड्री वाल भी खींची गई थी लेकिन सारी की सारी ईटें लोग दीवार तोड़कर उठा ले गए और फैक्ट्री का कहीं भी पता नहीं है।

पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना हुई थी मगर उसको भी तोड़कर तीन मण्डलों में बनारस, गोरखपुर और फैजाबाद में बांट दिया गया और प्रभावहीन बना दिया गया। अयोध्या का मास्टर प्लान बना लेकिन वह भी वहां फाईलों में खो गया है।

उद्योग निदेशालय को विकेन्द्रित करके जोनल डायरेक्टर का कार्यालय फैजाबाद में जरूर खोला गया लेकिन वह भी इंनइफेक्टिव पड़ा हुआ है।

मान्यवर, उद्योग के नाम पर हथ-करघा उद्योग ही जिले का प्रमुख उद्योग है जिसमें यह उद्योग मुख्यतया जनपद के टांडा, अकबरपुर, जलालपुर, हसैवर, भूलेपुर आदि कस्बों में केन्द्रित है। इन कस्बों के लगभग 45 हजार बुनकर इस उद्योग में लगे हैं। ये सभी ज्यादा-तर स्टेपुल धागे से लुंगी, चादर, गमछा आदि बुनते हैं, मगर धागे का भाव घटता-बढ़ता रहता

है। यू0 पी0 टेक्सटाइल कारपोरेशन ने मरैला में धागा बनाने की एक मिल खोली भी तो उसमें सूत का धागा बनता है।

इसी प्रकार बहराईच में 80 सा-मिल हैं, वहां वुड सीजनिंग प्लान्ट की गुंजायश है। गोण्डा व बहराइच में दाल मिलें हैं, इन्हें माड्रनाइज किया जा सकता है। राइस मिलों से निकलने वाले राइस ब्रान से ब्रान आइल बनाया जा सकता है जो मेडिसिन, सोप और पेन्ट्स बनाने के काम आता है। प्लाई वुड के कारखाने लगाए जा रहे हैं और मिनी शुगर प्लान्ट खड़ा किया जा सकता है।

प्रतापगढ़ में फ्रूट प्रिजरवेशन का बड़ा कारखाना खोला जा सकता है, आटो-ट्रैक्टर का कारखाना लगाया जा सकता है, उसके पार्ट्स के लिए छोटे-छोटे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में 8000 टाट पट्टी बनाने वाले लोग हैं, फैजाबाद में एक हजार जूता बनाने वाले मोची हैं। प्रतापगढ़ के बन्धुआ ग्राम में तथा अयोध्या में रायगंज में पीतल के बर्तन बनाने वाले लोग हैं,फैजाबाद में डेरी की योजना को देखते हुए जानवरों का चारा बनाने का कारखाना खोला जा सकता है। इस तरह से इनके लिए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं।

मैं दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं आपके सामने संक्षेप में एक दृष्टान्त रखना चाहता था कि फैजाबाद मण्डल की किस तरह से उपेक्षा की गयी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री ने इस वर्ष का बजट पेश करते हुए कहा था कि मैं नरेन्द्र देव का शिष्य हूं, लोहिया जी के चरणों में बैठकर मैंने राजनीति सीखी है और मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की समग्र क्रान्ति का सिपाही हूं और मेरी सरकार का उद्देश्य है कि डा0 लोहिया जो विशेष अवसर के सिद्धान्त के प्रणेता थे मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहूंगा कि इस वर्ष जो बजट रखा गया है वह उस सिद्धान्त पर आधारित है? उसमें क्या पिछड़े लोगों और पिछड़े इलाके के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गयी है? मैं निवेदन कर रहा हूं कि पिछले 30 वर्षों में शासन और सरकार ने आम आदमी के दिल और दिमाग पर यह छाप डाली है कि सरकार अन्धी और बहरी होती है। लेकिन ऐसी अन्धी और बहरी सरकारों से कैसे निपटना चाहिए, यह गुजरात की जनता, बिहार की जनता, छात्र और युवा शक्ति ने इस देश को लोकनायक के प्रेरणादायक नेतृत्व में सिखा दिया है। मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार ऐसी धारणा का समूल विनाश करेगी और हमारी जायज मांगों को मान कर एक नए युग का सूत्रपात करेगी। यह माननीय सदन भी मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर के उन करोड़ों लोगों में जो फैजाबाद मण्डल के हैं, आशा का संचार करेगा जो आज तक पिछड़े और उपेक्षित हैं ताकि वहां की जनता भी प्रगति के रथ पर सवार होकर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ विकास के रास्ते पर और आगे बढ़ सके, इस तरह का प्राविधान करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन से और अपनी सरकार से अनुरोध करता हूं कि फैजाबाद मण्डल की दुर्दशा को देखते हुए इस प्रस्ताव पर सहृदयता से विचार करें और इसको स्वीकार करें।

*श्री शम्भू नाथ (जिला जौनपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो यह प्रस्ताव है इसका जो मंशा है उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन क्या ही अच्छा होता यदि प्रस्तावक महोदय इसमें फैजाबाद मण्डल को ही न लेकर सारे पूर्वीय उत्तर प्रदेश के मसले को लिए होते। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 15 जिले उसी तरह से उपेक्षित हैं जिस तरह से फैजाबाद मण्डल की बात हमारे माननीय सदस्य ने कही है।

इस प्रस्ताव में एक बात और कही है कि आयोग गठित करें, जो छः मास के अन्दर अपना प्रतिवेदन सरकार को दे। मैं ऐसा समझता हूं अधिष्ठाता महोदय, कि 30 वर्ष के दरमियान कई बार आयोग गठित हुए जिसकी बड़ी भारी चर्चा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में पटेल आयोग बना, जगह-जगह गया। कहां-कहां गया, सारी रिकमेंडेशन्स उनकी बहुत दिनों तक तो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रहीं। पार्लियामेंट से लेकर असेम्बली तक उस पर बहस होने के बाद धीरे-धीरे उसको लागू करने के लिए सरकार कुछ उन्मुख हुई। इस प्रकार से और एक आयोग बना लें। आयोग मात्र बन जाने से कोई कार्य हो जायगा, ऐसा मैं नहीं मानता। असल में गरीबी क्यों है, पिछड़ापन क्यों है, जब तक उस पर तवज्जह नहीं दी जायगी कि क्या मूल चीज है जिस पर अटैक करने से यह गरीबी दूर हो सकती है अगर वह नहीं किया गया तो आयोग मात्र से कुछ होने का नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ में एक ट्रैक्टर फैक्ट्री की बात पार्लियामेंट में बहुत पहले चली थी। माननीय दिनेश सिंह जी, जो इस समय मेम्बर पार्लियामेंट हैं, जब वह इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे तो उन्होंने प्रतापगढ़ में 20 करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रैक्टर कारखाना खोलने की बात की थी। उसमें प्राइवेट सेक्टर की भी बात थी। लेकिन 1971 के चुनाव के बाद वह ट्रैक्टर कारखाना ऐसा गायब हुआ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो मेम्बर पार्लियामेंट थे उन्होंने प्रश्न उठाया भी लेकिन दिल्ली और लखनऊ, दोनों सरकारों ने बताने में अपनी असमर्थता जाहिर की कि उस ट्रैक्टर कारखाने का क्या हुआ। जब पार्लियामेंट में ट्रैक्टर कारखाने का सवाल उठा तो उस समय आसाम के जो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे उन्होंने बताया कि लखनऊ के अमुक मिनिस्टर इन्टरेस्टेड हैं उसको यहां लगवाने के लिए, केन्द्र के एक मन्त्री उसे उन्नाव ले जाना चाहते हैं। हम लिखा-पढ़ी करते हैं लेकिन उस समय के चीफ मिनिस्टर साहब हमको जवाब न दे कर किसी और को देते हैं। अब पता चला है कि ट्रैक्टर कारखाने के लिए सरकार कुछ करने जा रही है। मैं तो वह दिन देखना चाहूंगा जब उस ट्रैक्टर कारखाने में उत्पादन शुरू होगा और ट्रैक्टर बन कर फैक्टरी से बाहर आएगा।

मुझे मालूम है कि हमारे लोगों ने सेन्टर में आवाज उठाई पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए तो बेकवर्ड होने के नाते दो जिले दिए गए इतना बड़ा सूबा होते हुए भी, हरियाणा को भी जो बहुत छोटा प्रदेश है, दो जिले दिए गए। बाद में उत्तर प्रदेश के लिए 4 कर दिए गए। जब मामला यहां आया तो यहां के असरदार लोगों ने पूर्वी प्रदेश के पिछड़ेपन को न देखकर अपने-अपने क्षेत्र को ले कर भागे जो अगर देखा जाय तो काफी डेवलप्ड हैं या जो गरीबी है उसमें हमसे अच्छे हैं। इस प्रकार की उपेक्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश की की गयी है।

मैं समझता हूं कि अगर तिवारी जी पूरे पूर्वी प्रदेश को लिए होते तो ज्यादा अच्छा होता। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर विशेष दृष्टि न दी गयी तो रीजनल इम्बैलेन्स

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कायम रहेगा और सरकार के सामने एक समस्या बनी रहेगी। इसकी समस्या के दो मूल कारण हैं। एक तो यह कि पर-स्क्वायर माइल जो फैजाबाद मण्डल की आबादी है वह और जगहों से दो, ढाई गुनी तक है। एक वर्ग मील में 1300 से लेकर 1500 लोग तक रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो भी विकास होता है वह जनसंख्या के हिसाब से देखें तो पैसे के हिसाब से नगण्य हो जाता है। इसी तरह से और योजनाओं को अगर आप जनसंख्या के आधार पर देखें तो पायेंगे कि सब से कम हुआ है। चाहे जिस क्षेत्रमें देखें, एजुकेशन पर, रोड्स पर, स्वास्थ्य पर, हर क्षेत्र में हम पिछड़े हुए हैं। मेरा तो अनुरोध सरकार से यह होगा कि जनसंख्या के आधार पर विकास के कार्यक्रम तैयार किए जायं तब योजना के अनुरूप कुछ विकास हो सकेगा। अन्यथा बार-बार कहने के बावजूद भी कई बार हुआ, अभी कमिश्नरी-वाइज एक डेवलपमेंट प्लान बना, उसका पता नहीं चल रहा है। तो आयोग गठित करना कोई खास बात नहीं है। असल बात यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़क के लिए, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, जहां प्रसूता स्त्री के लिए कभी अस्पताल में जाने के लिए जो विपत्ति होती है और वे अस्पताल में नहीं पहुंच पाती हैं और उनका प्राणान्त हो जाता है। कितनी परेशानियां आप देखें कि एजूकेशन के मामले में भी हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। रोड्स की हालत वही है। शिक्षा की हालत वही है। स्वास्थ्य में मेरी तो समझ में नहीं आता कि आयुर्वेदिक चिकित्सा जैसी हमारी जौनपुर में है पता चला कि आयुर्वेदिक विद्यालय खुलने वाला है। सारी कार्यवाही पूरी हो गयी। लेकिन हमारे जिले के एक मन्त्री महोदय जो उस समय स्वास्थ्य मन्त्री भी थे, वह अपने क्षेत्र में बदलवा कर चले गए। इस तरह से उपेक्षा की गयी। भीतर से उपेक्षा की गयी और लोकल उपेक्षा भी की गयी। इस तरह से जो रीजनल इम्बैलेन्स कायम हैं, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसके डेवलपमेंट के लिए एक वृहद् योजना की आवश्यकता है और उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जन संख्या और जनसंख्या के आधार पर डेवलपमेंट का जो रूप है, उसका रूप दिया जाय। तभी पूर्वी उत्तर प्रदेश का कल्याण हो सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसकी मंशा यह है कि फैजाबाद मण्डल का जो पिछड़ापन है, उसके लिए एक आयोग गठित किया जाय और उसको दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाया जाय। श्रीमन्, अगर इसको हम थोड़ा व्यापक तरीके से देखें तो हमारे प्रदेश में गवर्नमेंट आफ इंडिया के सर्वे के मुताबिक 32 जिले पिछड़े हुए श्रेणी में, पहले 22 थे, लेकिन बाद में 32 जिले पिछड़े श्रेणियों में आ जाते हैं। श्रीमन्, हमारे प्रदेश में पहाड़ के क्षेत्र, बुन्देलखण्ड का इलाका, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका. . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ऊदल जी, यह सामान्य बहस नहीं है। यह एक निश्चित संकल्प है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, उसी संकल्प के तहत कह रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—

यह एक निश्चित संकल्प का मामला है।

श्री ऊदल—

मैं उसी सिलसिले में कह रहा हूं। मेरा कहना यह था कि माननीय तिवारी जी जैसा कि अभी शम्भू नाथ जी ने कहा कि अगर प्रस्ताव को व्यापक तरीके से लाया गया होता तो व्यापक तरीके से वृहद् रोशनी इसके ऊपर डाली जा सकती थी। जहां तक इस संकल्प का सवाल है माननीय तिवारी जी ने बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किए और पिछड़ेपन का भी जिक्र किया और बजट में आजमगढ़ की सड़कों का भी जिक्र किया। आजमगढ़ खुद अपने-आप में पिछड़ा हुआ जिला है। अगर उसका सौभाग्य जग गया है तो मैं तो तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि उसके लिए आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि फैजाबाद और फैजाबाद मण्डल के जो जिले हैं उनका भी विकास होना चाहिए।

श्रीमन्, इसलिए जहां तक पिछड़ेपन को दूर करने का सवाल है इसका दायरा बड़ा व्यापक है। उद्योग धंधों का बाहुल्य हो, जो कुछ उद्योग धंधे हैं उनकी तरक्की हो, जो लघु उद्योग हैं उनका विकास किया जाय तो पिछड़ापन दूर हो सकता है। तो जैसा कि उन्होंने जिक्र किया मेरी भी जानकारी है कि हैण्डलूम और पावर लूम की जो हालत फैजाबाद मण्डल में है, स्टेपुल न मिलने से, सूत न मिलने से तथा हथकरघा का जो कपड़ा है उसके लिए बाजार न मिलने से, उसकी निकासी न होने से स्थिति खराब है। फैजाबाद मण्डल में कम से कम एक लाख से ऊपर लोग इस धंधे में लगे हैं, वह आज बेकारी के शिकार हो रहे हैं। इसकी तरफ भी इसको बढ़ाएं और जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें सुधार करके, जो उद्योग हैं, उसमें सुधार करने के लिए काफी गुन्जायश है, इसकी तरफ सरकार की दृष्टि जाये तो मैं समझता हूं कि कुछइजाफा इसमें हो सकता है।

श्रीमन्, इसी के साथ-साथ छोटे और बड़े उद्योगों को खोलने का सवाल है। पटेल आयोग ने इस मंडल के एक-दो जिलों का सर्वे किया था। पटेल आयोग को भारत सरकार ने बनाया था। उसमें हमारी ही कमिश्नरी के एक सदस्य थे गहमरी साहब। फैजाबाद मण्डल के तीन पूर्वी जिले भी इसकी परिधि में आते हैं। पटेल आयोग जो बनाया गया था वह पूर्वी जिलों की जांच करके व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बनाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य से उस परिधि से फैजाबाद मण्डल को अलग कर दिया गया। मेरी अपनी खुद की जानकारी है कि जिन पूर्वी जिलों को इस आयोग के अन्तर्गत लिया गया था, उनसे भी खराब हालत फैजाबाद मण्डल के कुछ जिलों की है। सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इनको देखने को मुझे मौका मिला है। इनकी हालत गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया से अच्छी नहीं है बल्कि खराब ही है। इस परिधि के अन्दर यह जिले भी आ गए होते तो इनका भी सर्वेक्षण होता। श्रीमन्, पटेल आयोग ने कई सिफारिशें पूर्वी जिलों के बारे में की थीं। उसमें उन्होंने सहकारी चीनी मिल के लिए सड़क बनाने के लिए, लघु उद्योगों के लिए सिफारिशें की थीं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के सम्बन्ध में भी उन्होंने सिफारिशें की थी। लेकिन श्रीमन्, उसके मुताबिक आज पांच फीसदी भी कार्य नहीं हुआ है। श्रीमन्, मेरा कहना है कि आयोग को बना देना तो आसान है। आयोग को बना देने से अगर विकास हो जाय तो श्रीमन्, रोजाना यह गठित होते रहेंगे लेकिन उसका फल कुछ नहीं निकलेगा। इसमें दृष्टिकोण का सवाल है कि कौन-सा क्षेत्र कितना पिछड़ा है? किन क्षेत्रों में क्या-क्या सम्भावनाएं हैं, किन कामों को शुरू करके उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है? इन चीजों पर ध्यान देना

पड़ेगा तभी वह क्षेत्र सही मानों में तरक्की कर सकता है । श्रीमन्, अगर दृष्टिकोण संकुचित होगा, दायरा संकुचित होगा, जिसका जिक्र माननीय तिवारी जी ने किया, संकुचित नजरिए से क्षेत्र और जिलों को देखने की भावना होगी तो श्रीमन्, आज तक जो पिछड़े इलाके हैं वह पिछड़े ही रह जायेंगे और जो बढ़े हुए क्षेत्र हैं वह आगे बढ़ जायेंगे । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए । यह कहा जा रहा है कि गांवों में हम लिंक रोड बनायेंगे लेकिन कुछ ऐसी सड़कें हैं जिन पर बसें चलती हैं लेकिन वह महत्वपूर्ण होते हुए और बड़ी-बड़ी सड़कों को जोड़ते हुए भी वह ज्यों की त्यों खराब पड़ी हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार के दृष्टिकोण में परिवर्तन हो और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए फैजाबाद मण्डल का ही सवाल नहीं है पूरे प्रदेश का जो पिछड़ापन है उसको दूर करने के लिए सरकार अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करे ।

मान्यवर, जहां तक इस संकल्प का सवाल है तो श्रीमन्, वह अपने आप में बहुत ही पवित्र है । लेकिन यदि वह व्यापक होता तो इस पर व्यापक तरीके से चर्चा हो सकती थी और उन समस्याओं को सरकार के सामने रखा जा सकता था । चूंकि यह फैजाबाद मण्डल का सवाल है और तिवारी जी की जो भावना है तथा उन्होंने जो आंकड़े बताए वह सत्य हैं । इसलिए इस संकल्प का तहे-दिल से मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

अधिष्ठाता महोदय, आपका मैं आभारी हूं कि आपने मुझे पूर्वी क्षेत्रों पर कुछ कहने का मौका दिया और जो तिवारी जी ने प्रस्ताव पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोरखपुर मण्डल को भी इस प्रस्ताव में जोड़ दिया जाय । क्योंकि हमारे पटेल कमेटी की जो रिपोर्ट है वही यदि मुख्य मन्त्री जी लागू कर दें तो हमारा भला हो जायगा । लेकिन मान्यवर, एक बात की हमको शंका हो गई है कि जैसे उत्तर प्रदेश के बराबर देश के प्रधान मन्त्री होते रहे तो उत्तर प्रदेश पिछड़ गया उसी प्रकार जहां पटेल कमेटी ने जांच किया है और वहीं पूर्वी क्षेत्र के मुख्य मन्त्री जी हैं तो वह भी न पिछड़ जायं, ऐसी मुझे शंका हो गयी है । इसलिए मैं अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि जो भी पटेल कमेटी ने कहा है उसको शीघ्र से शीघ्र लागू कर दें । यदि मान्यवर, एक ही चीज तत्काल कर दें कि गाय, भैंस पालने की योजना लागू कर दें तो उससे गरीबों को रोजी मिल जायगी और दूध तथा खाद की समस्या वहां हल हो जायगी ।

मान्यवर, पटेल कमेटी ने तो बहुत कुछ कहा लेकिन गोरखपुर मण्डल में आजमगढ़, देवरिया, बलिया और बस्ती आदि की हालत ऐसी है कि वहां ऊसर है । इसलिए मैं चाहूंगा कि गोरखपुर मण्डल को भी उसमें जोड़ लें ।

मान्यवर, एक ओर आयोग बैठे हैं, और दूसरी तरफ पटेल कमेटी ने अपना फैसला दे दिया है । देवरिया जिला मान्यवर, ऐसा है कि जिसके दक्षिण की ओर सरयू–राप्ती नदी है, उत्तर की ओर बड़ी गण्डक है और पूर्व की ओर छोटी गण्डक है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता—

कृष्णा राय जी यह निश्चित संकल्प है लेकिन जब और बहस आगे होगी तब इस पर कहें।

श्री कृष्णा राय—

मान्यवर, मैं जोड़ने की बात कह रहा हूं कि जो वहां पिछड़ापन है इसलिए उसमें जोड़ लिया जाय।

मान्यवर, देवरिया में गन्ना होता है, कारखाने 14 हैं, लेकिन उससे हमको कोई लाभ नहीं होता है। वहां चीनी की बहुत मिलें हैं लेकिन उनसे जो हमको पैसा मिलता है वह न के बराबर है। वहां चीनी के दाम पर गन्ना के दाम तय होते हैं लेकिन खुय्या, मैल, अछोआ आदि यह चीजें वह मुफ्त ले लेते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन चीजों के दाम भी देना चाहिए। हम गन्ना पैदा करते हैं लेकिन किसानों की हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह बात इसमें आनी चाहिए। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन एक निवेदन यह है कि पटेल कमेटी रिपोर्ट को लागू किया जाय। वहां के लोगों को उद्योग-धंधे दें जिससे कि उनकी हालत में परिवर्तन आ सके।

*श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक जिला फैजाबाद के पिछड़ेपन का सवाल है इसकी आवाज इस हाउस में आज से 20 वर्ष पहले उठी थी। फैजाबाद ही नहीं, सारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और यह कैसे दूर किया जाय इस पर प्रदेश के नेताओं ने मनन और विचार किया लेकिन जब पिछड़ापन दूर करने का सवाल आया तो इस प्रदेश के नेता कुर्सी से चिपके रहे क्योंकि जब तक प्रदेश का बंटवारा नहीं होगा चार हिस्सों में तब तक पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता। मैं ही नहीं बल्कि पूर्वी जिलों के गरीब वर्ग के लोग सभी चाहते हैं कि बंटवारा हो क्योंकि उनका कल्याण तभी हो सकेगा। आज भी 30 वर्षों में हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं हो सका है। यह तभी होगा जबकि पश्चिमी जिलों को अलग कर दिया जाय। हो क्या रहा है कि पश्चिमी जिले कमाते हैं और पूर्वी जिले खाते हैं। मेरठ करोड़ों रुपया टैक्स देता है जबकि फैजाबाद एक पैसा भी नहीं देता। पूर्वी जिलों में खेती के लिए जमीन पड़ी है जबकि पश्चिम में एक इंच भी जमीन नहीं है। जो जानकारी है उसके अनुसार यहां 23 लाख एकड़ जमीन पड़ी हुई है। यहां लोग कहते हैं कि काम नहीं करेंगे क्योंकि न पहले किया है और न अब करेंगे। जबकि पश्चिम जिले के लोग मेहनत करते हैं। जो छोटे लोग हैं उनका शोषण होता रहा है। अभी तक कांग्रेस की हुकूमत थी, वह धोखा देती रही और अब जनता पार्टी की सरकार आई है। अभी इसको दो-तीन महीने हुए हैं। आगे देखना है कि यह सरकार उस शोषण को बन्द करने के लिए क्या करती है।

हमारा कहना तो यही है कि बंटवारा करो, बंटवारा करो। जाति-पांति का बन्धन दूर करो और रिजर्वेशन को पूरा करो। जो जमीन पड़ी हुई है उसको हरिजनों को दो। वह उस पर मेहनत करेगा। यहां लोग मेहनत नहीं करते। कहते हैं राजधानी लखनऊ है। क्या राजधानी है। पश्चिम वाले कमाते हैं, और आप खाते हैं। इसलिए प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का बंटवारा जरूरी है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मथुरा, आगरा तो पिछड़े नहीं हैं, क्योंकि वहां लोग मेहनत करते हैं। यहां मेहनत नहीं करते इसलिए पिछड़े हुए हैं। प्रदेश का बंटवारा हो और यहां लोगों को उद्योग धंधे मिलें। जो जमीन बेकार पड़ी है उसको गरीबों को दें। उन पर टैक्स न हो और मालगुजारी भी माफ हो। तभी यह पिछड़ापन दूर हो सकता है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विवाद समाप्त हो।

श्री अधिष्ठाता—

अभी एक भाषण और हो जाय।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने जो संकल्प रखा है उसकी मूल भावना यह है कि फैजाबाद मण्डल की समस्त समस्याएं माननीय सदन के समक्ष आ जायं और सरकार के समक्ष आ जायं। इसलिए व्यवस्था का प्रश्न यह है कि फैजाबाद से जो विधायकगण हैं उनको ज्यादा इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जो माननीय सदस्य खड़े होते हैं, उनको अवसर दे रहे हैं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोण्डा)—

अधिष्ठाता महोदय, आज फैजाबाद मण्डल के लिए माननीय तिवारी जी ने जो यह संकल्प रखा है उसका मैं तहे-दिल से समर्थन करता हूं।

यह मण्डल छः जिलों में विभाजित है—गोण्डा, बहराइच, फैजाबाद, सीतापुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। लेकिन आज तक तीस साल की हुकूमत में भी, अंग्रेजी राज्य में भी इस मण्डल का कोई विकास नहीं हुआ। मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह भी पिछड़ी जाति के हैं इसलिए इस पिछड़े मण्डल पर थोड़ा सा ध्यान दें। तीस साल के बाद आज यह पहला अवसर आया है कि यह संकल्प माननीय सदन में आया है उस मण्डल के उद्धार के लिए। मैं तिवारी जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं कि उनके संकल्प से आज वहां के जनपदों को बहुत बड़ा सहारा मिला है।

आप देखें भारत सरकार ने 33 जिले पिछड़े घोषित किए। लेकिन पटेल आयोग ने इनमें से 13 जिलों को छांट लिया और फैजाबाद छोड़ दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि वह पिछड़ा ही रह गया। इसके साथ ही साथ अशोक मेहता कमीशन बैठा। उन्होंने भी इस मण्डल के लिए कोई भी सुझाव या ऐसा कार्य नहीं किया जिससे इस मण्डल का उद्धार हो सके। आज इन छः जिलों में बुनकर भाइयों को सूत तक नहीं मिल रहा है। वे बेकार बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज

[श्री गंगा प्रसाद]

यह है कि मण्डल के प्रत्येक जगह आने-जाने की सुविधा होनी चाहिए। पटेल कमीशन ने उन 13 जिलों में सड़कों और तरह-तरह के उद्योगों को आरम्भ कराया लेकिन आज तक इन छः जिलों के लिए किसी उद्योग की बात नहीं आई। श्रीमन्, आपके माध्यम से मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन जिलों को जोड़ने के लिए घाघरा नदी पर ऐलन पुल है जिस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। कहा गया था कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना में हम इस पुल को बनवा देंगे लेकिन आज तक यह पुल जो तीन पूर्वी जिलों को जोड़ता है, बाराबंकी, बहराइच और गोण्डा, नहीं बन सका। यदि यह पुल बन जाता तो इनका सीधा सम्बन्ध लखनऊ से या गोरखपुर से या कानपुर से हो जाता।

श्रीमन्, मैं मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले गोण्डा में, बहराइच में बहुत बड़े वन हैं और वहां पर पेपर मिलों की मांग थी परन्तु आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आपके चीफ मिनिस्टर काल में पूर्वी जिलों गोण्डा, बहराइच और फैजाबाद मण्डल का पिछड़ापन दूर कर दिया जाय तो वहां की जनता सुख व शान्ति के साथ रोटी और कपड़ा पा सकेगी। आप वहां पर उद्योग लगाने की कोशिश करेंगे तो यह सम्भव हो सकेगा।

दूसरे मुझे यह कहना है कि अंग्रेजी काल में तथा कांग्रेसी शासन में भी वहां सड़कों का निर्माण बिल्कुल नहीं हुआ। हमारा क्षेत्र स्वामी नारायण छपिया का जन्म स्थान है और दक्षिण भारत से लाखों लोग इस तीर्थ स्थल के दर्शन हेतु आते हैं। इसके लिए मनकापुर से बभनान तक सड़क का बनाना आवश्यक है। यह दो जिलों गोण्डा से बस्ती को मिलाती है, उस सड़क की हालत यह है कि आए दिन बैल गाड़ियां टूटती हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस सड़क पर 16 बसों का परमिट है और यह बस सिर्फ मनकापुर से मसकनवा नहीं जाती है जबकि परमिट बभनान तक का है।

पिछड़ेपन का एक कारण वहां यह भी था कि अंग्रेजी काल तथा कांग्रेसी शासन में जमीन्दारी का बाहुल्य था। सिर्फ गोण्डा में 18 राजा थे। उनकी वजह से वहां की जनता दबी हुई है, पिसी हुई है और उठ नहीं पा रहा है और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए यातायात के साधन मुहइया होने चाहिए और जैसा निवेदन किया मनकापुर से बभनान तक सड़क बनाने की कोशिश की जाय और उद्योग धंधे लगाए जायं।

श्री हुकुम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

अधिष्ठाता महोदय, यह बड़ी विडम्बना की बात है और विडम्बना इस कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु 1964 में कुल राजस्व 37 प्रतिशत राजस्व व्यय किया गया। 1957 में उन्हीं जिलों में 32 प्रतिशत कुल राजस्व व्यय किया गया, 1962 में 30 फीसदी तथा 1967 में 25 फीसदी राजस्व खर्च किया गया। लेकिन 1954 से आज तक इस बात की दुहाई दी जा रही है कि पूर्वी जिले पिछड़े हुए हैं। बड़े अफसोस के साथ मुझे यह शब्द कहने पड़ रहे हैं कि यह कौन सी परम्परा है, कहां की विधि है कि किन्हीं की रोटी छीन कर दूसरों को दे दी जाय। पश्चिमी जिलों का किसान मजदूर अपने

श्रम व क्षमता के आधार पर उत्पादन बढ़ाता है, पैदावार बढ़ाता है और पूर्वी जिले वाले पिछड़ेपन के आधार पर उसका उपयोग करते हैं। मैं इस बात का तो समर्थन करता हूं कि प्रदेश का कोई वर्ग अथवा कोई क्षेत्र अगर पिछड़ा हुआ है तो उसको सुधारा जाय, उसे सहयोग दिया जाय लेकिन राजनीति के आधार पर और पिछड़ेपन के आधार पर किसी मण्डल को सहायता दी जाय तो यह गलत होगा।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। यह विवाद प्रतियोगिता हो रही है या फैजाबाद मण्डल के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जाय, इस पर विवाद होना है ?

श्री अधिष्ठाता—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय सदस्य कुछ भी कहने को खड़े हो जायं यह उचित नहीं है। तिवारी जी, आप निश्चित संकल्प पर विचार प्रकट करें।

श्री हुकुम चन्द्र तिवारी—

मैं यह कह रहा था कि केवल फैजाबाद मण्डल के ही पिछड़ेपन का प्रश्न नहीं होना चाहिए। प्रदेश के जो क्षेत्र पिछड़े हैं उन सबके लिए एक आयोग गठित किया जाय। उनकी आय तथा पैदावार को दृष्टि में रख कर ही, उस क्षेत्र की विशेष परिस्थिति को देख कर ही उसके पिछड़ेपन को दूर करने की व्यवस्था की जाय। मैं सदन के सामने एक बात यह कह रहा हूं कि 1954 से लेकर आज तक जो पिछड़ेपन का नारा लगाया गया था उसे लेकर सारे प्रदेश का पूर्वी जिलों में 37 से 25 प्रतिशत राजस्व खर्च किया गया फिर भी पिछड़ा बना रहा। उसके बाद भी आज तक पिछड़ापन बना रहा। मैं माननीय हरी सिंह जी के शब्दों का पूरा समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि वह काम नहीं करते हैं और राज्य द्वारा जो अनुदान दिए जाते हैं, जो सुविधाएं दी जाती हैं उसी आधार पर मांग करते आए हैं। इसलिए श्रीमन्, सारे प्रदेश में जाति, वर्ग और स्थिति के आधार पर जो पिछड़ा है उसको दूर करने के लिए काम करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम अवध के रहने वाले हैं और आप जानते हैं कि फैजाबाद डिवीजन और लखनऊ डिवीजन में नवाब लोग रहा करते थे। उन नवाब लोगों की सेवा करने के लिए वह लोग रहते थे जो गरीब और हरिजन होते थे और उनकी सेवा और खातिर करते थे। जब नवाबी चली गयी तो हम लोगों की परेशानी आई। श्रीमन्, यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और हरिजनों का कन्सनट्रेशन है। अभी तक इस क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है और इसके उत्थान के लिए कार्य नहीं किया गया है और केवल यहां पर पांच स्टार होटल बनाए गए। कहां आशा तो यह थी कि गरीबों के लिए उद्योग धंधे दिए जायें लेकिन बजाय उद्योग-धंधों के हमने देखा है कि यहां जो कन्स्ट्रक्शन हुआ वह 5 स्टार होटलों का हुआ। तो इससे हमारा डिवीजन फैजाबाद और लखनऊ दोनों में

[श्री गनेशी लाल चौधरी]

जहां हरिजन ज्यादा हैं, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे, डिवीजन की मांग होगी, मैं चाहूंगा कि अगर डिवीजन हुआ तो उसमें हमारे अवध का अलग प्रदेश बनाया जाय। जिसमें हम बैठ कर सोचें कि हम क्यों पिछड़े हुए हैं। अभी तक पूर्वी और पश्चिमी जिलों की ओर ही अधिक ध्यान दिया जाता है और हम बीच वाले देखते ही रह जाते हैं। हम इसके लिए मजबूर होंगे और मांग करेंगे कि हमारा अलग से अवध प्रदेश बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर--

मैंने एक प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अधिष्ठाता--

आप नियम 113 देख लें, यह मेरे विवेक पर है। आप इस समय बैठें यह संकल्प थोड़ी देर और चलने दें।

*श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अब तक चाहे विधान सभा हो चाहे लोक सभा हो दोनों सदनों में बराबर इस चीज की आवाज उठती रही कि पूर्वी जिले अत्यन्त पिछड़े जिले हैं और पश्चिमी जिले अच्छी हालत में हैं। यह बात आज जो इस सदन में उठी है उसने सिद्ध कर दिया है। मैं इन्हीं आधारों पर कहूंगा जो हमारे माननीय तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा है आज इस तरह के प्रस्ताव की जरूरत थी। आज तक जो आवाजें उठी हैं उससे पिछड़ापन सिद्ध हो चुका है। यह जो मांग आपने की है इसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। पिछड़ापन दूर करने के लिए आवाज उठनी चाहिए। मान्यवर, पूर्वी जिले किन कारणों से पिछड़े हैं क्योंकि उनकी अपेक्षा की गई....

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वह निश्चित रूप से संकल्प पर बोलें पूर्वी या पश्चिमी क्षेत्र का सावल नहीं है, उस पर बहस न करें। संकल्प पर ही बोलें।

श्रीमती रामरति देवी--

यह जो निश्चित संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, पूर्वी जिले इसलिए उपेक्षित रहे....

श्री अधिष्ठाता--

फिर वही बात, इस तरह सदन में बहस होगी, तो मेरी समझ में नहीं आता।

श्रीमती रामरति देवी--

मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा जो मन्डल है, इसमें के अधिकांश लोग यानी एक-तिहाई लोग कृषक और मजदूर के रूप में जीवन यापन करते हैं। इन लोगों की दयनीय स्थिति देखी नहीं जाती है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। ये केवल 3-4 महीने खेती में लगे रहते हैं बाकी समय इनके सामने परिश्रमी होते हुए भी बेकारी की समस्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में इन जिलों में बराबर लड़कियों की शिक्षा का अभाव रहा है और जहां तक उद्योग धन्धों का सवाल है, उसमें भी उपेक्षा बरती गई है। सड़कों का जो जिक्र, तिवारी जी ने किया है, वह बिल्कुल सही है। हमारी जनता पार्टी के जो भी जिम्मेदार मन्त्रीगण हैं, उनको मैं उन बीहड़ स्थानों पर ले चलूंगी। उनकी आत्मा खुद कबूल करेगी कि इनके साथ कैसा सौतेलेपन का व्यवहार हुआ है और सड़कों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं तिवारी जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का पूरा समर्थन करती हूं।

*श्री राम प्रताप शास्त्री (जिला एटा)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत ही आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने की आज्ञा दी। आज सौभाग्य की बात है कि एक जिले के नाम से पिछड़ेपन का प्रश्न हमारे सदन के बीच में आया, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यह बड़ा गहन विषय है। मैं यह कहूंगा कि पिछड़ेपन की जो बात है, वह किसी विशेष जिले की बात नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है, जो कि पिछड़ेपन में सबसे आगे है। इसके साथ-साथ पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र का जो प्रश्न उठता है, मेरे बन्धुओं वह मेरी समझ में नहीं आता है। इस प्रश्न को लेकर, अगर वास्तविकता है, तो पूर्व और पश्चिम दो हिस्से क्यों न कर दें ? यह इसी तरह पिछड़ापन दूर होता है। उदाहरण के लिए हमारे सामने पंजाब और हरियाणा प्रदेश हैं। आज दोनों हिस्सों का पिछड़ापन दूर हो चुका है। लेकिन हम चपड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि जिस किसी भी आयोग का गठन हो, वह एक पूरे प्रदेश के लिए हो, प्रत्येक जिले के लिए हो, प्रत्येक तहसील के लिए हो, प्रत्येक क्षेत्र के लिए हो और देखा जाय कि पिछड़ापन वास्तव में कहां है। खाली बातों से पिछड़ापन दूर करने की बात मेरी समझ में नहीं आती है। हमारे विपक्षी बन्धु भी पिछड़ेपन की बात करते हैं, लेकिन ये पिछले 30 साल से प्रदेश का पिछड़ापन दूर नहीं कर पाए, कमियों को नहीं देख पाए कि किन कारणों से यह प्रदेश पिछड़ा हुआ है। प्रिय बन्धुओं, मैं एक उदाहरण के रूप में अपने जिले का भी जिक्र करना चाहता हूं मेरा जिला, जो पिछड़े हुए सात जिलों में से एक है, एक अति पिछड़ा जिला है।

श्री अधिष्ठाता--

आप निश्चित संकल्प पर बोलें। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राम प्रताप शास्त्री--

मैंने उदाहरण के लिए कहा है। पिछड़े पन का नक्शा उदाहरण के तौर पर देना चाहता हूं। सारे प्रदेश की मैं सिफारिश कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

निश्चित संकल्प पर बोलिए। सारे प्रदेश का सवाल नहीं है। इसका निश्चित संकल्प है। उसी सन्दर्भ में बात करें। यह पूर्वी या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल नहीं है। निश्चित संकल्प पर आप बात कीजिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम प्रताप शास्त्री—

मैंने सारे प्रदेश की बात कही। फैजाबाद का ह्रास नहीं करना चाहता हूं। मैं फैजाबाद की भी सिफारिश करूंगा। मेरा निवेदन है कि फैजाबाद के साथ अन्य जिलों का भी पिछड़ापन देखा जाय। मैं तो यह कहूंगा कि यह देखा जाय कि पिछड़ापन कहां-कहां, किन-किन कारणों से है उनका भी निरीक्षण किया जाय। उन कमियों का जो सरकार की हैं, हमारी हैं देखा जाय जो आज तक जिला विशेष का पिछड़ापन दूर नहीं कर पाए। इस तरह से और भी जिले हैं। फैजाबाद का जब प्रश्न चल रहा है उसके साथ-साथ यह भी सिफारिश करूंगा कि आयोग अगर गठित होता है तो केवल फैजाबाद के लिए न हो सारे देश के लिए हो, सारे प्रदेश के अन्दर देखा जाय कि कहां पर किन-किन कारणों से कमियां हैं जिससे पिछड़ापन दूर नहीं होता है। वह दूर होना चाहिए। मैं इसकी सरकार से सिफारिश करूंगा। अगर मेरे जिले की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो नहीं कहूंगा। आगे चल कर अपने जिले की समस्याओं को सामने रखूंगा। धन्यवाद।

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, पिछड़ेपन के सन्दर्भ में जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत है इसके सम्बन्ध में सदन में मैं अपनी राय जाहिर करना चाहता हूं। मान्यवर, हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश पिछड़ा है। उत्तर प्रदेश में हमारा फैजाबाद मन्डल सर्वाधिक पिछड़ा हुआ हिस्सा है। पूरे देश में 27 फीसदी लोग शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 22 फीसदी हैं और अवध का जो इलाका है, फैजाबाद मन्डल, यहां का औसत 15-16 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है। एक भी विश्वविद्यालय इस मन्डल में नहीं था। पिछली सरकार के दौरान, कांग्रेस राज्य में, लगातार कई बार जेल यातनाओं के बाद, एक लम्बे संघर्ष के बाद, फैजाबाद में दो विश्वविद्यालय दिए गए। आज सदन के सामने रखना चाहता हूं कि उन विश्वविद्यालयों का क्या रूप है, केवल एक मामूली दफ्तर खोल दिया गया है। कोई व्यवस्था नहीं है। मांग हमारी आवासीय विश्वविद्यालय के लिए थी, लेकिन एक दफ्तर खोल दिया गया है। कृषि विश्वविद्यालय जो ग्रामीण अंचल में स्थापित करने की स्कीम है, उसको अन्यत्र ले जाने की बात चलायी जा रही है। पूरा इलाका पढ़ाई-लिखाई के मामले में सारे देश से पिछड़ा हुआ है। इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने उठाया। शिक्षा की तरफ समुचित विकास के लिए सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

पूरे के पूरे इलाके में सड़कों का अभाव है। गांव से कोई रिश्ता नहीं जुड़ पाता है। आवागमन के अभाव के कारण उस इलाके का कोई विकास नहीं हो पाया। पिछले तीस सालों में कांग्रेस के राज्य में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गयी। कहीं बिहार में, कहीं दक्षिण भारत में कायम किए गए। इस मंडल में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। जिसमें हजार दो हजार आदमी काम करते। आज हमारी जनता पार्टी की सरकार जिसके मुख्य मन्त्री हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अन्दर खेती और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस इलाके में जो फैजाबाद मन्डल में आता है बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। उसको बढ़ाने का समुचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए। मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वहां पर कई उद्योग लगाये जा सकते हैं, टांडा, जलालपुर, अकबरपुर और जहांगीराबाद, यहां पर हथकरघा उद्योग बड़ी अधिक मात्रा में लगाया जा सकता है। गोन्डा और बहराइच में कागज के कारखाने लगाए जा सकते हैं। फैजाबाद में जूते के उद्योग

को बढ़ावा दिया जा सकता है। हमारे सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ बहुत ही पिछड़े हुए इलाके हैं। मेरा निवेदन है कि इस संकल्प को भारी बहुमत से पारित किया जाए कि एक आयोग गठित किया जाए जो सारे मामलों की छानबीन करें और अपनी रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट पर कार्यवाही की जावे। अयोध्या नगरी पावन नगरी है लेकिन पिछले 30 वर्षों में अयोध्या की उपेक्षा की गयी है। आज आयोध्या के मन्दिर जीर्ण शीर्ण हैं। कोई सड़क नहीं है। सारे के सारे मन्दिर, सारी की सारी व्यवस्था हमारी संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक कांग्रेस राज्य में पिछले 30 सालों में ध्वस्त होते चले गए। आज मैं इस माननीय सदन के द्वारा आप से दरख्वात करना चाहता हूं कि अयोध्या को पर्यटन केन्द्र घोषित किया जाए। वहां के जो जीर्ण-शीर्ण मन्दिर हैं उनका समुचित उन्नयन किया जाये और पर्यटन केन्द्र के रूप में उसका विकास किया जाए। इस सन्दर्भ में मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि पटेल आयोग बनाया गया लेकिन उसकी सिफारिशों को नहीं लागू किया गया है। पिछली सरकार ने फैजाबाद मन्डल के विकास के लिए पूर्वान्चल विकास निगम कायम किया है। इसकी कहानी मैं सदन को सुनाना चाहता हूं। स्कीमें कागज पर बन रही हैं, रुपया कागज पर बंट रहा है, कोई भी योजना पिछले सालों में पूर्वांचल विकास निगम ने पूरी करके नहीं दी है। बाउन्डरी खिची हुई है कभी हमारे मन्त्री जी उधर से गुजरेंगे तो देखेंगे कि सड़क के कगार पर बाउन्डरी वाल खिची हुई है। उसकी ईंटें टूट गई हैं। ईंटे भी लोग उठा ले गए हैं। मैं कई बरस से देख रहा हूं मगर वहां कोई काम नहीं हुआ है। गन्ने की मिल कायम करने की योजना है। उन योजनाओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कागजी कार्यवाही हो रही है। पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना इसलिए की गई है कि फैजाबाद मन्डल जो सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है, को विकसित करने के लिए निगम का पूरा सहयोग मिले।

मान्यवर, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस लोक महत्व के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें। माननीय सदस्य जो व्यापक सुझाव दे रहे हैं या जिन्होंने दिए हैं, पटेल आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों की व्यापकता को भी ध्यान में रखते हुए विचार करें। मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रदेश का जो भी इलाका पिछड़ा हुआ है, जहां औद्योगिक विकास नहीं हुआ है और किसी उद्योग के लगाने की सम्भावना है, उन सारे इलाकों में समुचित छान-बीन करके छोटे-छोटे कुटीर उद्योग जो हमारे गांव के विकास के लिए रखे गए हैं उनको पूरा करने के लिए कोशिश की जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में माननीय तिवारी जी का जो संकल्प है, उसको पूरा करने के लिए पूरी सख्ती के साथ काम किया जाए और एक फैजाबाद मन्डल ही नहीं पूरे प्रदेश का विकास करके एक मिसाल कायम की जाए। इस मन्डल के विकास के साथ ही पूरे प्रदेश की उन्नति एवं विकास की सम्भावनायें छिपी हुई हैं अतः इन पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार करें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

अभी फैजाबाद मन्डल के एक सदस्य बोले हैं। मैं जब भी बोलने के लिए खड़ा हुआ और एक मिनट मांगता हूं तो नहीं बोल पाया। मैं भी फैजाबाद जिले का हूं। तो आप पूर्वांचल और पश्चिमांचलों के लिए जो बात उठाते हैं....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए। अभी मैंने सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। (श्री भगवती प्रसाद सिंह के लगातार बोलते रहने पर), जरा मेरी बात सुनिए। आप बैठिए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, सुन लें, व्यवस्था का प्रश्न है। कल व्यवस्था के सवाल पर.... मान्यवर, मेरी बात सुन लें। तिवारी जी ने कहा कि जो संकल्प है जिस पर आपने बोलने का समय दिया हमारे फैजाबाद मन्डल के अन्य सदस्य पूर्वांचल और पश्चिमांचल की व्यवस्था की बात उठाते हैं .... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए। मैं आपको आदेश दे रहा हूं। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्यों को आपने बोलने का समय दिया। आप मेरी भी बात सुनिए, अभी संकल्प के अन्दर।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठिए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, आप ज्यादती करते हैं। मैं भी फैजाबाद मन्डल का रहने वाला हूं।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठें। मैं आपको आदेश कर रहा हूं। आप हमारा निर्णय तो सुन लीजिए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, यह संकल्प फैजाबाद मन्डल से सम्बन्धित है इसलिए कम से कम जो इस मन्डल के विधायक हैं उनको बोलने का अवसर आपको देना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

आपको बोलने का अवसर मिलेगा, आप कृपया बैठिए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने आपको कह दिया कि मैं अवसर दूंगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मैं नहीं बैठूंगा। जब तक आप हमें बोलने का अवसर नहीं देंगें।

श्री अधिष्ठाता--

आप मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

यह कौनसा तरीका है.....

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठिए। आप इस तरह से नहीं बोल सकेंगे। मैं माननीय सदस्य को यह चेतावनी देता हूं।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है। प्रस्तुत संकल्प फैजाबाद मन्डल से सम्बन्धित है। मैं वहां का विधायक हूं और अपने दल का एक मात्र प्रतिनिधि हूं, इसलिए मुझे बोलने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठिए, यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने माननीय सदस्यों को बोलने का इतना अवसर दिया लेकिन उसके बाद भी यह कहा जा रहा है। मैंने देखा कि सभी लोग सामान्य बहस कर रहे हैं। अभी-अभी प्रस्ताव और शेष हैं। अब मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप अपना भाषण 5 मिनट में समाप्त कर दें।

(सरकारी पक्ष की ओर से शोर)

आप लोग सत्ता पक्ष के सदस्य हैं और आप लोगों को सदन में शान्ति बनाए रखने की अधिक आवश्यकता है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मैं स्वयं अधिक समय नहीं लेना चाहता था। मैंने इस बजट को अपने कमरे में देखा और पाया कि इसके अन्दर बहुत कुछ बातें हैं। यही नहीं पूर्वांचल के अन्य जिले भी पिछड़े हैं। हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री जी, जिनकी नियत पर अन्य लोग शक कर सकते हैं लेकिन मैं कभी नहीं कर सकता हूं क्योंकि इनका सम्बन्ध हमारे और हमारे पुराने दल से रहा है। मैं बार-बार अपने कृषि मन्त्री और मुख्य मन्त्री को ज्ञापन देता रहा हूं लेकिन मुझे आज तक भी कोई उचित उत्तर नहीं मिला है। माननीय तिवारी जी ने फैजाबाद मन्डल के सारे व्यवस्थित आंकड़ों को रखा है। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान पूर्वांचल की कुछ खराब सड़कों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक सड़क भभारी से रामगढ़ जा रही है। वहां से हमारा क्षेत्र आरम्भ हो जाता है। वहां से जलालपुर-मालीपुर को सड़क जाती है जहां से हमारे वर्मा जी चुनकर आए हैं। उस पर बड़ी-बड़ी कंकड़ी पड़ी है। वह माननीय मुख्य मन्त्री जी का क्षेत्र है। अब इस पर रोलर चल रहे हैं। हमारे भूतपूर्व सार्वजनिक निर्माण मन्त्री श्री लक्ष्मी शंकर यादव थे। वहां पर बिल्वाई से मालीपुर एक सड़क है। बारात गयी, तार खटखटाया। 7 मील के अन्दर रोलर दौड़ा दिया। तो यह जो 3-4 जिले छोड़ दिए हैं, मेरा निवेदन है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार न किया जाय। पटेल कमीशन को देखिए। आजमगढ़ सबसे पिछड़ा जिला है लेकिन वहां की सड़कों के लिए पटेल कमीशन में कोई जिक्र नहीं है। आपने इस बजट में कुछ इधर किया है, कुछ उधर और 113 किलोमीटर सड़क के अन्दर फैजाबाद के लिए है केवल 7.80 किलो मीटर। 113 किलोमीटर की सड़कों का नाम गिनाऊं तो धृष्टता होगी। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां कोई सड़क नहीं है। मैं नहीं कहता कि हो जाय, लेकिन यह सौतेला व्यवहार न किया

[श्री भगवती प्रसाद सिंह]

जाय। इन मुख्य मन्त्री पर आप लोग विश्वास कर सकते हैं, मैं किसी भी कीमत पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। मैंने मेमोरेंडम दिया है, प्रार्थना-पत्र दिया है, उसका ज्ञापन एक नक्शे के साथ दिया लेकिन 113 किलोमीटर में 7 किलोमीटर। किस आधार पर सड़क बटी है? बुरा न मानिएगा, पूर्वी प्रान्त, पश्चिमी प्रान्त की बात की जाती है। मेरठ के हमारे भाई हैं। जरा सिंचाई विभाग के आंकड़े देखिए। जरा फैजाबाद, बाराबंकी, बस्ती इन जिलों के लघु उद्योगों की तरफ ध्यान दो। पूरे हिन्दुस्तान के लघु उद्योग का सेंटर है मद्रास। आपके यहां सरकारी पर्दे मद्रास से आते हैं...

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

हम जानते हैं, हम ही समाप्त किसी दिन हो जायेंगे। उधर से समाप्त हुए, अब इधर से भी हो जायेंगे। लेकिन मुझे केवल इतना ही कहना है कि किसी को गरजने की जरूरत नहीं है, सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। मुझे दुख हुआ कि पूर्वी अंचल के कुछ जिलों को बिल्कुल भुला दिया गया है। मुझे दुख है कि मुख्य मन्त्री में सारी कमजोरियां हैं, दामन दागी नहीं है, मिलने के लिए लोग लाइन लगाते हैं, कोई भी अभी तक व्यवस्था नहीं हो पायी, कैसे 5 साल चलायेंगे? विकास होगा कैसे? विकास होने को है नहीं, क्योंकि घाटा ही घाटा नजर आता है सब जगह। विकास जब होगा तो समुचित पूरे प्रदेश को एक निगाह से देखने पर ही होगा, न कि बस्ती, गोन्डा जो पूर्वी अंचल के जिले हैं, फैजाबाद का होते हुए भी मैं फैजाबाद की बात नहीं करता, लेकिन बस्ती और गोन्डा, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी इनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

एक प्लाट है बाराबंकी में 7 किलोमीटर दूरी, जिसका रोड से सम्बन्ध नहीं है—नयारा ब्लाक। वही हालत बस्ती की है। वही हाल गोन्डा का है। मेरे जिले को न दीजिए। जो सड़कें मिली हैं वह काट ली जायं, मगर आजमगढ़, जौनपुर जो पटेल कमीशन में आया था, कि पिछड़े हुए हैं, को दी जायें।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

इस संकल्प की तारीफ करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

अधिष्ठाता महोदय, जो संकल्प श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने रखा है और उसको रखते हुए अपने विचारों को जिस तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जोड़ने का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयास किया है वास्तव में उनकी शब्दावली और उनकी भाषा बड़ी सराहनीय रही है। उसके साथ-साथ भगवती सिंह जी ने भी जिस तरह के ओजस्वी और क्रान्तिकारी शब्दों में अपने विचारों को रखने का प्रयास किया है वह भी अपने ढंग में स्तुत्य है। उनके साथ-साथ कुछ और भी माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को सदन के समक्ष रखा है। मुझे यह बात भी जान कर प्रसन्नता हुई कि हमारे जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचारों को रखा है उन्होंने पिछले 30 वर्ष का इतिहास भी रखा है क्योंकि अभी तक जो योजनाएं बनती थीं और उनके माध्यम से जो निर्माण के काम होने चाहिए थे, वे नहीं हो सके थे। श्री जगन्नाथ प्रसाद जी जो इस समय सदन में विद्यमान हैं और जो पिछले दिनों में भी सरकार में रहे हैं उन्होंने जिस तरह से पिछले दिनों नियोजन के कार्य में, निर्माण के कार्यों में विशेष रुचि लेने का जिक्र किया है मैं उनकी भी प्रशंसा करता हूं।

इस सन्दर्भ में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से योजनायें बनाने का और उनके सम्बन्ध में सारी बातें हमने अपने घोषणा-पत्र में और सदन में भी दो बार स्पष्ट किया है, हमारी जनता पार्टी की सरकार की नीति इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है। योजनाओं के माध्यम से हमारे सारे अधिकार विकेन्द्रीकृत किये जाने चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो योजनाओं के माध्यम से सम्यक रूप से गांवों के सर्वांगीण विकास की कल्पना हम करते हैं वह कभी सम्भव नहीं हो सकती है। आज तक जो योजनायें बनती थीं वह ऊपर से लादी जाती थीं। लेकिन हमने कहा है कि हमारी योजनायें नीचे से चलेंगी। ग्राम स्तर विकास खंडों और जिला स्तर से चल कर प्रदेश स्तर तक पहुंचेगी क्योंकि गांवों के लोग परिचित हैं वहां की गरीबी, वहां की सड़कों, वहां के स्वास्थ्य और वहां की शिक्षा की समस्याओं से। और जब वहां से योजनायें बनेंगी जिनकी रूपरेखा वह रखेंगे उन पर अच्छी तरह से विचार होगा और तब उन योजनाओं का श्रीगणेश होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सभी पंचायतें जो आज तक निष्क्रिय बनी हुई थीं, अकर्मण्य थीं, जिनका कोई कार्य-क्रम नहीं रह गया था हमने प्रदेश को विकास की दिशा में ले जाने के लिए आयोग गठित किए जाने की बात कही है, जो अपनी संस्तुति देंगे कि किस तरह से पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिए और तब आयोग जो संस्तुति देंगे उसके आधार पर हम इस लायक हो जायेंगे कि हमारी योजनायें सही दिशा दे सकें और हमारे प्रदेश और जिस मण्डल की चर्चा यहां हुई है उसका भी विकास हो सके। वैसे तो सदन अच्छी तरह से जानता है कि पूरे देश में हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है और इस प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जो और भी पिछड़े हुए हैं। साथ ही जो केन्द्रीय सरकार ने संस्तुति की थी उसमें 40 जिले पिछड़े माने थे, जिसमें 11 जिले ये भी आते हैं जिसमें फैजाबाद मन्डल भी आता है।

प्रदेश के मन्डलों के आधार पर जब आयोग का गठन करेंगे तो आयोगों की कोई कमी नहीं होगी, आयोग गठित होते चले जायेंगे और उनकी जो संस्तुतियां होंगी जिस तरह से उन संस्तुतियों का काम होता है वह आप जानते हैं, लेकिन सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी जो योजना होगी प्रदेश स्तर पर वह योजना आयोग देखेगा। जो क्षेत्रीय इम्बैलेंसेज, असमानतायें हैं, उन असमानताओं की तरफ देखने का काम राज्य योजना आयोग का होगा और वह देख कर इस बात का निदेश करेगा कि ऐसे जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के विकास के

[श्री राम नरेश यादव]

लिए कौन सी योजनायें होंगी, हमें कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा, ये सारी चीजें इस राज्य योजना आयोग के विचाराधीन हैं और इसमें एक सलाहकार परिषद् होगी जो इस बात की भी समीक्षा करेगी कि किस तरह से क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त किया जाय। इसमें इस देश के ही नहीं, बड़े-बड़े देशों के लोग भी हैं। यह जो क्षेत्रीय असमानतायें हैं, जो विषमतायें हैं उनको कैसे समाप्त किया जाय ? जो गरीबी है, उसमें चाहे फैजाबाद मन्डल हो, चाहे और भी मण्डल हों, क्योंकि हमारे सामने जनता पार्टी के सामने प्रदेश की गरीबी की समस्या को हल करने का सवाल है, चाहे फैजाबाद मन्डल के जिले हों, या अन्य जिले हों, उसे हल करना है ।

इस सन्दर्भ में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो सरकार ने किया है वह तो आपके सामने है, वह तो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जब पूर्वी क्षेत्र के विकास की चर्चा आती है, जिसकी भावना हमारे माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखा है, उन्होंने बड़े आवेश में, भावावेश में गरीबी की बात को मानते हुए कहा। आप जिस पार्टी के सदस्य हैं, जिस सरकार के आप अंग है, उसकी नीति स्पष्ट है। आप भी जानते हैं। हमेशा इस बात का प्रयास हो रहा है कि हमारी योजना इस तरह की होनी चाहिए कि जिससे प्रदेश का विकास हो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सदन को भी बताना चाहता हूं कि हमने लक्कड़वाला से दो बार बात किया है। इस सन्दर्भ में मैंने बात किया है कि पूर्वी जिले जो हैं जिसमें 11 जिले आते हैं, जिसमें फैजाबाद मन्डल भी आता है, अभी मैंने 24 अगस्त को एक पत्र भेजा है, उस पत्र में मैंने स्पष्ट लिखा है कि हमारी जो समस्यायें हैं, उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से इस क्षेत्र की जो समस्यायें हैं उन समस्याओं का समाधान राज्य स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी सोचना है, गांवों और शहरों का विकास कैसे हो सकता है, हमने इस बात को ध्यान में रखकर योजनायें बनायीं और योजनाओं को बनाने के बाद विशेष धनराशि इन जिलों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार दे, इस बात का भी मैंने प्रयास किया ताकि जो क्षेत्रीय इम्बैलेंसेज हैं, जो असमानतायें हैं उसको हम समाप्त कर सकें। केन्द्रीय सरकार ने आश्वासन भी दिया है। ये सब चीजें हमारी योजना आयोग के सामने हैं। जो भावना आपके मन में है, वह भावना हमारी सरकार के मन में भी है। जिस बात के लिए जनता पार्टी प्रयत्नशील है, सबके मन में है कि हमारे पूर्वी क्षेत्र की गरीबी दूर होनी चाहिए। जहां पर सड़कों का अभाव है, वह अभाव नहीं होना चाहिये क्योंकि पटेल आयोग जो था लिंक रोड बनाने की, चीनी उद्योग की, छोटे-छोटे उद्योगों को चलाने की बात कही थी। हमारी सरकार ने लिंक रोड के बनाने की योजना बना रखी है और इस हेतु केन्द्रीय सरकार से 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया है और वह केन्द्रीय सरकार हमको देने जा रही है। पीने के पानी का जो सवाल है, जो सरकार 30 वर्षों में इस समस्या को नहीं हल कर सकी, हमने 3 वर्ष में स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था के लिए संकल्प किया है। और इसको पूरा करने के लिए जनता पार्टी की सरकार योजना भी बनाने जा रही है। हमें एक फेज वाइज योजना 3 वर्षों के अन्दर, गांवों के अन्दर बसने वाले लोगों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी है।

(मेजों की थपथपाहट)

हम यह भी जानते हैं कि फैजाबाद मन्डल के लोग गरीब हैं । हम यह नहीं मानते हैं कि वहां गरीबी नहीं है। वह भी हमारे प्रदेश के निवासी हैं । हमारे ही आपस के लोग हैं। अगर फैजाबाद मन्डल का विकास होगा तो मैं समझता हूं, दूसरे शब्दों में प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा। तभी हम यह कह सकते हैं कि जनता पार्टी ने वह काम, जो 30 वर्षों के समय में कांग्रेस की हुकूमत ने नहीं किया, थोड़े ही समय में करके दिखा दिया। यह कल्पना जनता पार्टी के मन में है कि छोटे-छोटे उद्योग धंधों से प्रदेश का विकास किया जाए। हमने यूनियन बैंक से बातचीत की है और उनको जिलों के सर्वेक्षण का अधिकार दिया है। वह सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक से भी बातचीत हुई है वह भी छोटे-छोटे उद्योग धंधे के लिए सर्वेक्षण करेंगे और रिपोर्ट देंगे। तब उस आधार पर सारी चीजों पर सरकार विचार करेगी।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह की चर्चा की गई है, एक बात अवश्य है, हमारे माननीय सदस्य इस बात को अपने मन से निकाल देंगे कि कहीं पर किसी के साथ भेद-भाव की बात जनता पार्टी की सरकार के मन में है। माननीय भगवती सिंह जी ने यह कहा कि कोई पक्षपात किया गया, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होने वाला है जनता पार्टी की सरकार में। क्योंकि यह सरकार जब क्षेत्रीय इम्बैलेंसेज को दूर करने की बात कहती है तो किसी भी तरीके से पक्षपात नहीं हो सकता है, इस बात का आश्वासन मैं आप को देना चाहता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

15 करोड़ रुपए की योजना रखी है। 15 करोड़ रुपए की योजना कहां पर किस तरह से लागू करेंगे यह बात जनता पार्टी के मन में है। जहां पर इस तरह की समस्यायें हैं, चाहे, लिंक रोड का सवाल हो, चाहे सड़क का सवाल हो, छोटे-छोटे उद्योग धंधों का सवाल हो, इन सारे सवालों पर सरकार सोच रही है, विचार कर रही है। यह जरूर है कि 30 वर्षों का समय हमें नहीं मिला। दो-ढाई महीनों का समय मिला है, जो समय मिला वह पिछड़े जिलों और उनके विकास के लिए चिंतन और मनन में बीत रहा है। हमारे सहयोगी भी इस सन्दर्भ में सरकार का साथ दे रहे हैं। इसीलिए योजना के आधार पर, जिला वाइज, क्षेत्र वाइज विधायकों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वह स्थानीय स्तर के नियोजन पर विचार करके क्षेत्रीय समस्याओं को रखें और रखने के बाद योजनायें बनायें। चूंकि हम भी और सरकार उन योजनाओं पर विचार करके कि कौन सी योजनायें हैं, शीघ्र लागू कर सकें, इस पर सरकार विचार कर रही है।

इसके साथ ही मान्यवर, मैं माननीय सदस्य जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, उनसे निवेदन है कि जनता सरकार, जो कुछ मन में उन्होंने लेकर संकल्प रखा है, उसको पूरा करने का विचार सरकार का है और उसकी ओर सरकार कदम भी उठा रही है। ऐसे सन्दर्भ में मैं चाहूंगा कि इस संकल्प को माननीय सदस्य वापस ले लें चूंकि आपकी भावनाओं के आधार पर सरकार काम कर रही है और करेगी तथा मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रदेश के पिछड़ेपन तथा जिलों के विकास के सिलसिले में सरकार पीछे नहीं रहेगी।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी का जिन्होंने आश्वासन दिया कि फैजाबाद मन्डल के पिछड़ेपन को ही नहीं बल्कि प्रदेश के पिछड़े जो इलाके हैं उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार योजना बना रही है। मान्यवर, हमने जो कुछ कहा वह आचार्य नरेन्द्र देव की यह जन्म भूमि है, डा0 लोहिया की जन्म भूमि है, तो हम और सरकार जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं तो उनके राम राज्य की कल्पना करके शुरू करते हैं। हमारा जो रास्ता है उसको मद्दे नजर रखकर हम कहते हैं। यदि भावावेश में कुछ कड़े शब्द हमसे निकल गए हों तो मैं क्षमा चाहूंगा और खेद प्रकाश करता हूं ; लेकिन मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी के आश्वासनों पर विश्वास करता हूं और जब मैं संकल्प को वापस ले रहा हूं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा पहले हमको ठगा गया है, हमारे क्षेत्र की जनता के साथ राजनैतिक दांव पेंच चलाए गए हैं, हमारी सरकार वैसा नहीं करेगी। कथनी-करनी में अन्तर की बात नहीं होगी। नौकरशाही और दफ्तरशाही की बात नहीं होगी कि जिस प्रकार की योजना से फैजाबाद मन्डल पिछड़ेपन का शिकार होता रहा, वह अब नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपकी बातों पर विश्वास करते हुए, अपने संकल्प को वापस लेने की सदन से अनुमति चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

सहकारी समितियों के कार्यकाल तथा उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अक्षमता की जांच करने एवं पुनर्गठन के सम्बन्ध में संकल्प

श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपना संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

"इस सदन की यह निश्चित राय है कि सरकार सहकारी समितियों के कार्य-कलाप और उनमें व्याप्त भारी भ्रष्टाचार तथा उनकी अक्षमता और अकुशलता की जांच करने एवं उनके प्रभावशाली पुनर्गठन से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करें जो अपना प्रतिवेदन 6 मास के भीतर प्रस्तुत करे"

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं सर्वप्रथम सदन का ध्यान लोक नायक जय प्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रान्ति के आन्दोलन के विगुल को बजाने वाले गत क्रान्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसके आवाह्न पर 1974-75 के दरम्यान समूचा राष्ट्र आन्दोलित हुआ और आपातकाल की घोषणा हुई। लाखों की संख्या में नेता और कार्यकर्ता जेलों में बन्दी बनाए गए और उसके प्रतिफल में मार्च, 1977 में जनता पार्टी की सरकार शासनारूढ़ हुई है। अधिष्ठाता महोदय, उस क्रान्ति की भावना आज भी

हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ी है। मैं आपके सामने आपके माध्यम से सदन के समक्ष उसकी कुछ पंक्तियों को प्रस्तुत करना चाहता हूं :—

कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को,
बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को।
आज देख लें कौन रचाता मौत के संग सगाई है,
लाख-लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है।
सत्ता-सम्पत्ति के महलों में हंसती पूरणमासी है,
यह सब अब ना चलने देंगे हमने कसमें खाई हैं।
तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रान्ति द्वार पर आई है।

मान्यवर, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोक नायक जय प्रकाश नारायण ने आन्दोलन का बिगुल बजाया था और उस आवाहन पर समूचा राष्ट्र आन्दोलित हुआ था। इस क्रान्ति गीत के आवाहन पर समूचा राष्ट्र आन्दोलित हुआ और आज जनता पार्टी के लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम शासनारूढ़ हुए हैं। अधिष्ठाता महोदय, पूरे देश में पिछले दिनों भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह हम सब जानते हैं किन्तु सहकारिता में उस भ्रष्टाचार का प्रतिशत कहीं अधिक है। मान्यवर, सहकारिता का आन्दोलन यदि सफल हुआ होता और उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त न होता तो हमारे सामने न आर्थिक समस्यायें होतीं और न राजनीतिक समस्यायें होतीं।

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान दुर्गा सप्तसती की कथा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। 100 वर्षों तक राक्षसों और देवताओं के बीच संग्राम हुआ और जिसमें महिषासुर के नेतृत्व में असुरों की विजय हुई और फिर इन्द्र के सिंहासन पर महिषासुर बैठ गया। इससे सभी देवता विपन्न होकर ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु और शंकर की शरण में गए। देवताओं को असहाय देखकर भगवान विष्णु को क्रोध हुआ और उनके मुंह से एक विराट तेज उत्पन्न हुआ जो घनीभूत होकर एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ और सभी देवताओं का तेज उसमें समा गया। मान्यवर, वह देवी स्वयं में कुछ नहीं थीं बल्कि सभी देवताओं की शक्ति, तेज और सामर्थ्य का अनुदान पाकर वह बनी थीं। उसी महाशक्ति ने दानवों का संहार किया और पुन: देवताओं और मानवों को सुरक्षा प्रदान की। मान्यवर, सहकारिता का आन्दोलन उसी पवित्र भावना को लेकर प्रारम्भ किया गया था कि जन-जन की शक्ति, जन-जन का सहयोग एक जगह केन्द्रित होगा तो गरीबी और बेकारी जैसे दानवों का संहार होकर रहेगा। इस पवित्र कल्पना को लेकर सहकारिता का आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था। श्रीमन्, किन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि वह सहकारिता की देवी दानवी प्रवृत्ति से घिर गयी है, इसलिए दानव बढ़ रहे हैं और मानव मर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ ? इसका अर्थ साफ है कि उसके मूल में कहीं हमारी भूल है जिससे भ्रष्टाचार ने इस पवित्र भावना को ग्रसित कर लिया और हमारे देश के तरक्की और उत्थान के बजाय उसी की गोद में आज भी सहकारिता की देवी तड़प रही है।

श्रीमन्, मैं क्रम से एक-एक बात को कहना चाहता हूं। माननीय सहकारिता मन्त्री यहां बैठे हैं। उन्हें इसका ज्ञान है कि हमारे प्रदेश में करीब 27-28 की संख्या में

[श्री उदय नारायण सिंह]

सुपर बाजार खोले गए। लाखों रुपए का अनुदान उसमें दिया गया, अनुभवी कर्मचारी रखे गए। उनके द्वारा जनता को सस्ती दर पर सामान मोहय्या करने की चेष्टा की गयी। फिर भी वे सुपर बाजार बन्द हो गए। आखिर कौन ऐसा प्रेत था जिसने उनको निगल लिया ? इस पर कभी आपने ध्यान दिया है ? सारा धन, सारी सम्पदा कुछ लोगों के पेट में चली गयी।

मान्यवर, अब मैं सहकारी बैंक की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम में से अधिकांश लोग गांव से आए हैं और सभी जानते हैं कि सहकारी बैंक की भूमिका देहातों में क्या रही है। वसूली के नाम पर केवल बैंक में कागज बदलाई होती है। एक बार यदि किसान ने उससे कर्जा ले लिया तो फिर उससे मुक्ति पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। यदि सौ रुपया किसी ने कर्जा लिया तो साल के अन्त में ब्याज सहित वह 110 रु0 हो जाता है। केवल दस प्रतिशत खर्च करके पुनः उसी किसान का 150 रु0 का ऋण दे दिया जाता है और 110 रु0 ले लिया जाता है। इस तरह से किसान का ऋण बढ़ता जाता है और कागज बदलता जाता है। कागज बदलने वाली मशीनरी काला धन कमाती रहती है।

अब मैं हाउसिंग कोआपरेटिव की बात कहना चाहता हूं। बड़े-बड़े शहरों में हाउसिंग सोसाइटीज बनीं। इसका इतिहास तो और भी बदतर है। यह कुछ लोगों की, जो कि प्रभावशाली हैं, मुट्ठी में खेल रही हैं। यह लोग सस्ते दाम पर अपनी पत्नी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन खरीदते हैं और खुले आम उसका व्यापार करते हैं। कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि जमीनें सस्ती खरीदी गयीं अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर और फिर भारी कीमत पर अपनी सोसाइटी को ही वह जमीनें बेंच दी गयीं इस तरह की किसी एक समिति की बात नहीं है, शायद ही कोई अपवाद स्वरूप ऐसी समिति हो जहां ऐसा कार्य न किया जा रहा हो।

श्रीमन्, अब मैं प्राइमरी उपभोक्ता सहकारी समितियों के बारे में कहना चाहता हूं। यह समितियां कुछ लोगों की पाकिट की संस्थाएं बन कर रह गयीं। केवल रजिस्ट्रेशन के समय पता चलता है कि कोई सहकारी समिति बनी है और धीरे-धीरे वह सहकारी समिति अदृश्य होने लगती है। पहले तो उसकी स्थायी सम्पत्ति और जमीन गायब होती है और बाद में पूरी समिति ही जेब में चली जाती है। मेरा निश्चित मत है कि आज से पांच साल पहले, जैसे भारत में पैदा होते ही बच्चे मरा करते थे, वैसे ही यह प्राथमिक उपभोक्ता समितियां भी समाप्त हो जाती हैं। तमाशा यह है कि जब लिक्विडेशन में यह समितियां जाती हैं तो वहां टाइपराइटर और फर्नीचर वगैरह भी गायब मिलते हैं। जिला स्तर की शायद ही कोई समिति हो जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। इस तरह समिति की सम्पत्ति व्यक्तिगत उपभोग में तो आती ही है, सदस्यों को उसका कोई लाभांश भी नहीं मिलता। इस सदन के माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपमें से अधिकांश किसी न किसी समिति के सदस्य होंगे तो आप स्वयं बतावें कि कितने ऐसे भाग्यशाली हैं जिन्हें इनका लाभांश मिला हो। आखिर लाभांश चला कहां जाता है ?

अब राज्य स्तर की सोसाइटी की कथा मुझसे सुनने से अच्छा है कि आप स्वयं ही इस पर विचार करें और देखें। माननीय सहकारिता मन्त्री जी से और जनता पार्टी के माननीय

सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हम जिस भ्रष्टाचार के उन्मूलन करने के लिए यहां शासनारूढ़ हुए हैं हमारा पुनीत कर्तव्य है कि उसी के प्रति हम निष्ठावान हों और उसके कार्यान्वयन के लिए हमारी सरकार कार्यक्रम बनाए और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि माननीय सहकारिता मन्त्री जी से कि उनको इस कार्य के लिए मुलायम सिंह की जगह चट्टान सिंह बनना होगा तब जा कर भ्रष्टाचार समाप्त होगा। अधिष्ठाता महोदय, इन शब्दों के साथ मैं संकल्प पर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय उदय नारायण सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प का मैं समर्थन करता हूं। भाई उदय नारायण सिंह ने अपने संकल्प में कहा है कि "इस सदन की यह निश्चित राय है कि सरकार सहकारी समितियों के कार्य-कलाप और उनमें व्याप्त भारी भ्रष्टाचार तथा उनकी अक्षमता तथा अकुशलता की जांच करने एवं उनके प्रभावशाली पुनर्गठन से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना करे जो अपना प्रतिवेदन छः माह के भीतर प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान और माननीय सहकारिता मन्त्री जी का ध्यान एक ऐसे गठित आयोग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जब श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री थे। सारी समस्याओं की जांच के लिए उन्होंने राम नरेश शुक्ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। मान्यवर, जहां तक मेरी जानकारी है उस समिति की रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी थी। उस समिति ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, सहकारी लोगों से गवाही ली। उसकी रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी थी कि वह समिति भंग कर दी गयी। मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि यह सारा उद्देश्य पूरा हो सकता है यदि किसी बिना अतिरिक्त खर्च के उस समिति की रिपोर्ट को प्रकाशित कर दिया जाय। कहा जाता है कि अध्यक्ष के अभाव में रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हो पाएगी। अध्यक्ष के अभाव में यदि रिपोर्ट न प्रकाशित करने का सवाल है तो कुछ दिनों के लिए और अध्यक्ष को मनोनीत कर दिया जाय जिससे सदन के पटल पर वह रिपोर्ट आ जाय और उस रिपोर्ट में इन सारी समस्याओं का समाधान और सुझाव निहित है।

मान्यवर, सहकारिता एक आन्दोलन है। यह एक जीवन पद्धति है और उस जीवन-पद्धति को अपनाने के लिए इसको आन्दोलन का रूप दिया गया है। इसका संचालन करता है गैर-सरकारी व्यक्ति, जो सार्वजनिक कार्यकर्ता होता है और जो विशेषज्ञ होता है वह समय-समय पर सलाह देता है। आज उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन की जो यह दुर्दशा हो रही है इसका मात्र कारण है कि सहकारिता में जो सार्वजनिक कार्यकर्ता थे उन को बेईमान समझ कर अलग कर दिया गया और इस आन्दोलन को पूरा सरकारी आन्दोलन कर दिया गया। सहकारी आन्दोलन अब आन्दोलन नहीं रह गया। नया विभाग बन गया है और सहकारी व्यक्तियों के नाम पर आज सरकारी अधिकारी उसका संचालन कर रहे हैं। मान्यवर,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अवधेश नरायन]

मुझे कहना है कि सहकारी आन्दोलन में जो सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं उनका नित्यप्रति का काम गैर-सरकारी व्यक्तियों का, सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का चरित्र हनन करना है, उन को बदनाम करने का है और नतीजा यह होता है कि जैसे-जैसे सार्वजनिक कार्यकर्ता उससे अलग होते जा रहे हैं तैसे-तैसे यह आन्दोलन दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है।

मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन की ओर खींचना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन में काफी घुटाला था। सन् 1971 में इस कोआपरेटिव फेडरेशन की जांच करने के लिए तत्कालीन रजिस्ट्रार ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त निबन्धक, श्री रोशन लाल, आई0ए0एस0 को नियुक्त किया था। उन्होंने पूरे पी0सी0एफ0 का निरीक्षण किया और एक लम्बी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। उस रिपोर्ट के पृष्ठ 10 पर कुछ अंश को मैं पढ़ देना चाहता हूं जिसमें कहा गया है "इसके वास्तविक दोषी व्यक्तियों को आवश्यक दण्ड तो मिलना ही चाहिए। अतः इसकी पूरी छान-बीन कराई जानी चाहिए कि ऐसा अवैधानिक कार्य किन प्रभावों तथा परिस्थितिवश किया गया तथा दोषी व्यक्ति से संस्था को जो आर्थिक हानि हुई है उसे पूरा कराया जाय"।

मान्यवर, यह सचिव की जिम्मदारी होती है। रजिस्टर को मेनटेन करना किसी सहकारी समिति के और उस समय जो सचिव थे उन्होंने गलत तरीके से शासन का 60 प्रतिशत हिस्सा पी0सी0एफ0 में दिखाया जबकि सरकार का उतना हिस्सा था नहीं। परिणाम यह हुआ कि जो चुना हुआ संचालक मण्डल था उसकी जगह दो तिहाई सरकार के द्वारा सदस्य मनोनीत किए गए। तो इस तरह से रिपोर्ट के अनुसार एक गलत अधिकारी ने कागजात में जालसाजी की और जो चुना हुआ बोर्ड था उसको हटाने की कोशिश की लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

मैं एक और अंश जो पेज 32 पर बैलेन्स शीट के सम्बन्ध में है, पढ़ देना चाहता हूं। किसी संस्था का लेखा-जोखा बैलेन्स शीट से ही मालूम होता है। उस पर कमेंट करते हुए जिस अधिकारी ने जांच की और यह लिखा है कि उपरोक्त समीक्षा से यह भी स्पष्ट है कि संस्था का खर्चा निरन्तर बढ़ा है और जितना व्यापार संस्था ने किया है उस हिसाब से जो लाभ दिखाया है वह बहुत कम है और काल्पनिक है जैसा कि आगे चल कर अनुभागों की समीक्षा से ज्ञात होगा। बैलेन्स शीट बनाने की जिम्मेदारी सचिव की होती है और इंस्पेक्शन नोट यह कहता है कि बैलेन्स शीट में जो मुनाफा दिखाया गया है वह काल्पनिक है लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई। मुझे तो यह सूचना भी है कि यह रिपोर्ट कांग्रेस के शासन में सदन के पटल पर रखी गयी थी लेकिन इस पर विचार इसलिए नहीं हुआ कि सरकार के कुछ उच्चाधिकारी उसमें दिलचस्पी रखते थे और उनके विरोधी उस बोर्ड पर हावी थे। आज जो भी दुर्दशा हो रही है सहकारी आन्दोलन की उसका कारण यह है कि उसका अधिकारीकरण कर दिया गया है और आन्दोलन को विभाग बना दिया गया है। अभी-अभी यह जिक्र किया गया कि समितियों के अन्दर अधिकारियों की एक अजीब माया रही है। जब प्राइमरी समितियां होती थीं और एक समिति का कार्य-क्षेत्र एक गांव होता था तो उस समय पैसे का घपला नहीं था। जो सरपंच, खजान्ची अथवा मन्त्री होते थे उनको इस बात की जानकारी होती थी कि पैसा किस को दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है लेकिन जब से इसका क्षेत्र वायबिल यूनिट के नाम पर बढ़ाया गया और 5, 6 पंचायतों को एक कर

दिया गया तो जो गैर सरकारी कार्यकर्ता थे वे उससे दूर हो गए । एकाउन्टेंट इस बीच में आ गए और सारा का सारा घपला इस बीच में हुआ है । तो मैं कहना चाहता हूं माननीय मन्त्री जी मौजूद हैं वह इस पर पुनः विचार करें और जो प्रारम्भिक समितियां हैं उनका एक गांव में ही कार्य सीमित रहे. . .

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री अवधेश नरायन--

उनको मल्टी-परपज सोसायटी बनाया जाय एक गांव तक ही वह सीमित रहें वही लोन भी दें, वही कन्ज्यूमर गुड्स भी दें, वही खरीद भी करें। इसका फल यह होगा कि यह छोटी तो होगी लेकिन गैर-सरकारी लोग उसकी पूरी जानकारी रखेंगे और साथ ही साथ उनमें मुनाफा भी होगा और इससे जो शुरू में भ्रष्टाचार होता है वह भी कम होगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त करें।

श्री अवधेश नरायन--

मैं एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर मन्त्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। मान्यवर, कोआपरेटिव ऐक्ट जो है उसमें एक धारा 35 है और उस धारा से कर्मचारियों को अधिकार है कि बिना हमारी सफाई लिए ही, बिना हमें कुछ कहने का मौका दिए ही किसी भी सहकारी समिति को सस्पेण्ड कर सकते हैं, सुपरसीड कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अप्रजातांत्रिक अधिकार और कुछ हो नहीं सकता नौकरशाही के हाथ में। यह जो आपने ताकत दे रखी है उसका इस्तेमाल वह हर एक अच्छे कार्यकर्ता के लिए, उसके चरित्रहनन के लिए करते हैं। इस पर विचार नहीं हुआ तो आज जो हमारी दुर्दशा हो रही है, कल वह आपकी भी हो सकती है। इसलिए मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन को अधिकारियों के बन्धन से जब तक मुक्त नहीं करेंगे. . .

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री अवधेश नरायन--

तब तक यह फलीभूत नहीं हो सकता।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय सदस्य, बनारस ने संकल्प सदन के सम्मुख रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं आग्रह करूंगा माननीय सहकारिता मन्त्री जब इधर बैठते थे तो वह सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अकेले जितने सवाल उठाते थे उतना मैं समझता हूं कि हम नहीं उठाते थे। इसलिये जब वह सहकारिता मन्त्री हुए तो मेरी अपेक्षाएं, मेरी आशाएं और मेरा आत्म-विश्वास बढ़ा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]
जिस सहकारिता से हम समाजवाद ला सकते हैं, जो समाजवाद की बुनियाद है, जिस समाजवाद की कल्पना हम हिन्दुस्तान में करते हैं वह दरअसल सहकारिता पर ही आधारित है। लेकिन जब सहकारिता की तरफ आंख उठाते हैं .....

(इस समय 3 बजकर 21 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शम्भू नाथ पीठासीन हुए।)

और उसकी जो मौजूदा हालत है, उसका जो ताना-बाना है, उसमें जो भ्रष्टाचार है उसकी ओर जब हम देखते हैं तो निराशा होती है। इस विभाग से बड़ी उम्मीद थी लेकिन आज सामान्य आदमी कहता है कि प्राइवेट सेक्टर में इतना भ्रष्टाचार नहीं है जितना कि सहकारिता विभाग में है। आज क्वेश्चन आवर में एक सहकारी चीनी मिल, औरैया की बात आई, मैं केवल एक मामले की बात नहीं कहता, मैं कहना चाहता हूं कि सारे मामलों की जांच कराई जाय, मुझे विश्वास है कि इस विभाग में बहुत बड़ा घपला हुआ है। यह सब जगह हुआ है केवल बनारस की बात नहीं है।

इमरजेंसी पीरियड में जो इस विभाग ने करिश्मा किया है उसकी तरफ दो-तीन उदाहरण देकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दिल्ली में एक सहकारी भवन खुला और उत्तर प्रदेश के सहकारी विभाग के अधिकारी जो थे उन्होंने बिना किसी से पूछे, बिना रिजर्व बैंक के डायरेक्शन के 50 हजार रुपये श्रीमती इन्दिरा गांधी के लाड़ले को खुश करने के लिए दे दिया। इतना ही नहीं यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक जो है जिसका एक पैसा भी बिना किसी इजाजत के नहीं निकाला जा सकता उस बैंक से एक लाख रुपया निकाल कर दे दिया गया। इतना ही नहीं जो गांवों में कोआपरेटिव बैंक फैले हुए हैं जिनकी कि सैकड़ों में संख्या है, उनकी जो लोनिंग थी, उनकी जो सम्पत्ति थी उसमें से जबरदस्ती 90 हजार रुपए काट कर किसी अखबार के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी के लाड़ले को खुश करने के लिए, क्योंकि वह उसमें इन्टरेस्टेड थे, वह चाहते थे कि पूरे हिन्दुस्तान में उसका वितरण हो उसके लिए 90 हजार रुपये दे दिए और जबरदस्ती 90 हजार रुपया, जो किसानों का रुपया उन का बैंकों में जमा था, वहां से दे दिया गया। सहकारी विभाग में जो ग्रामीण स्तर का मामूली कर्मचारी एकाउन्टेंट होता है, जिसको पहले तनख्वाह 40–60 रुपया माहवार मिलती थी और अब जो दो–ढाई सौ रुपया मिलती है, इन लोगों ने भ्रष्टाचार के बल पर अपनी बेहैसियत खड़ी कर ली है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक एकाउण्टेंट है जो अन्य बहुत से विभाग के कर्मचारियों की तरह बेपढ़ा-लिखा है, क, ख, ग भी नहीं जानता है, फर्जी सर्टिफिकेट के बल से हो गया है उसने बस–ट्रक खड़ी कर ली है। सहकारिता विभाग में वहां कोई भी ऐसा एकाउण्टेंट नहीं होगा, जिसकी ट्रक और बस न चलती हो। हर एक ने ट्रक खरीद लिया है और दूसरी सम्पत्ति बना ली है। कोई ऐसा नहीं है जिसने पिछले 10–15 साल में अपनी सम्पत्ति को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना और 100 गुना तक न बढ़ा लिया हो। हमने उनके लिए मांग की थी कि इनको एक जगह से क्यों नहीं हटाया जाता है, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उनके भारी भ्रष्टाचार को सदा नजर-अन्दाज किया जाता रहा है।

इसी तरह से विभाग के सुपरवाइजर हैं, वे भी भ्रष्टाचार के मूल हैं। वही बीज बांटेगा, खाद बांटेगा और वही नसबन्दी करायेगा और सभी कामों में भ्रष्टाचार करेगा, फिर इन

कामों के बाद उसके पास इस आन्दोलन के लिए समय कहां रहता है ? इसलिए जो हमारा लक्ष्य था, उससे दूर होते चले गए हैं। इसलिए मैं निष्पक्ष रूप से कहना चाहता हूं कि इसको यदि स्वच्छ नहीं किया गया तो इसमें हमारी आस्था घटेगी और नौकरशाही के एकाधिकार की जो बातें हैं वह और पनपेगी, उसे हम रोक नहीं सकेंगे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि बिना किसी विवाद के, जो सच्चाई है, हकीकत है, उसको मानकर सहकारी संघों की जो व्यवस्था है, उसको हम आमूल-चूल बदलें। उनके लिए एक ही निदान है कि हम एक उच्चस्तरीय कमीशन नियुक्त करें, जिससे कि सारे मामले की जांच हो और जिस तरह से भ्रष्टाचार इसमें पनप रहा है, वह दूर हो। यदि हम इसे नहीं कर सके, तो जिस शासन की कल्पना जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में की है अर्थात् गांधीवादी व्यवस्था की और एक ऐसी अर्थनीति की बुनियाद डालने की जिसका अधिकतम लाभ उन लोगों को मिले, जो गांवों में रहते हैं, जिनकी आमदनी रोजाना 30–40 पैसा ही है, जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है, जिसके आधार पर वे कर्ज ले सकें, वह कल्पना कभी भी साकार रूप नहीं ले सकेगी।

यदि हम चाहते हैं कि उन गरीबों के घर भी उसका एक हिस्सा पहुंचे, उनके घर में भी मिट्टी का एक दीपक जल सके, लोकनायक जयप्रकाश जी के समाज की कल्पना सही रूप ले सके और जिसे साकार रूप देने के लिए जनता पार्टी आई है उसे हम अमली जामा पहना सकें, तो इस सबके लिए आवश्यक है कि इस प्रकार के आयोग का गठन हो, जिससे सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद दूर किया जा सके और रोशन लाल कमेटी की सिफारिशों का अक्षरश: पालन किया जा सके और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ उन्हें दूसरी जगह भेजकर कानूनी कार्यवाही की जाए।

श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आज आपका ध्यान, जो अभी माननीय उदय नारायण जी ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि सहकारिता विभाग के अन्दर भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसे समाप्त करने के लिए एक आयोग की स्थापना होनी चाहिए, की ओर आकर्षित करते हुए मैं अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। मैं सन् 1959 से लेकर सन् 1975 तक जिला सहकारी बैंक, बिजनौर का मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन के रूप में रहा हूं। मैं रिजर्व बैंक आफ इंडिया की स्टडी कमेटी का, जिसने पूरे प्रदेश में निरीक्षण किया है, नान-आफिशियल मेम्बर के रूप में एकमात्र सदस्य रहा हूं। इसके अलावा जब चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में संविद सरकार बनी, जिसमें श्री गंगा भक्त सिंह जी सहकारिता मन्त्री थे, उस समय में मुझको और श्री रवीन्द्र किशोर शाही को सरकारी मनोनीत डायरेक्टर नियुक्त किया गया था और इस बात के लिए कहा गया था कि हम देखें कि इस प्रदेश के अन्दर कोआपरेटिव के अन्दर कितना भ्रष्टाचार है और इसको किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग यह कहते हैं कि इस प्रदेश के अन्दर सहकारिता के अन्दर कोई भी अच्छाई नहीं है, उसमें केवल भ्रष्टाचार है, मैं उनको चैलेन्ज करना चाहता हूं। और इस रूप में कहना चाहूंगा कि किसी भी सहकारिता आन्दोलन को

[श्री हरिपाल सिंह शास्त्री]

चलाने के लिए बैंकों के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। उनमें डिपाजिट्स अच्छे होने चाहिए। जिला सहकारी बैंक, बिजनौर ने 4 करोड़ से अधिक के डिपाजिट्स इकट्ठा करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 1959 से लेकर 1976 तक 90 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक वसूली की है। माननीय दीपनारायण जी कह रहे थे कि किसी को मुनाफा नहीं बंटता। मैं चैलेन्ज करूंगा कि बिजनौर जिला सहकारी बैंक का निरीक्षण करें। वह इस परिणाम पर पहुंचेंगे कि हमने हमेशा 6 परसेन्ट प्राफिट दिया है। हमने सहकारिता आन्दोलन को वाणिज्यिक विभाग का रूप देने का प्रयास किया है। इस विभाग के अन्दर कुछ भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर हम यह समझें कि इस भ्रष्टाचार के आधार पर सहकारिता आन्दोलन को समाप्त कर देंगे, तो यह बड़ी भारी भूल होगी। मुझे जापान जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहां मैंने सहकारिता आन्दोलन की स्टेडी की। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि वहां भारतवर्ष में ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं। उन्होंने कहा कि अगर यहां पर भी इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गयी तो उस दिन जापान को समाप्त कर देंगे और सहकारिता आन्दोलन समाप्त कर देंगें। यदि किसी जगह पर ट्रांसफर एंट्रीज होती हैं तो उसको समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।

आज भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जिस प्रकार का प्रयास यादव जी द्वारा किया जा रहा है, वह सराहनीय है। उन्होंने प्रयास किया है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय, छोटे-छोटे उद्योग धंधे ग्रामीण क्षत्रों में स्थापित करने के लिए भी वह प्रयास करना चाहते हैं। मैंने उनकी योजनाओं को पढ़ा है। यदि उन उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किया गया तो प्रदेश के अन्दर बेरोजगारी समाप्त हो जायगी और भ्रष्टाचार सहकारिता आन्दोलन में भी समाप्त हो जायगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। उस पक्ष के लोग कहते हैं, माननीय भूतपूर्व मुख्य मन्त्री वहां तिवारी जी मौजूद नहीं हैं। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र में अपने विरोधियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। किसी को मीसा में बन्द कर दिया, किसी को धारा 120-बी में। बैंक इम्प्लाइज यूनियन के उपाध्यक्ष के माध्यम से सहकारिता आन्दोलन में काम करने वाले बहुत से लोगों को बन्द करवा दिया गया। सहकारिता विभाग में पुलिस सेल की स्थापना लक्ष्मीशंकर जी यादव ने नहीं की थी। उनकी यह भावना थी कि गबन तथा स्पेशल आडिट पार्टी समितियों तथा पदाधिकारियों के विरुद्ध विभाग जिनके लिए पुलिस सेल में शिकायत करें उनकी जांच पुलिस सेल करे लेकिन शान्ति प्रपन्न जी शर्मा भूतपूर्व सहकारिता मन्त्री ने नाजायज राजनैतिक फायदा उठाया और 33 लोगों को 409 में बन्द करवा दिया, यह कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं। मैं सहकारिता मन्त्री और माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उन लोगों के सम्बन्ध में जिनके सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं की है, और जिनके सम्बन्ध में सहकारिता विभाग ने कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की है, उन सबके बारे में जांच करायें कि क्या उन लोगों ने वाकई में भ्रष्टाचार किया है। क्या उन लोगों ने गबन किया है, या कोई कांसपिरेसी है, सारे प्रदेश में पुलिस सेल इसी प्रकार भ्रष्टाचार साबित करना चाहती हैं। यदि सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देना चाहिए। लेकिन इस आन्दोलन को केवल सरकार का अंग बना कर, केवल सरकारी विभाग बना कर इस क्षेत्र की समाजवाद की भावना अगर समाप्त कर देंगे तो जयप्रकाश नारायण जी जिस

भावना को जीवन में ओर करोड़ों-करोड़ों भारतवर्ष के लोग प्रतिबिम्बित करना चाहते हैं, और लोहिया जी प्रतिबिम्बित करना चाहते थे, वह समाप्त कर देंगे। इस प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था करने का आन्दोलन सहकारिता द्वारा हुआ है, कृषि को सहकारिता आन्दोलन ने विकसित किया है। उसमें जो लोग दोषी हैं, उनको दण्ड दिया जाय। लेकिन सहकारिता आन्दोलन को बदनाम करने से इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। और सहकारिता मन्त्री महोदय, सहकारिता विभाग अधिनियम की धारा 29 और धारा 25 के अन्तर्गत सारी सहकारी समितियां भंग कर दी गयी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया समाप्त करें।

श्री हरिपाल सिंह शास्त्री—

एक मिनट। सारे प्रदेश में काम करने वाले लोगों को समाप्त कर दिया है। सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाने के लिए आप शीघ्र से शीघ्र निर्वाचन करें और जो भ्रष्टाचार है वह समाप्त हो। जय हिन्द।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय उदय नारायण सिंह जी ने संकल्प रखा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो हाई-पावर कमेटी की मांग उन्होंने की है वह इतनी सही है कि उस कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार अमल-दरामद कर ले। कमीशन और कमेटियां बहुत बनती हैं लेकिन जब उन पर अमल करने का मामला आता है तो वह नहीं होता है। सहकारिता एक आधार-शिला है जो बेस है समाजवाद का, इसके बगैर समाजवादी व्यवस्था नामुमकिन है और आज इस समाज के अन्दर कोई भी आदमी हो, छोटे से लेकर बड़े तक वह किसी न किसी तरह से सहकारिता से जुड़ा हुआ है, चाहे वह गन्ने के सिलसिले में हो या कन्ज्यूमर कोआपरेटिव के सिलसिले में हो या किसी और सिलसिले में हो वह सहकारिता आन्दोलन से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखने में यह आया है कि सहकारिता का जो जन्म हुआ था वह अब समाप्त हो गया है। इसलिए माननीय मन्त्री जी यह प्रयास करें कि जो लोगों की पहले सहकारिता में आस्था थी वह बनी रहे।

अगर आप किसी से कहें कि कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा ले लो तो वह 5 बार उठा-बैठकी लगायेगा और कहेगा कि किसी और से ले लूंगा लेकिन कोआपरेटिव से नहीं लूंगा। चेक सिस्टम हो गया, फोटो सिस्टम हो गया लेकिन जिस आदमी ने रुपया नहीं लिया था उसके नाम वह चढ़ा हुआ है। हजारों केसेज आज भी हैं जिन्होंने रुपया नहीं लिया था और डिक्री हो गयी। लोगों ने अपनी जमीन बेचकर पीछा छुड़ाया है और श्रीमन्, मुरादाबाद में बहुत से ऐसे केसेज हैं। शास्त्री जी ने बिजनौर की बहुत तारीफ की। मुरादाबाद में 10–10 और 12–12 साल आदमी को मरे हो गए हैं लेकिन उनके नाम से अब भी रुपए का लेन-देन हो रहा है। लोगों ने जमीन बेचकर अपना पीछा छुड़ाया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

यह सब मैं जानता हूं। कोआपरेटिव के ऊपर और फिर बिल आ रहा है उसमें काफी टाइम मिलेगा, इसलिए मैं इस समय सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में एक दूध फैक्टरी बन गयी है। 47-48 एकड़ जमीन दलपतपुर में सड़क के किनारे ली है। बड़ी शानदार इमारत बनी है। रात मे आप चले जायं तो ऐसा मालूम होता कि दीवाली है। उसको बने हुए 7–8 साल हो गए हैं लेकिन 70–80 लाख रुपए का घाटा है। जिस अफसर की तनख्वाह बाहर एक हजार होती है और जब वह वहां पर पहुंच जाता है उसकी तनख्वाह ढाई हजार रुपया हो जाती है। जो सरकारी अधिकारी वहां पर रहते हैं उनकी हालत यह हो गई है कि रोजाना लेबर्स से मजदूरों से झगड़ा होता है और इसी तरह की सारी चीजें होती रहती हैं। दरख्वास्तों पर दरख्वास्तें आती हैं। और इंक्वायरी पर इंक्वायरी होती रहती है। कभी असिस्टेंट रजिस्ट्रार इंक्वायरी के लिए जाते हैं और कभी डिप्टी रजिस्ट्रार जाते हैं और कभी रजिस्ट्रार इंक्वायरी के लिए जाते हैं, लेकिन वहां के लोगों के काम करने के रवैए में जरा भी अन्तर नहीं होता है।

श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि हाई-पावर कमेटी बनाई जाय और जो सबसे पहले इंक्वायरी कराई जावे वह उन समितियों के जो पदाधिकारी हैं, जैसे एकाउण्टेंट, खचांजी, मैनजर आदि उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। वहां एकाउण्टेंट्स से लेकर डाइरेक्टर्स तक मिले हुए हैं, और मैं नहीं कह सकता। बिजनौर की हालत एक्सेप्शन हो सकती है मैनजिंग डाइरेक्टर्स इत्यादि सभी मिले हुए हैं। एक अहम रोल अदा करते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि सहकारिता जिसको बनाया गया इसलिए कि किसी के पास कोई चीज है, किसी के पास धन है किसी के पास हाथ पैर हैं तो इन सब चीजों को मिला कर कोई चीज आएगी। आज कोई काम भी कोआपरेटिव के नाम से कर रहे हैं, जनता में, कामन-मैन को कोआपरेटिव नाम से घृणा है। इसलिए यह बात मैं कह रहा हूं।

एक जमाने में कोआपरेटिव आन्दोलन चला और समाप्त हो गया। माननीय मन्त्री जी आप इस आन्दोलन में भी रहे हैं। आपसे बड़ी आशाएं हैं। आप इस कोआपरेटिव को ऐसा रूप दें जिससे दोबारा आस्था पैदा हो। इस तरह से कोआपरेटिव संस्थान में आस्था पैदा होगी और इस समाज का कल्याण होगा। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए एक हाई-पावर कमटी जैसा कि संकल्प के अन्दर है आप बनवाएं ताकि वह एक रिपोर्ट दे। लेकिन उसकी रिपोर्ट पर अमल-दरामद जरूर हो वरना इससे कोई फायदा नहीं होगा।

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए बड़ा आभारी हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जैसाकि पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि आज देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैल गया है लेकिन यह बात कोआपरेटिव सुहकमें में है और उसके बारे में मैं बहुत थोड़ा समय लेकर मैं बताना चाहूंगा कि आयोग की मांग की गयी। आयोग बने और अपनी रिपोर्ट 6 महीने में दे। इससे पहले जैसा कि हमारे

साथी ने कहा कि एक आयोग बना और उसके शुक्ला जी अध्यक्ष थे। उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई तो पहले रिपोर्ट प्रकाशित होनी चाहिए। दूसरी बात यह थी कि जो रिपोर्ट आ जाती है उस पर अमल होना चाहिए। रोशन लाल कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर अमल नहीं हुआ। मूलभूत परिवर्तन ऐक्ट में होने चाहिए, जिनसे कुछ भला हो सके। धारा 34 है जिसका प्रयोग न हो। जनता के चुने हुए लोगों को ये सरकारी कर्मचारी हिसाब-किताब दे-लेकर कहना चाहते हैं कि 60 परसेन्ट हिस्सा हो गया और जब चाहे हटा सकते हैं और उससे एक राजनैतिक कार्यकर्ता और सहकारी कार्यकर्ता का मनोबल गिरता है और अपने आप को यह समझता है कि यह सब हमारी वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐक्ट बनाने का काम तो हम लोग करते हैं, हम लोग सुझाव देते हैं। असेम्बली में हमेशा कोआपरेटिव के बारे में सुझाव दिए गए। मैं नहीं समझ पाता कि उन पर कोई अमल भी होता है या नहीं। यदि होता भी है तो उसका अर्थ कुछ का कुछ निकलता। कोआपरेटिव में बहुत दिनों से हरिजनों के प्रतिनिधित्व की मांग थी और माननीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि मण्डी समितियों में उनका प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए। उन्होंने ऐक्ट में यह प्राविधान भी किया था कि जब तक उसमें दो आदमी शैड्यूल्ड कास्ट के नहीं होंगे तो सम्बन्धित मण्डी समिति गठित नहीं मानी जायगी। इसी मांग को मानकर ऐक्ट में यह परिवर्तन कर दिया गया कि वीकर सेक्शन के नाम से दो आदमी उसमें रहेंगे। उसकी मूल मंशा यह थी कि जो कमजोर वर्ग था, वह इसमें आ जायगा लेकिन हम देखते है कि पी0सी0एफ0 का जो चुनाव हुआ वे लोग भी वीकर सेक्शन में आ गए। उनमें से एकढ़ डायरेक्टर भी बना। वीकर सेक्शन के लिए यह कहा गया कि जिसके पास सवा 3 एक से कम जमीन हो, वह इसमें आ जायगा। देखने में यह आया है कि लढ़कों के नाम से प्रापर्टी है और उनके नाम नहीं है, तो वे भी वीकर सेक्शन में आ गए। मैं चाहूंगा कि ऐक्ट में हमारे माननीय मन्त्री जी को तुरन्त संशोधन करना चाहिए। आयोग अगर बना भी दिया गया तो वह 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा जो बहुत ही लम्बा समय है। हालांकि मैं बहुत तो सहकारिता के बारे में नहीं जानता, लेकिन एक छोटी सी सोसायटी में ही रहा हूं। मैं वहां के अनुभव के बारे में तो नहीं बताना चाहता लेकिन दो साल से उसमें झगड़ा चल रहा है। और सबसे बड़ा दुख तो यह है कि ऊपर से नीचे तक कोई पूछने वाला नहीं है।

हमारे माननीय मन्त्री जी ने सहकारिता का बहुत अध्ययन किया है और इसके बारे में सदन में उन्होंने सुझाव भी दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि उन सुझावों को जिनको हम लोग सदन में रखते हैं उन पर अमल करने का कष्ट करें। भले ही वे आयोग बैठाएं या न बैठाएं यह तो उनकी इच्छा है। हमारा मन्त्रि मण्डल और जो विधान सभा के 425 सदस्य हैं, वह एक बहुत बड़ा आयोग है। हम सब सदन में सुझाव देते हैं इसलिए कि इस प्रदेश का भला हो, कोआपरेटिव की नीव जो कमजोर हो गयी है, वह मजबूती से कायम रहे। इसमें एक बहुत बड़ा दोष है। कोआपरेटिव में जो लोग काम करते हैं वे यह समझते हैं यह ग्रीन पास्चर फार फेवरेबिल डंकीज है। वहां पर जो सरकारी कर्मचारी जाता है वह यह समझता है कि उसे तो वहां पर 6-7 या 4 साल रहना है फिर उसे तो अपनी ओरिजिनल पोस्ट पर जाना ही है। तो जितने

[श्री त्रिलोक चन्द्र]

दिन आए हो मौज कर लो। उसे कोई लगाव नहीं रहता है कि संस्था अगर तरक्की करेगी तो हम रहेंगे और हमारा भविष्य उज्जवल होगा। मैं समझता हूं कि यह जो डेपुटेशन की प्रथा है वह तुरन्त समाप्त होनी चाहिए ताकि वहां पर काम करने वाला यह न सोचे कि हमारे ऊपर डेप्युटेशन वाला आदमी है। इसके अतिरिक्त आज मैंने आपका एक परिपत्र पढ़ा जिसमें माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने लिखा है कि दो सोसाइटी, एक सोसाइटी ए0 आर0 करेंगे, एडिशनल रजिस्ट्रार, उसके इंसपेक्टर दो सोसाइटी करेंगे, ए0 डी0 ओ0 दो सोसाइटी करेंगे, एक सोसाइटी करेंगे। इस प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि जितना समय उसमें दिया है और जिस ढंग से होता था कि नाम दे दिया गया, एक आदेश पारित कर दिया गया कि सोसाइटी का सत्यापन होगा तो उसी ढंग से काम होना चाहिए। मैं समझता हूं उस लगन से अगर मन्त्री जी ने जिस लगन से वह पुस्तिका निकाली है और काम नहीं हुआ और उतनी शक्ति से सत्यापन नहीं हुआ, तो फर्जी रिपोर्टिंग हो जायगी और जो मंशा आपकी सुधार करने की है वह पूरा नहीं हो पावेगी। इन सुझावों के साथ मैं आशा करता हूं कि अपने मन और लगन से जितनी सफाई कर सकें, जितने जन-प्रतिनिधियों को आगे बढ़ा सकें, जो भले लोग हैं तो यह कोआपरेटिव मूवमेंट सफलता को प्राप्त होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मन्त्री जी, जो इस विभाग के मन्त्री हैं वह डा0 लोहिया और आचार्य नरेन्द्रदेव के बड़े अनुयायी हैं। यह खुशी की बात है। भ्रष्टाचार के विरोध में काफी आन्दोलन चले हैं, उसके बारे में उनको ज्ञान है। लेकिन कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। एक फ्लाइंग क्लब लखनऊ में है, जोकि कोआपरेटिव सोसाइटी ऐक्ट के तहत वह रजिस्टर्ड है, उसमें काफी भ्रष्टाचार है। श्रीमन, संजय गांधी साहब जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए तो वहां से हवाई जहाज उनका सारा सामान लेकर गया और उड़ानें भरी गयीं और उनको सिखाने की छूट दी गयी और थोड़ा-थोड़ा करके अपनी रंगरेलियां मनाने के लिए वह फ्लाइंग क्लब से जहाज ले गए। उसमें लाखों का धन खर्च हुआ और उनसे कुछ टूट भी गया जिससे बड़ा भारी नुकसान हुआ। मुख्य मन्त्री जी को फ्लाइंग क्लब के एक सदस्य ने इस आशा का एक प्रतिवेदन दिया है। मैं चाहूंगा कि हमारी सरकार कम से कम इस भ्रष्टाचार के विरोध में, जहां संजय गांधी का इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार एक कोआपरेटिव सोसाइटी के सम्बन्ध में है तो उसे तत्काल दूर करें और प्रभावकारी कदम उठाएं।

उसके बाद निवेदन करना चाहूंगा कि यही नहीं, हमारे यहां एक सोसाइटी है नगला बारी की जहां 1,40,000 का घपला है। एक भी वहां का निवासी मेम्बर नहीं है, सारे फर्जी लोग मेम्बर हैं जो फीरोजाबाद से बाहर के रहने वाले लोग हैं। यह मालूम किया जाय कि कौन उसके मेम्बर हैं और क्या तनख्वाहें पा रहे हैं। (लाल बत्ती जलने पर) मु समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप जल्दी खत्म करें। एक ही बात कह रहे हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

तो नगला बारी सोसाइटी की गड़बड़ी दूर की जाय। इसके अलावा और भी सोसाइटीज हैं मुघऊ चन्दवार इत्यादि की, वहां के आदमी मेम्बर नहीं हैं और रुपए की गड़बड़ी है। इन सोसाइटियों के जो सुपरवाइजर हैं, अधिकारी हैं उनके बारे में जांच होनी चाहिए कि क्या तनख्वाह मिलती है और कितनी बड़ी कोठियां हैं, मोटर साइकिल से चलते हैं। आखिर यह खर्चे कहां से पूरे होते हैं ? मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्मचारियों की और सब की पूरी जांच होनी चाहिए और उसको तुरन्त मालूम करके उचित कार्यवाही की जानी चाहिए, आप समय नहीं दे रहे हैं। ठीक है।

श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

सहकारिता अब देश के किसान से, मजदूर से, गरीब आदमी से जुड़ चुकी है और जुड़नी भी चाहिए। लेकिन प्रश्न यह है कि आज यह सहकारिता पूंजीपतियों या सामन्तों के हाथ में चली जाती है और गरीबों को लाभ नहीं मिलता।

मुझे अच्छी तरह मालूम है तहसील किरावली में एक ओलैण्डा फार्म है। वह शायद आज भी आपके कागजात में एक कोआपरेटिव फार्म के रूप में चल रहा है, लेकिन उस पर दो–तीन आदमियों ने कब्जा कर लिया है और करीब 40 किसानों को वहां से पीट कर भगा दिया है। कोआपरेटिव में दो प्रकार का भ्रष्टाचार है। एक तो जो कोआपरेटिव सोसायटी बनती है, चाहे उपभोक्ताओं के नाम से या कारीगरों के नाम से, तो कारीगरों के नाम से कोई पूंजीपति बना लेता है और उपभोक्ता के नाम से कोई बड़ा दुकानदार बना लेता है। तो एक भ्रष्टाचार यह है कि समितियां ठीक तरह से गठित नहीं होती हैं, फर्जी होती हैं। अभी हाथरस में रेलवे का एक ठेका कोआपरेटिव ने ले रखा था। लेकिन जब रेलवे द्वारा जांच की गयी तो पता चला कि जो उसके सदस्य दिखाए गए थे, वे सदस्य नहीं थे। तो पहले तो इस बात का ध्यान रखा जाय कि जब कारीगर या गरीब उपभोक्ता अपनी कोआपरेटिव सोसायटी बनाते हैं तो वह सहकारी समिति गरीब उपभोक्ताओं और कारीगरों की ही होनी चाहिए, बड़े पूंजीपति या दुकानदार फर्जी नाम लेकर कोआपरेटिव का लाभ न उठा सकें।

दूसरा भ्रष्टाचार है फर्जी कर्जे, जो सम्भवतः अशिक्षा के कारण है। कल मैं आगरे में था। वहां गांव लखनपुर, ब्लाक बिचपुरी के दस आदमी मेरे पास आए। उन सब का कहना था कि कर्जा हमने कभी नहीं लिया। जो कर्जा 10–20 साल पहले लिया भी था वह सब बहुत पहले अदा कर दिया लेकिन यह कर्जा हमारे ऊपर दिखाया जा रहा है। अच्छा है, मन्त्री जी ने अच्छा कदम उठाया है और यह आदेश दिया है कि जितने खाते हैं सब का सत्यापन किया जाय। तीन प्रकार का भ्रष्टाचार है। पहला यह कि जिन लोगों ने प्रोनोटों पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन माफ करना कुछ लोग जो केवल सरकारी कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे थे और गैर सरकारी लोगों को माफ कर रहे थे तो मैं साफ कह देना चाहता हूं कि दोषी दोनों समान रूप से रहे हैं। यहां तक मैंने देखा कि भूतपूर्व डायरेक्टर के सामने एक किसान ने उठ कर कह दिया कि पैसा आपने लिया, मुझको एक पैसा नहीं दिया। तो पहली चीज यह कि दस्तखत कहीं नहीं हैं लेकिन उनके नाम से कर्जा दूसरों

[श्री श्याम दत्त पालीवाल]

ने ले लिया। दूसरे, अंगूठा लगवा लेते हैं लेकिन पैसा कम देते हैं, लिख ज्यादा लेते हैं बेपढ़े लिखे होने के कारण। तीसरे 5 बिस्वा खेत है और 1,800 रुपए की खाद और हजार रुपए का बीज उनके नाम लिखा है। इतनी खाद और बीज वह कहां डालेगा? सहकारिता छोड़ नहीं सकते, सहकारिता अपनाना है, उसके बिना कार्य नहीं चलेगा। तो समितियां जो बनें वह सच्ची और असली बनें यह देखा जाय। दूसरे, जो भ्रष्टाचार ऋण देने में होता है उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं इस पर ध्यान दिया जाय।

एक बात और कहनी है कि जो सत्यापन समितियां मन्त्री जी ने बनाई हैं उनमें विधायकों और संसदों को भी स्थान दिया जाता तो अधिक काम होता क्योंकि अपने कर्मचारियों द्वारा की गयी बेइमानियों को शायद छिपाने की कोशिश करें।

*श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि पिछले शासन ने सहकारिता जैसे पवित्र कार्य-क्रम को भी अपने निजी हित में लगाया। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि सहकारिता जैसे पवित्र आन्दोलन को कांग्रेस के पिछले दस वर्ष के शासन नें अपनें निजी हितों में लगाया, उसमें भाई-भतीजावाद लाया, उसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला लाया और उस भ्रष्टाचार को रोकनें के लिए हमारे ही सदस्यों को संकल्प प्रस्तुत करना पड़ रहा है।

मैं बनारस और मिर्जापुर का उदाहरण देकर कहूं कि आज तक वहां पर जितनी भी कोआपरेटिव फेडरेशन संस्थान हैं, वहां आज भी इसी सदन के भूतपूर्व मन्त्री वहां के डी0 आर0 पर अपना प्रभुत्व डाल कर अच्छी समितियों को भंग करा कर कोआपरेटिव में घुसपैठ लगाए हुए हैं। मिर्जापुर और बनारस जहां आज भी इस प्रदेश के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जनता पार्टी सत्तारूढ़ होने के बाद भी इसी प्रदेश के दो भूतपूर्व मन्त्री आज बड़े-बड़े पदों पर हैं। अब भी वे वहां के पैसों को पार्टी के खर्चे पर लगा रहे हैं और खानदान का खर्च चलाने में लगा रहे हैं। मुझे बहुत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि सहकारिता में जो भ्रष्टाचार है वह राजनैतिक कारणों से है। कांग्रेस सरकार ने हर प्रकार का भ्रष्टाचार लाया। वहां पर जो भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें उन्होंने हरिजनों को क्या प्राथमिकता दी? इनके ही माध्यम से भेजे हुए व्यक्ति वहां पर नियुक्त किए जाते थे। इसी के साथ-साथ श्रम, पूंजी का महत्व था। मैं समझता हूं कि हरिजनों के श्रम को कहीं भी नहीं समझा गया। इनको धोखा दिया गया।

वर्तमान जो डी0 आर0 हैं कमिश्नरी में पड़े हुए हैं। हम लोगों ने, जनता पार्टी के लोगों ने शिकायत-पत्र प्रस्तुत किया है। कई महीने व्यतीत हो गए हैं, ऐसे डी0 आर0 के खिलाफ जो जनता पार्टी की ख्याति को खराब करने के लिए पड़े हुए हैं, उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं हुई? जो 449 कोआपरेटिव हैं उनको खत्म करें। कोआपरेटिव रूल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अनुसार जो सहकारिता को धर्म मानते हैं, देश सेवा का धर्म मानते हैं, दो बार चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार नहीं जीता जा सकता है। हमारे ऐसे कोआपरेटिव मन्त्री प्रस्ताव लाए कि चरित्रवान व्यक्ति दो बार, चार बार जाकर इन दोषों को दूर करने में सक्षम हों। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि सहकारिता जैसे विभाग को हमारे कांग्रेस के शासन के लोगों ने इतना गन्दा कर दिया है कि आज हमको जरूरत पड़ेगी कि इस विभाग को हम और व्यापक बनावें। माननीय मुख्य मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि सहकारिता मन्त्री के साथ ऐसे राज्य मन्त्री को नियुक्त करें जो ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों को विशेष रूप से देखें। मैं अपने माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यह जो सारा भ्रष्टाचार है, यह कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया है, हमारी मन्त्रि-परिषद् और जनता पार्टी की सरकार इसको खत्म कर रही है। हम ऐसे संकल्पों को लेकर सदन में ध्यान तो आकर्षित कर दें। ऐसे प्रस्तावों को वापस लेकर, जनता पार्टी के मन्त्रि-परिषद् को जनता पार्टी के घोषणा-पत्र के अनुसार काम करने का अवसर दें।

*श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, सहकारिता आन्दोलन को जनता पार्टी की सरकार को एक आन्दोलन के रूप में चलाना होगा, क्योंकि अगर आन्दोलन के रूप में हमने नहीं लिया, जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी की सरकार उसको एक विभाग की हैसियत से लेती रही। उसने सहकारिता के जो उद्देश्य हैं, जो पवित्र उद्देश्य हैं, उनको नष्ट किया है। सहकारिता आन्दोलन को, जो उसके विपक्ष के लोग हैं, उससे कोई खतरा नहीं है।

लेकिन सहकारिता के आन्दोलन को इस बात से जरूर खतरा है कि जो इस आन्दोलन को आधे मन से चलाना चाहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पिछली कांग्रेसी सरकार ने जिस तरह से समाजवादी समाज की स्थापना करने की नीति को आधे मन से चलाया उसी तरीके से सहकारिता के आन्दोलन को कांग्रेस पार्टी ने चलाया जिससे सहकारिता का जो आन्दोलन था वह धूमिल हुआ और लोगों में सहकारिता के प्रति वितृष्णा का भाव उत्पन्न हुआ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज जो सहकारिता का आन्दोलन है जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसमें बहुत सी बुराइयां हैं अगर उनको ठीक करना है, अगर हम सहकारिता के मामले में अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जनता पार्टी जिसके लिए निश्चित रूप से समर्पित है तो लोगों में इसके लिए आत्म विश्वास को जगाना होगा। लोगों में ऐसी भावनाओं को पैदा करना पड़ेगा जिससे जनतन्त्र प्रणाली मजबूत हो। इसके लिए हमको सहकारिता को एक आन्दोलन के रूप में चलाना होगा। श्रीमन्, सहकारिता में जो इस समय भ्रष्टाचार है उससे सारा एक तरफा ही नुकसान हुआ हो ऐसी बात नहीं है बल्कि उससे चौतरफा नुकसान हुआ है। एक तो सहकारिता आन्दोलन के प्रति लोगों में वितृष्णा है, गरीब लोगों का फायदा नहीं होता। गरीब लोगों को सताया जाता है। इसके अलावा उनसे दूसरों की वसूली की जाती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि समय का ध्यान रखें। समय देने में मजबूरी है। एक और संकल्प आपके सामने है उसको भी समाप्त करना है।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, अभी तो मैंने सिर्फ दो मिनट बोला है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य मेरी भी मजबूरी को समझें।

श्री रमा शंकर कौशिक--

तो मान्यवर, चारों तरफ से नुकसान हमको हो रहा है। इसके जो कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी हैसियत को काफी बढ़ा लिया है। गरीब आदमियों से जबरदस्ती परची लिखाई जाती है। वह लोग परेशान होते हैं। उनको जो खाद रबी की फसल के लिए दिया जाना है वह खाद किसान आज ले रहे हैं। 50 फीसदी ऐसे काश्तकार हैं जो रबी की खाद को आज ले चुके हैं। रबी में कोआपरेटिव सोसाइटी से उनको खाद नहीं मिलेगी और वही खाद ब्लैक में बेची जायगी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य समय का भी ध्यान रखें।

श्री रमा शंकर कौशिक--

आप कहते हैं तो मैं खत्म करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

मैं और माननीय सदस्यों को और नहीं बुला सकता मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा कि .....।

*श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

मैं मान्यवर, केवल एक मिनट का वक्त लेना चाहता हूं।

मान्यवर, यह सही है कि पिछले 30 वर्षों में सहकारिता आन्दोलन हमारे देश और प्रदेश में चौपट हुआ और आज भी चौपट है। इसके प्रति लोगों में घृणा का भाव पैदा हो गया है। जिस प्रथा का अनुसरण हम कर रहे थे उसका यही नतीजा होना था। लेकिन मैं एक सलाह देना चाहता हूं। मैं माननीय सहकारिता मन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में कुछ कदम उठाए जायें। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे उससे 90 परसेंट लोग विपन्न और पीड़ित हैं। इस पथ से, पूंजीवाद के पथ से हमको हटना है। कोआपरेटिव में हमारे माननीय सदस्यगण ने जैसा बतलाया कि कागज पर अदला-बदली होती है। कोरे कागज पर ठप्पा लगाकर दस्तखत ले लिए जाते हैं। लोगों से वसूलियां हो रही हैं। जमीनों को बचाने के लिए लोगों ने कोआपरेटिव सोसाइटियां बना ली हैं, यह सारी चीजें हैं। इसको दुरुस्त करने के लिए तात्कालिक महत्व का काम यह है कि एक कमीशन बनावें और अगर यह सम्भव नहीं है तो राय मश्विरा करके, विचार करके किसी तरीके से गलत ठप्पेबाजी को बन्द करें। अदला-बदली को बन्द करें। समितियों के जो सचिव हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और जो धनी हो गए हैं जिन्होंने लोगों को परेशान किया है और जनता से गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अधिष्ठाता--

एक मिनट से ज्यादा, 3 मिनट हो गए हैं।

श्री श्याम नारायण तिवारी--

मान्यवर, केवल एक निवेदन है। कोआपरेटिव मन्त्री जी से मिला था। एक मामला था। उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस सिलसिले में मैं जांच कराऊंगा और किसी की बात नहीं मानूंगा। मुझे विश्वास है कि इसमें कार्यवाही होगी। इस सिलसिले में यह अनुरोध करूंगा कि इस आन्दोलन की दुर्दशा सुधारने के लिए कोई न कोई "वे-आउट" निकाल लेना चाहिए।

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय उदय नारायण सिंह जी का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने सहकारिता विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए संकल्प प्रस्तुत किया और उस सन्दर्भ के मातहत हमें माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझाव मिले। अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वीकार करता हूं कि सहकारिता में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ऊंचे पैमाने पर व्याप्त है। इसलिए मैं यहां बताना चाहता हूं कि जो अभी हाल में कुछ भ्रष्टाचार प्रकाश में आया है वह लाखों में नहीं है वह करोड़ों में है। मैं अपने सभी माननीय साथियों से आग्रह करता हूं कि इस भ्रष्टाचार को मिटाने में पूर्ण सहयोग दें। इसके लिए और भी ज्यादातर भ्रष्टाचार जो प्रकाश में आए जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया कि सहकारी आन्दोलन के प्रति प्रदेश की जनता की आस्था उठती चली जा रही है इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 1 सितम्बर से और 30 नवम्बर तक सारे प्रदेश में सत्यापन होगा। उसमें जितनी अनियमितताएं हैं, जितनी गड़बड़ियां हैं, जितने भ्रष्टाचार हैं वह सब के सब उभर कर आयेंगे, यदि सभी साथियों ने सहयोग दिया। मैं नहीं चाहता हूं कि जैसा हमारे माननीय सदस्य जो सहकारिता के सम्बन्ध में जानकार हैं माननीय त्रिलोक चन्द जी जिन्होंने कहा कि सहकारिता यदि सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहा तो यह मंशा पूरी नहीं हो पायेगी। मैं चाहता हूं कि यदि उनके क्षेत्र में जो भी जन-प्रतिनिधि हों, जो भी सहकारी आन्दोलन में विश्वास रखते हों और रुचि लेते हों तथा हमारे और विधायक साथी जो हैं वह सत्यापन में हिस्सा लें और जहां भी जो अधिकारी गड़बड़ी करते हुए पाए जायं, मैं विश्वास दिलाता हूं, कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है और जो बताया गया है कि यह सहकारी आन्दोलन कुछ निहित स्वार्थी लोगों के हाथों में रहा है तो यह सत्य है कि 30 साल के अन्दर जो भी सहकारी आन्दोलन रहा वह पिछली सरकार ने अपने दल को मजबूत बनाने के लिए सहकारी आन्दोलन से जन, धन और साधन तीनों को प्राप्त किया है और अपने दल को मजबूत किया है और भाई भतीजेवाद को फैलाया। कांग्रेस के जिम्मेदार लोग कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हो गए और उन्होंने बिना सेवा मण्डल की स्वीकृति के अपने रिश्तेदारों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। इसी सब को देखते हुए सत्यापन कराने का कार्य आरम्भ किया

[श्री मुलायम सिंह यादव]

है। जैसा माननीय हरपाल शास्त्री जी ने कहा रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल का गठन किया गया था जिसमें वह भी सदस्य थे और भी जनता के मेम्बर्स उसमें शामिल थे। उसकी रिपोर्ट आ गयी है। बहुत बड़ी रिपोर्ट है जिस में बहुत सारे सुझाव हैं। इन पर अमल करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह कृत संकल्प है।

माननीय सदस्य ने पुनर्गठन आयोग की बात कही। वह दो-ढाई साल तक रहा और उस पर 3 लाख रुपया खर्च हुआ लेकिन उसने एक भी रिपोर्ट पेश नहीं की। इसलिए यह समझा गया कि प्रदेश की जनता का धन अपव्यय हो रहा है, इस दृष्टि से उसको भंग कर दिया गया। लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जितने भी सुझाव उसमें आए या जो भी कार्यवाही उसकी मौजूद है उसको एकत्र करने के लिए हम ने अपने विभाग के अधिकारी से जो कि उसके सचिव थे, कहा है। उनको आदेश दिया है वह वहीं कार्य करते रहें और जितनी भी सामग्री मिले उसको एकत्र करके सरकार के सामने पेश करें। हम उन सुझावों पर विचार करेंगे और इस तरह से पुनर्गठन आयोग की कार्यवाही बेकार नहीं जायगी। चूंकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा गठित अध्ययन दल की रिपोर्ट आ गई है और उसके तहत ही हम कार्यवाही करने का फैसला कर चुके हैं इसलिए इस संकल्प में जो उच्च स्तरीय समिति गठित करने का सुझाव रखा गया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है मैंने ऊपर से भ्रष्टाचार समाप्त करने की कोशिश की है। मैंने अभी 71 केसेज इस तरह के चुने हैं। 54 केसेज ऐसे हैं जो एक लाख के ऊपर के हैं और 17 ऐसे हैं जो 50 हजार के ऊपर के हैं। मैंने केवल 71 केसेज पर कार्यवाही करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी पुलिस सेल शाखा की क्षमता बहुत कम है। सारे केसेज में एकदम कार्यवाही करना सम्भव नहीं है। यह 71 केसेज ऐसे हैं जो प्रभाव रखने वाले लोगों से सम्बन्धित हैं, जो पिछली सरकार के नेताओं के रिश्तेदार हैं, या एम0पी0 के रिश्तेदार हैं। ऐसे बड़े-बड़े लोग जो प्रभावशाली और समर्थ रहे हैं वह इसमें आ रहे हैं। लेकिन अब चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो या कितना ही बड़ा अफसर क्यों न हो उसका मुझ पर या सरकार पर कोई प्रभाव नहीं होने वाला है और ऐसा कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के मिटाने में बाधक नहीं हो सकता है। फिर बाधक नहीं होगा। इसलिए माननीय उदय नारायण सिंह जी से मेरा निवेदन है कि आप अपना संकल्प वापस लें और सभी माननीय सदस्यों को मैं आमंत्रित करता हूं कि यह सहकारी आन्दोलन कोई एक दलीय आधार पर नहीं चल सकता। मैं यह स्वीकार करता हूं। इसलिए सारे माननीय सदस्यों के सुझाव जो भी सरकार के सामने लाए जायेंगे उन्हें उपेक्षित नहीं किया जायगा। उन सुझावों को माना जायगा और उन सुझावों के आधार पर सहकारी आन्दोलन चलाया जायगा।

अभी आपके सामने जो यह कहा गया कि प्रजातांत्रिक ढांचे को समाप्त कर दिया गया है यह भी सच है। पिछली सरकार ने किया है। मैं आपको एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि आपकी पी0सी0एफ0 संस्था है पिछली सरकार ने एलेक्टेड संस्था में अध्यक्ष नहीं होने दिया था। वर्तमान सरकार का अधिकार था कि वह अपने दल के हित में अपने किसी भी कार्यकर्ता को नामिनेट कर के अध्यक्ष बना सकती थी, लेकिन प्रजातन्त्र को स्वरूप देने

के लिए सहकारी आन्दोलन में हम ने नोमिनेट नहीं किया। वहां के चुने हुए लोग अपने में से ही अध्यक्ष चुनें। इस तरह यह सरकार सहकारी आन्दोलन को प्रजातन्त्रीय रूप देने के लिए कृत संकल्प है।

आपके सम्मुख थोड़े दिनों में ही एक संशोधन विधेयक आ रहा है। उस में चुनाव प्रणाली में भी परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस तरह से प्रजातंत्रीय स्वरूप देने के लिए भी सरकार कृत संकल्प है और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए भी पूरी तरह से हम लोग कृत संकल्प हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय उदय नारायण सिंह जी अपना संकल्प वापस लें।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)--

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार है और उसको दूर करने के लिए जांच के काम में सतर्कता विभाग में लोग बहुत कम हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कमिश्नरी लेविल पर आप यह सतर्कता कमेटी या जांच समिति बनाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जैसा मैंने अभी बताया और आपको छोटी किताब भी पेश की गयी है, उस सत्यापन के दौरान सारी चीजें सामने आ जायेंगी। उसे आप पढ़ें और पढ़ने के बाद उसे देखेंगे तो इस तरह की समिति की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री उदय नारायण सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सहकारिता मन्त्री जी ने सहकारिता में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो आश्वासन सदन में दिया है उसकी मर्यादा को मानते हुए मैं सदन से यह अनुज्ञा चाहता हूं कि मुझे संकल्प वापस लेने की अनुमति दें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि श्री उदय नारायण सिंह को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।)

सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं नियुक्ति सम्बन्धी नीति के सम्बन्ध में संकल्प

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। "यह सदन संस्तुति करता है कि सरकार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में एक सुनिश्चित स्पष्ट एवं समय-बद्ध नीति को तत्काल सदन के सम्मुख घोषित करे तथा सरकारी कर्मचारीगण की सेवा नियमावली तथा आचार संहिता में ऐसी व्यवस्था करे जिससे उनके द्वारा अपने स्थानान्तरण तथा नियुक्ति के सम्बन्ध में राजनीतिक व अन्य प्रकार के प्रभाव का प्रयोग करने तथा स्थानान्तरण आदेशों का तत्काल अनुपालन न करने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासन की कड़ी कार्यवाही करना अनिवार्य हो जाय।"

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर]

मान्यवर, मैंने यह प्रस्ताव एक विशेष लक्ष्य को लेकर रखा है। मेरा लक्ष्य न तो सरकार की आलोचना करना है और न ही इस सम्बन्ध में कोई ऐसा विवाद उपस्थित करना है कि जिससे किसी पक्ष के सम्मुख धर्म संकट उपस्थित हो। मान्यवर, यह एक मुख्य समस्या हैं और एक बुनियादी व्यवधान पैदा हो गया है सभी मिनिस्ट्रीज की वर्किंग में कि उनके साल भर के कार्यक्रमों में एक मुख्य कार्यक्रम सरकारी कर्मचारियों का ट्रान्सफर भी होता है और इसकी जो बैकग्राउन्ड है उस पर विचार करके इस बीमारी पर सोच विचार करके इसका इलाज तलाश करने का प्रयास किया जायगा। मेरे विचार में यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है। विरोधी पक्ष को भी बिना हिचकिचाहट के इसमें सहयोग देना चाहिए। आखिर सरकारी कर्मचारियों की यह समस्या पैदा कैसे हुई? आजादी के पहले तो थोड़े से सरकारी कर्मचारी थे जो जिले के हेडक्वार्टर पर रहते थे। उस समय कोई विशेष समस्या उनके स्थानान्तरण की नहीं होती थी। देश में आजादी आने के बाद समस्यायें बढ़ीं। सरकार की नीति जनकल्याण की नीति बनी। जन कल्याण की नीति बनने के बाद सरकारी कर्मचारी छोटी-छोटी जगहों में जिले के स्तर से ले कर तहसील हेडक्वार्टर पर तथा ब्लाक लेविल पर पोस्ट होने लगे बी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 ओ0, कोआपरेटिव सुपरवाइजर तथा सीड इन्सपेक्टर के रूप में और इस तरह से सरकारी कर्मचारियों का जाल शहरों, कस्बों तथा गांवों में फैल गया।

इसके साथ कुछ विषमतायें भी पैदा हुईं जैसे हमारा प्रदेश यूरोप के कई देशों से बड़ा है। प्रदेश के एक भाग में अगर तेज गर्मी होती है तो दूसरे भाग में अत्यन्त ठंड होती है। जहां पहाड़ी क्षेत्र एक तरफ हैं तो दूसरे तरफ मैदानी क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र में अगर सूखा है तो दूसरे क्षेत्र में अतिवृष्टि की समस्या है। एक क्षेत्र में अगर कटाव की समस्या है तो दूसरे क्षेत्र में वाटर लागिंग की समस्या होती है। इस प्रकार प्रदेश में ही विभिन्न प्रकार की समस्यायें हैं। इन समस्याओं का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ता है। यह समस्या केवल राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक अथवा सांस्कृतिक नहीं है। सब मिला कर थोड़ा-थोड़ा प्रभाव यहां की समस्याओं पर पड़ता है। एक आदमी मैदान का रहने वाला है अगर उसकी पोस्टिंग पहाड़ पर हो जाय तो उसे वह नहीं चाहेगा। एक आदमी अगर मेरठ का रहने वाला है तो वह गोरखपुर जाना नहीं चाहेगा। जनतन्त्र कायम होने पर जो सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रम बने उनके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की भी कुछ समस्यायें बढ़ीं। मान्यवर, एक पक्ष तो यह है।

इसके साथ-साथ हमारे सामाजिक जीवन में जो दोष बढ़े उसका प्रतिविम्ब सरकारी कर्मचारियों में भी दृष्टिगोचर हुआ। चाहे सामाजिक व्यवस्था हो या राजनीतिक व्यवस्था और चाहे सांस्कृतिक व्यवस्था हो उसमें जो परिवर्तन हुए उससे सरकारी कर्मचारी भी अछूते नहीं रहे। इस प्रदेश व देश में जवाहरलाल जी तथा पन्त जी जैसे लोग हुआ करते थे। सरकारी कर्मचारी अथवा सामाजिक कार्यकर्ता या किसी एम0 एल0 ए0 की यह हिम्मत नहीं होती थी कि वह उनके सामने जाय और यह कहे कि फलां कलेक्टर को हटा दिया जाय अथवा किसी सरकारी कर्मचारी की उस समय यह हिम्मत नहीं होती थी कि वह गलत काम करे। आचार्य नरेन्द्र देव उस समय विरोधी दल में बैठते

थे लेकिन उनके सोचने का धरातल भी ऊंचा था। उस समय लोक सभा हो अथवा विधान सभा, इस तरह के लोग पक्ष अथवा विपक्ष में थे उनका सार्वजनिक जीवन ऐसी ऊंची जगह पर था जहां से सरकारी कर्मचारी भय खाता था और सार्वजनिक कार्यकर्ता सरकारी कार्य में हस्तक्षेप करने से घबड़ाता था। लेकिन हमारे राजनीतिक जीवन में धीरे-धीरे ह्रास की प्रक्रिया शुरू हो गयी। पन्त जी अगर किसी मीटिंग में जाते थे तो वह यह पसन्द नहीं करते थे कि उनकी मीटिंग में कोई सरकारी कर्मचारी रहे और न वह यह पसन्द करते थे कि उनकी मीटिंग में बसों के जरिए से भीड़ इक्ट्ठी की जाय। लेकिन उनके बाद राजनीतिक जीवन में ह्रास होना शुरू हो गया और नारायणदत्त तिवारी, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री के समय में वह ह्रास चरम सीमा पर पहुंच गया और उनके समय में राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन इस स्तर पर पहुंच गया कि नान-आफिसियल की, गैर-सरकारी आदमी की चप्पल ढोने का काम मुख्य मन्त्री का रह गया। (शेम शेम की आवाज) मान्यवर, मैं किसी आदमी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहता मैं उसे पसन्द नहीं करता हूं। हमारे सामने यह विष फैलाया जा रहा है उससे यह समस्या पैदा हो गई है। क्यों सरकारी कर्मचारी इतने ढीठ हो गए हैं? इसलिए कि आज हमारा सामाजिक पतन हो गया है। मुख्य मन्त्री का भाषण सुनने के लिए भीड़ एकत्र करने के लिए सरकारी कर्मचारी बटोरे जाते हैं। मैं अपने यहां बरौत की बात बताता हूं, मान्यवर, वहां लिख कर आदेश दिए गए कि ठीक 12 बजे सारे दफ्तर बन्द होंगे क्योंकि संजय गांधी को सुनने के लिए लोगों को जाना पड़ेगा। आज से 5 साल पहले ऐसा कोई आदेश इस देश के अन्दर नहीं आया। तो मान्यवर, जब सरकारी कर्मचारियों को पकड़ कर मीटिंग में ले जायेंगे वह अफसर, कर्मचारी अपनी पोस्टिंग और ट्रान्सफर भी अपनी मनचाही जगह पर करेंगे। इस प्रकार एक प्रतिस्पर्धा हो गई जो सरकार का वफादार है या जो ज्यादा सेवा करता है उसको सुविधायें मिल गईं।

मैं सच कहना चाहता हूं कि यह समाज में पतन की ओर ले जाने वाली बात है। इसमें नया युग बनाने वाले लोग किस ढंग से दूर रह जाते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे मुख्य मन्त्री सीधे-सीधे किसान घर से आए हैं, मैं चाहूंगा कि मुख्य मन्त्री जी नई परम्परा कायम करें वह धरती की धूल से उठ कर आए हैं। उनका भाषण सुनने के लिए जिलाधिकारियों को भीड़ इक्ट्ठा करने की जरूरत न पड़े, बी0 डी0 ओ0 को भीड़ इक्ट्ठा करनी न पड़े। बिना किसी के संरक्षण के, चाहे उनको पत्थर भी मारे तो उनको सिर फैला देना चाहिए, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए। नौकरशाही के कन्ट्रोल को खत्म करना चाहिए.....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कितना और समय लेंगे?

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मान्यवर, 25 मिनट तो मेरा अधिकार है बाकी आप जितनी कृपा करेंगे। अगर आप ज्यादा कहेंगे तो मैं अभी भी बैठ जाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आप ज्यादा समय लेना चाहेंगे तो मैं इसे अगले दिन के लिए रख दूंगा।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मैं चाहता हूं कि मैं इस विवाद को क्षुद्र रूप न दूं।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, यह अगले दिन के लिए जारी रहेगा। नियम 51 के अन्तर्गत 10 माननीय सदस्यों ने सूचना दी है...

श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

मेरे प्रस्ताव का क्या हुआ?

श्री अधिष्ठाता—

अगले दिन के लिए स्थगित हुआ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

यह जो नियम 51 की सूचना है इसमें श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी का प्रस्ताव है—उन्नाव जनपद में अराजकता से जन-जीवन असुरक्षित तथा 8/9 सितम्बर को थाना बांगरमऊ के अन्तर्गत ग्राम तमुरिया बुजुर्ग (नौसहरा) में चार हरिजनों के घरों को लूटा जाना तथा सफीपुर थाने के अन्तर्गत 2 हत्याओं के होने से जनता में भय तथा आतंक।

माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर कब तक वक्तव्य दे देंगे?

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

7 दिन के बाद। जानकारी करने के बाद सदन को बता दूंगा। 20 तारीख को बता दूंगा।

श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैंने बुन्देलखंड विश्वविद्यालय में शिक्षक आवाह्न पर 1 सितम्बर, से हड़ताल चल रही है...

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। आपका स्वीकार नहीं किया है। (व्यवधान) मेरी आदत नहीं है कि मैं मेम्बर साहबों से उलझूं। मैं निवेदन करूंगा, आप कृपया बैठें।

श्री देवकुमार—

मान्यवर, बहुत महत्व का है...

श्री अधिष्ठाता।

आप कृपया बैठें।

उन्नाव के थाना पुरवा के अन्तर्गत ग्राम बेहटा सुभारी मजरा भीखमपुर में तीन हरिजनों को भूमि विवाद के कारण गोली से मारे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, यह घटना दिनांक 28 अगस्त, 1977 की है, दिनांक 31 अगस्त, 1977 की नहीं। थाना पुरवा में श्री बाबू लाल पुत्र रिक्खन पासी ने रिपोर्ट लिखाई कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

12 नामजद व दो अज्ञात व्यक्तियों ने तीन व्यक्तियों को गोली मार कर हत्या की तथा 9600 रुपए की सम्पत्ति लूटी। इस रिपोर्ट पर धारा 396 भारतीय दन्ड विधान का अभियोग पंजीकृत हुआ और विवेचना थानाध्यक्ष, पुरवा द्वारा प्रारम्भ की गई। मृतक व्यक्तियों में दो हरिजन तथा एक लोध थे। हरिजनों में से एक 16 वर्षीय बालिका थी। देवता पुत्र सकठू लोध को छर्रे की चोटें आईं।

नामजद अभियुक्तों में कुछ लोध हैं और कुछ पासी हैं। अब तक 6 नामजद अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है और दो अभियुक्त न्यायालय में आत्म समर्पण कर चुके हैं। शेष के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई है। दो अज्ञात अभियुक्तों का भी पुलिस ने पता लगा लिया है। उनके विरुद्ध भी कुर्की की कार्यवाही हेतु न्यायालय का आदेश प्राप्त किया जा रहा है।

इस विवरण से स्पष्ट है कि यह घटना जातीयता पर आधारित नहीं है। यह मामला भूमि सम्बन्धी है और कानूनी कार्यवाही विधिवत् हो रही है।

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

मुख्य मन्त्री जी ने बताया कि यह घटना जातीयता पर आधारित नहीं बल्कि भूमि सम्बन्धी घटना है, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जब यह भूमि सम्बन्धी घटना है तो यह 396 का यानी डकैती का केस किस प्रकार से कहा गया और इस घटना का समय क्या है और इस घटना से सम्बन्धित कितने लोध जाति के हैं और कितने पासी जाति के हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

यह घटना दिनांक 28 अगस्त, 1977 की 8 बजे रात्रि की है, जिसकी रिपोर्ट उसी रात्रि को 11 बजे सम्बन्धित थाने में जो कि 5 मील दूरी पर है, हो चुकी थी। इसमें 7 लोध हैं, 3 पासी हैं, एक ब्राहमण है और एक की जाति का पता नहीं चलता है।

श्री अधिष्ठाता--

इनका यह सवाल था कि चूंकि यह रपट 396 में लिखाई गई है किन्तु भूमि सम्बन्धी घटना कही जाती है, तो इन दोनों बातों का तारतम्य कैसे है ?

श्री राम नरेश यादव--

जो प्रथम सूचना-पत्र है, उसमें जो बातें उन्होंने लिखाई हैं, जो तहरीरी रपट थाने में दी गई है। उसमें जिस तरह की घटना कही गई है, उसके आधार पर 396 का मुकदमा कायम किया गया है और उसमें जमीन का विवरण दिखाया गया है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

यह जमीन सम्बन्धी विवाद है, तो यह जमीन किसके कब्जे में थी, पेपर में किसका नाम था ? खसरा-खतौनी में किसका नाम है ?

श्री अधिष्ठाता--

मैं समझता हूं कि इस समय उनके सामने खसरा-खतौनी तो है नहीं।

श्री हिम्मत सिंह--

जब मुख्य मन्त्री जी भूमि सम्बन्धी झगड़ा बताते हैं, तो यह जानना आवश्यक हो जाता है कि जमीन किसके कब्जे में है, कैसे झगड़ा हो गया ? ग्राम समाज की जमीन है या व्यक्तिगत है ?

श्री अधिष्ठाता--

अभी उन्होंने जो एफ0 आई0 आर0 की बात कही, उस आधार पर यह सही है कि भूमि सम्बन्धी बात कही जा रही है। लेकिन इस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी के पास यह सम्भव नहीं है कि खसरा खतौनी कुछ भी ले आए हों।

श्री हिम्मत सिंह--

मैं व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मुख्य मन्त्री जी खसरा खतौनी का नम्बर वगैरह हो तो दे दें।

श्री राम नरेश यादव--

यह प्रश्न तो अभी तफतीश के अन्दर है। जांच जारी है। इस समय न तो उन्होंने अपनी प्रथम सूचना के अन्दर भूमि क्षेत्र का नम्बर दिया था, इसलिए कोई प्रश्न नहीं उठता खसरा और खतौनी का या मंगाने का।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

माननीय मुख्य मन्त्री जी प्रथम सूचना रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

रिपोर्ट तो लम्बी है, फिर भी माननीय सदस्य . . .

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

भूमि सम्बन्धी जो विवाद है, उससे सम्बन्धित जो है, वह पढ़ दें।

श्री अधिष्ठाता--

जुज पढ़ दें।

श्री राम नरेश यादव--

"मेरे गांव के रामनाथ लोध ने नौ बीघा जमीन मेरे चचेरे बाबा की लड़कियों को 1967-68 में बैनामा करा लिया था मगर इन्होंने सरकसी व गुंडई के कारण 12 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस पर भी मैंने प्रार्थना-पत्र दी थी। और मुझ को पुलिस द्वारा रामनाथ से तीन बीघा जमीन वापस मिल गयी थी इसके अलावा भूमि आवंटन में मेरे भतीजों के नाम पांच बीघा जमीन मिली थी इसमें 12 बिस्वा रामनाथ के कब्जे से मेरे भतीजे को दिलायी गयी थी। इससे श्री रामनाथ जो मुझ से रंजिस मानने लगा . . . . . ."

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, इसमें दो अलग-अलग चीजें हैं। एक तो 9 हजार 6 सौ रुपए की डकैती और मर्डर 396 में हो गया। दूसरी चीज यह है कि उनकी रंजिश है जमीन के

ऊपर, भूमि का विवाद है, इन दो अलग-अलग चीजों को सामने रख कर उसकी इन्क्वायरी करवा रहे हैं दरोगा जी, तो क्या उसकी इन्क्वायरी किसी सी0 ओ0 से या इस तरह के किसी अधिकारी से करवाएंगे जिससे सही बात सामने आ सके ?

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि मोटिव है डकैती, जैसीकि है, लैन्ड के झगड़े के साथ जुड़ी है।

श्री रियासत हुसैन—

इससे स्पष्ट है कि मोटिव है। यह नहीं स्पष्ट हो रहा है कि डकैती में या जमीन के वाद विवाद की वजह से उनको मारा गया ?

श्री अधिष्ठाता—

बहुत स्पष्ट है कि पुरानी रंजिश के कारण इरादा डकैती में आया।

श्री रियासत हुसैन—

मोटिव रंजिश से आता है। एफ0 आई0 आर0 में डकैती और मर्डर है। तहकीकात में आगे रंजिश आएगी इसलिए ये दो चीजें अलग-अलग हो गयीं। तो क्या इसकी तहकीकात सी0 आई0 डी0 या किसी ऐसे अधिकारी से करायेंगे जिससे मामला स्पष्ट सामने आए ?

श्री रामनरेश यादव—

यह जो मामला थाने में कायम हुआ और जिसकी तफतीश की जा रही है वह हमारे और आपके निर्देश से नहीं हो रही है। बल्कि जिस तरह से एफ0 आई0 आर0 में आरोप लगाया गया है उसके आधार पर 396 का मुकदमा कायम हुआ। उसकी तफतीश चल रही है। इसलिए सी0 आई0 डी0 या किसी और अधिकारी से जांच कराने की जरूरत दूसरे सन्दर्भ में नहीं है।

श्री चन्द्रपाल (जिला उन्नाव)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय वहां के दरोगा वर्मा और 3 कानिस्टेबिल्स वहां के प्रधान के घर पर मौजूद थे ? क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि वे लोग वहां पर मौजूद थे या नहीं ?

श्री राम नरेश यादव—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न रखा है उस सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र उस अभियोग लगाने वाले व्यक्ति की ओर से या अन्य किसी व्यक्ति की ओर से नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय सदस्य ने जिस चीज को सदन के पटल पर रखा उसे सही माना जाता है, इस तरह की पहले रूलिंग हो चुकी है।

श्री अधिष्ठाता—

एक माननीय सदस्य ने जो सूचना दी, मैं ऐसा समझता हूं कि वह जो बातें सदन में कहता है वह सही कहता है, उसके उपलक्ष में आपको क्या कहना है ?

श्री राम नरेश यादव—

इस सम्बन्ध में मेरे पास कोई प्रार्थना-पत्र आएगा तो मैं विचार करूंगा।

श्री रियासत हुसैन—

व्यवस्था का प्रश्न है। यह सदन में रूलिंग हो चुकी है....

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठ जाइए। एक माननीय सदस्य ने एक फैक्ट आपके सामने ला दिया तो मैं समझता हूं कि लिखित बात की आवश्यकता नहीं है? और उस पर आप अपनी राय दें।

श्री राम नरेश यादव—

मैं इस पर विचार करूंगा।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर।)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय नेगी जी एक बार तो इस पर आप प्रश्न पूछ चुके हैं। इसलिए दूसरे माननीय सदस्य को अवसर दिया जाएगा।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 9600 रुपए की संपत्ति लूटी गयी उसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री राम नरेश यादव—

उस सम्पत्ति का विवरण मेरे पास है, मैं बता सकता हूं।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

बड़ा समय लगेगा।

श्री राम नरेश यादव—

मेरे पास सूची है।

श्री अधिष्ठाता—

डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

चूंकि केवल 15 मिनट रह गए हैं इसलिए सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता—

15 मिनट हो जायेंगे तो देखा जाएगा। आप समय से पहले हैं। जब हम नहीं खत्म कर पायेंगे, तो देखेंगे।

हरित इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्धकों एवं प्रदर्शनकारी मजदूरों के संघर्ष में दो व्यक्तियों के मरने तथा कुछ व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार जी० टी० रोड पर मोहन नगर काम्प्लेक्स के सामने स्थिति हरित इण्डिया लिमिटेड में इंजीनियरिंग गुड्स बनती है और इसमें लगभग 160 श्रमिक कार्य करते हैं। पिछले माह हरित इंडिया के कर्मचारियों ने दिनांक 17 अगस्त, 1977 को अचानक "मत रहो" (स्टे इन) ह ताल कर दी थी जो दिनांक 18 अगस्त, 1977 को समाप्त हो गई। मालिकों ने विभिन्न आरोपों के अन्तर्गत सात श्रमिकों को निलम्बित करके आरोप-पत्र दिए तथा वेतन समुदाय अधिनियम, 1938 की धारा 9 के अन्तर्गत आठ दिन के वेतन की अतिरिक्त कटौती की भी घोषणा की जिसके कारण श्रमिकों में रोष व्याप्त था। दिनांक 6 सितम्बर, 1977 को वेतन बांटने के दिन श्रमिकों ने वेतन लेने से इन्कार कर दिया। दिनांक 7 सितम्बर, 1977 को प्रात: सात, साढ़े सात बजे श्रमिक फैक्ट्री के गेट पर इक्टठा होने लगे। प्रारम्भ में यह संख्या लगभग पचास थी। जब फैक्टरी का उच्च स्टाफ आया तो श्रमिकों ने उसको अन्दर नहीं जाने दिया और उनके साथ मारपीट की। इस घटना के दौरान श्रमिक उत्तेजनात्मक नारे लगा रहे थे। उसी समय फैक्टरी गेट पर सुरक्षा गार्ड तथा श्रमिकों के बीच कुछ कहा सुनी होते-होते मारपीट शुरू हुई। सिक्योरिटी गार्ड ने फैक्टरी के गेट के आस-पास से सर्वप्रथम बन्दूक से हवा में फायर किया। इस फायर की आवाज व मारपीट के कारण आस-पास की फैक्टरी के मजदूर, जो अपनी-अपनी फैक्टरी में कार्य करने के लिए उधर से गुजर रहे थे, भी उस स्थान पर इक्टठा होने लगे व भीड़ की संख्या आठ बजे के करीब दो-तीन हजार हो गयी।

2—भीड़ उत्तेजित होकर और अधिक हिंसा पर उतर आयी तथा चहर-दीवारी, फाटक इत्यादि को फांद कर फैक्टरी कम्पाउन्ड में प्रवेश कर गई। इस भीड़ में अधिकतर लोगों के पास लाठियां, लोहे की छड़ें तथा ईट पत्थर थे जिससे इन लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड तथा फैक्टरी में पहले से मौजूद अन्य व्यक्तियों को पीटना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने भीड़ की ओर कुछ फायर किए। किन्तु सिक्योरिटी गार्ड तथा अन्य व्यक्ति फैक्टरी की ओर पीछे हटते गए। सिक्योरिटी गार्ड तथा अन्य व्यक्तियों में से तीन ज्यादा घायल होकर पोर्टिको के पास गिर गए और कुछ भागने में सफल हो गए। सोलह व्यक्ति जीने से फैक्टरी की छत पर चढ़ गए जहां से फायरिंग होती रही। भीड़ में से काफी व्यक्ति फैक्टरी के अन्दर घुस गए और उन्होंने आग लगा दी। लगभग नौ बजे तक भीड़ 6, 7 हजार हो गई थी और अत्यधिक उत्तेजित तथा हर प्रकार की हिंसा पर उतारू थी।

3—प्रात: सवा आठ बजे थाना साहिबाबाद से कन्ट्रोल रूम को लाला लाजपत राय कालेज के विद्यार्थियों द्वारा कालेज के सामने बसों को रोकने की सूचना मिली और यह भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव]

बताया गया कि हरित इन्डिया फैक्टरी में भी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं अत: फोर्स भेजी जाय। इस सूचना पर कन्ट्रोल रूम ने एक मोबाइल वैन मौके पर भेजी तथा क्षेत्राधिकारी को इस सम्बन्ध में सूचना दी। क्षेत्राधिकारी नगर ने पी0 ए0 सी0 फोर्स भेजने का निर्देश दिया और तुरन्त परगनाधिकारी, दादरी के साथ लाला लाजपत राय कालेज की ओर रवाना हुए। जब यह लोग हरित इण्डिया के सामने पहुंचे तो उन्होंने फैक्टरी को जलते हुए तथा उत्तेजित मजदूरों द्वारा घिरी हुई देखा। उन्होंने यह भी पाया कि मोबाइल वैन नं0 2 जो उनसे कुछ मिनट पहले पहुंची थी स 'क के किनारे ख ी है और उसके शीशे टूटे हुए हैं, वैन के आदमियों को भी चोट लगी है। इस घटना की सूचना तत्काल जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को दी गयी और तुरन्त फोर्स भेजने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक तत्काल मौके पर पहुंच गए और उनके पहुंचने के साथ ही साथ पी0 ए0 सी0 की कुछ फोर्स व फायर ब्रिगेड भी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद शहर के विभिन्न स्थानों से कुछ और पी0 ए0 सी0 भी घटनास्थल पर पहुंचती रही। इस समय भी उत्तेजित भीड़ फैक्टरी की ओर पत्थर इत्यादि फेंक रही थी तथा छत पर चढ़े हुए सिक्योरिटी गार्ड के बारे में मजदूर व अन्य व्यक्ति यह कहते हुए मांग कर रहे थे कि उन्हें हमारे हवाले कर दिया जाय। मौके पर उपस्थित पुलिस द्वारा उत्तेजित भीड़ को काबू में लाने का प्रयास किया गया और अत्यन्त कठिनाई से उत्तेजित लोगों को फैक्टरी के कम्पाउन्ड से दीवार तक खदेड़ा गया। भीड़ को काफी देर तक नियन्त्रण में रखने का प्रयास किया गया किन्तु एकत्रित भीड़ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड व अन्य व्यक्तियों को पकड़कर उन्हें देने की मांग करती रही। जब जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने यह देखा कि तीन व्यक्ति पोर्टिको के पास घायल अवस्था में पड़े हुए हैं, बिल्डिग के अन्दर आग जोर पकड़ रही है, फायर ब्रिगेड तथा घायल व्यक्तियों को लाने के लिए गाड़ियों को उत्तेजित भीड़ फैक्टरी के अन्दर नहीं आने दे रही है और फ़ायर ब्रिगेड के भी कुछ व्यक्ति घायल हो चुके हैं, तो भीड़ को तितर-बितर हो जाने की चेतावनी देने के उपरान्त, मजमा गैर कानूनी घोषित किया गया और यह भी चेतावनी दी गयी कि उतेजित भीड़ यदि आदेश न मानेगी तो बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। इस पर भीड़ ने और भी उत्तेजना दिखाई और ईंट पत्थर फेंके जिससे घायलों को और अधिक चोटें पहुंचाने की सम्भावना उत्पन्न हो गई। तब भीड़ को नियंत्रित करने हेतु अश्रु गैस का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया किन्तु उसका वर्षा होने के कारण पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ा। अश्रु गैस की आवाज पर भीड़ और अधिक उत्तेजित हो गयी।

4—स्थिति गम्भीर होते देखकर भीड़ पर पुलिस द्वारा हल्का लाठी चार्ज किया गया जिससे स्थिति कुछ नियन्त्रण में आई और काफी कठिनाई से एक फायर ब्रिगेड व एक पुलिस वैन फैक्टरी के अन्दर लाई गई। भीड़ को चेतावनी देते हुए नियन्त्रण में लाने के प्रयास जारी रहे। इस बीच जब बिल्डिग के पोर्टिको के आस-पास गम्भीर अवस्था में घायल पड़े हुए तीन व्यक्तियों (1) मनी (2) हरभजन तथा (3) जीतसिंह को मोबाइल वैन में अस्पताल भेजने हेतु चढ़ाया जाने लगा, तब भीड़ और अधिक उत्तेजित होने लगी। भीड़ को फिर नियन्त्रण में किया गया और फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने की कार्यवाही शुरू कर दी। इसी समय पुलिस पार्टी के कुछ व्यक्ति उपरोक्त फैक्टरी की छत पर चढ़े हुए

व्यक्तियों को गिरफ्तार करने हेतु भेजे गए। घायल व्यक्तियों में से जिन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था दो व्यक्ति हर भजन सिंह व जीत सिंह अस्पताल में पहुंचने से पहले ही मर गए। उधर सीढ़ी से चढ़ते समय पुलिस पार्टी के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड के छत पर छिपे हुए व्यक्ति ने फायर किया जिससे एक उप निरीक्षक पुलिस बाल बाल बच गया। तब पुलिस पार्टी में से एक हेड कान्सटेबिल द्वारा अपने व अपने साथियों के बचाव में, छत पर उपस्थित व्यक्तियों को भयभीत करने के लिए,,अपनी मस्केट से दो फायर किए गए तथा वहां पर छिपे हुए 14 व्यक्तियों को अपने हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक सिगहार सिंह के पास से एक दुनाली बन्दूक व पांच जिन्दा कारतूस बरामद हुए और छत पर प ी हुई दो तलवारें व 11 चले हुए कारतूस कब्जे में लिए गए। घायल व्यक्तियों को सीधे इलाज हेतु भेजा गया। फैक्टरी के आस-पास जांच पड़ताल तथा तलाशी से फैक्टरी के सामने दो कन्ट्रीमेड पिस्टल व 12 बोर के चले हुए सात कारतूस मिले तथा फैक्टरी की पूर्वी दीवार के पास से भी एक कन्ट्रीमेड पिस्टल तथा तीन खाली कारतूस मिले।

5——इस समय तक भीड़ को फैक्टरी के आस-पास से तितर-बितर करने में सफलता प्राप्त हो गयी थी तथा आग पर भी काबू पा लिया गया था। इस घटना के सम्बन्ध में दो अपराध पंजीकृत कराए गए, एक तो सिक्योरिटी गार्ड मंगल सिंह की ओर से तथा दूसरा क्षेत्राधिकारी नगर की ओर से। इन दोनों अभियोगों की विवेचना जारी है। पहला अपराध संख्या 416, धारा 147/148/149/337/436/307 तथा 302 भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत कायम हुआ और उसमें नामांकित 6 व्यक्तियों में से दो तथा अन्य व्यक्तियों में से आठ को गिरफ्तार किया गया। दूसरा अपराध संख्या 416-ए धारा 147/148/149 तथा 307 भारतीय दन्ड विधान तथा 25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया और दिनांक 7 सितम्बर, 1977 को घटनास्थल से ही चौदह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। इसी घटना में 65 व्यक्तियों को चोटें आयी हैं जिनमें से 58 व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा के उपरान्त छोड़ दिए गए और 7 व्यक्ति अस्पताल में भर्ती कर लिए गए जिनकी हालत सन्तोषजनक है। घटना के दौरान 19 पुलिस कर्मचारियों को चोटें आयी हैं जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा के पश्चात् अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। स्थिति नियन्त्रण में है। निरन्तर निगरानी जारी है।

*श्री राजेन्द्र कुमार (जिला सीतापुर)——

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सम्पूर्ण वक्तव्य को सुनने के बाद यह बात सुनिश्चित होती है कि जो कुछ भी उत्तेजना हुई, उसका कारण 50 सामान्य मजदूरों, जो कि मात्र नारे लगा रहे थे, पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिना चेतावनी दिए फायरिंग कर दिया और अब इसमें सामान्य विवेचना हो रही है। वह भी पुलिस अधिकारी द्वारा। इसलिए क्या इस मामले की जांच माननीय मुख्य मन्त्री जी किसी न्यायाधीश द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम नरेश यादव--

मान्यवर, यह उस समय की घटना है जबकि फैक्टरी के अधिकारी जाना चाहते थे। उन लोगों ने उनको रोका और जाने नहीं दिया, उनसे मार-पीट की। उसके बाद भी जब कहा सुनी हुई तो काफी संख्या में लोग जमा हो गए।

जहां तक जांच का सम्बन्ध है वहां पर स्थिति नियन्त्रण में है और विवेचना जारी है। ऐसी स्थिति में मैं किसी मैजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकारी से जांच कराने की मांग को उचित नहीं समझता।

श्री राजेन्द्र कुमार--

मान्यवर, वक्तव्य से स्पष्ट है कि मात्र 50 मजदूर वहां पर थे, फायरिंग होने लगी। तो लोग इकट्ठा होते चले गए। मैं जानना चाहता हूं कि उस समय पर गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी और चूंकि इसमें पुलिस इन्वाल्वड है जिसमें जिलाधिकारी आदि भी दोषी पाए जायेंगे, तो माननीय मुख्य मन्त्री जी द्वारा इसकी न्यायिक जांच न कराने के क्या कारण हैं? यदि दोषी पुलिस अधिकारियों के जुल्म बार-बार बढ़ते रहे और दोषी व्यक्ति को दन्डित नहीं किया गया तो परिणाम क्या होगा? पुलिस की जो दुराचारी प्रवृत्ति है वह बढ़ती रहेगी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इसका जवाब दे दिया है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला ठेहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, जैसा कि वक्तव्य से स्पष्ट है, माननीय मुख्य मन्त्री जी को पुलिस ने जो वर्जन दिया है वह सीधा-साधा वर्जन कारखाने के मालिकों के पक्ष में है। इसमें 3 पक्ष हैं। एक हैं कारखाने के मालिक, दूसरा मजदूर और तीसरी पुलिस। पुलिस का कन्डक्ट हमने देख लिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है--"उसी समय फैक्टरी गेट पर सुरक्षा गार्ड तथा श्रमिकों के बीच कुछ कहासुनी होते-होते मार-पीट शुरू हुई?" तो किसने की मार-पीट? आगे चल कर कहते हैं कि 18 अगस्त को हड़ताल खत्म हो गयी और 16 सितम्बर तक की तनख्वाह काटी जा रही है आठ दिन की। पुलिस में रिपोर्ट नहीं की जाती। फैक्टरी के अन्दर टेलीफोन होगा। सुरक्षा गार्डों से मजदूरों की पिटाई करायी जाती है, फिर मजदूरों को प्रोवोक किया जाता है ताकि हिंसा हो सके। तो मैं निवेदन करूंगा कि इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए फिर से न्यायिक जांच करने के मामले पर विचार करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय नेगी जी से कहूंगा कि एक बार मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दे दिया है.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मैं दोबारा स्पष्ट रूप से यह प्रश्न कर रहा हूं, मेरा अनुरोध है...

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

अगर आपके अनुरोध का असर होगा तो अजखुद वह कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप उसके लिए उतावले न हों। जब अध्यक्ष बैठे हों तो आटोमेटिकली 15 मिनट समय बढ़ा सकते हैं। मैं समझता हूं वह काफी होगा, इसलिए उसकी कोई बात नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, वक्तव्य से बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें तीन पार्टियां हैं और रिपोर्ट दो पार्टियों की तरफ से हुई है। तो तीसरी पार्टी जो डायरेक्टली इनवाल्वड है इस मैटर के अन्दर, उसका इंवाल्वमेन्ट कितना है इन तमाम तथ्यों को सामने रखते हुए पुनर्विचार करने के लिए क्या मुख्य मन्त्री जी जुडीशल इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर वह जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

(मुख्य मन्त्री उत्तर के लिए खड़े नहीं हुए।)

श्री रियासत हुसैन—

मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि दो पार्टीज की रिपोर्ट्स लाज हो गयीं, लेकिन जो तीसरी पार्टी आपकी है उसका इनवाल्वमेन्ट सारी घटनाओं में कितना है, इसका अन्दाजा कैसे होगा ?

श्री अधिष्ठाता—

चूंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता कि जवाद दें .... (व्यवधान)....एक बार मुख्य मन्त्री जी ने जवाब दे दिया है, अब इसके बाद बार-बार वह सवाल नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन—

दो मुकदमे कायम हो गए, लेकिन पार्टियां तीन हैं। तीसरी पार्टी की तरफ से कोई मुकदमा कायम हुआ नहीं है, क्या वह मुल्जिम है ? क्या सूरत है ? तो उसके बारे में इन्क्वायरी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

क्योंकि कोई तीसरी रिपोर्ट है नहीं, इसलिए जो रिपोर्ट हैं उसके आधार पर ही जांच हो रही है और आगे होगी।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

बार-बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री के उत्तर से, वक्तव्य से स्पष्ट है दिनांक 7 अक्तूबर को प्रात: सात, साढ़े सात बजे श्रमिक फैक्टरी के गेट पर इकट्ठा होने लगे। तो मैं जानना चाहता हूं कि श्रमिकों से मार-पीट हुई, सिक्योरिटी गार्ड्स के लोगों से, तो गोली चली और घटनायें बढ़ीं, तो स्थानीय पुलिस को कब सूचना दी गयी और मौके मुआयने पर कितने बजे पुलिस पहुंची ?

श्री राम नरेश यादव—

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में बताया, प्रात: सवा आठ बजे थाना साहिबाबाद से कन्ट्रोल रूम को लाला लाजपत राय कालेज के विद्यार्थियों द्वारा कालेज के सामने बसों को रोकने की सूचना मिली और यह भी बताया गया कि हरित इंडिया फैक्टरी में भी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं अत: फोर्स भेजी जाय। तो क्षेत्रीय अधिकारी को इस सम्बन्ध में सूचना दी गयी और तब जा कर वहां पुलिस गयी।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

वक्तव्य में यह है कि कुछ श्रमिक इकट्ठा हो गए थे और मिल के अधिकारियों को जाने नहीं दे रहे थे इसलिए सिक्योरिटी वालों से कुछ मारपीट हुई। तो सिक्योरिटी गार्ड के लोगों ने जो मार पीट की या फायरिंग की उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही अब तक सरकार ने किया ?

श्री राम नरेश यादव—

अधिष्ठाता महोदय, तफतीश चल रही है और इस सिलसिले में मैंने पहले ही बताया कि घटना के दौरान जो चोटें आयी थीं 19 आदमियों को इस सम्बन्ध में मौके पर 14 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे और तफतीश अभी जारी है।

श्री रियासत हुसैन—

ऊदल जी का सवाल यह है कि सिक्योरिटी गार्डों, जिन्होंने फायरिंग की उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री अधिष्ठाता—

रियासत हुसैन जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऊदलजी को स्पष्ट करने का मौका दीजिए।

श्री ऊदल—

मैंने यह पूछा था कि शुरू में सिक्योरिटी गार्ड के लोगों से और श्रमिकों से मारपीट हुई। सिक्योरिटी गार्ड के लोगों ने फायरिंग किया। वक्तव्य में फायरिंग का तो जिक्र नहीं है मारपीट और झगड़े का जिक्र है। तो उनके खिलाफ, कौनसी कार्यवाही सरकार की तरफ से की गयी ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय ऊदल जी, मुख्य मन्त्री जी ने अभी यह बताया कि दो रिपोर्टें उनके सम्मुख हैं। उन दोनों के मुताल्लिक उन्होंने कह दिया।

श्री ऊदल—

वक्तव्य में सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजमेन्ट के बारे में कुछ नहीं है ?

श्री राम नरेश यादव—

अधिष्ठाता महोदय, जो दो आदमी मरे थे वह सिक्योरिटी गार्ड के थे और जो 14 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई वह 14 के 14 सिक्योरिटी गार्ड्स के हैं। इसलिए अभी तफ तीश चल रही है, जो दोषी पाया जायगा वह गिरफ्तार होगा।

श्री जसवीर सिंह (जिला एटा)—

पुलिस कर्मचारियों को जो चोटें आयीं वह किस नेचर की हैं और किन-किन हथियारों से चोटें पहुंचायी गयीं ?

श्री राम नरेश यादव—

अधिष्ठाता महोदय, इन्जरी रिपोर्ट नहीं है इसलिए इस समय नहीं बताया जा सकता।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

टाइम्स आफ इंडिया में समाचार छपा है कि दो लोग जो मारे गए वे पुलिस की हिरासत में थे और जनता ने पुलिस से छीन कर उनको मारा। अगर यह सही है तो क्या पुलिस के उन कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने अपने हाथों से उनको जाने दिया कोई ऐक्शन लेने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

यह बात बिल्कुल असत्य है कि पुलिस से छीन कर भीड़ ने मारा।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

दो एफ0 आई 0 आर0 लाज हुईं, एक सिक्योरिटी की ओर एक मजिस्ट्रेट की। दोनों में कौन-कौन आदमी मुल्जिम बनाए गए उनके नाम बता दें और यह भी बता दें कि जब डिस्प्यूट लेवर का था तो लेबर कमिश्नर ने क्यों नहीं सुलझाया ?

श्री राम नरेश यादव—

अधिष्ठाता महोदय, रिपोर्ट बहुत लम्बी है।

श्री अधिष्ठाता—

महज मुल्जिम का शायद नाम पूछ रहे हैं।

(मुख्य मन्त्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इसे मुलतवी कर दिया जाय। इसे कल के लिए रख दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, इसमें कौन सी जानकारी की आवश्यकता है, जो इसे मुलतवी कर दिया जाय ?

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि जब माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े हैं, उस दर्मियान में आप लोगों को नहीं खड़ा होना चाहिए।

माननीय मुख्य मन्त्री जी अगर नाम की सूचना न हो तो बाद में दे दीजिएगा।

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जब जांच चल रही है तो उस समय यह नहीं समझा गया कि बड़ी रिपोर्ट में से इसको निकाल कर रख दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, जो वक्तव्य आया है इसका दूसरा पहलू भी है, आखिर यह संघर्ष हुआ क्यों ? मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि यह विवाद श्रम विभाग के पास कब पहुंचा और उसको जानकारी कब मिली और श्रम विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राजेन्द्र कुमार जी, मैं इसको इससे सम्बद्ध नहीं करना चाहता हूं।

(कुछ सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया एक साथ न बोलने की कृपा करें तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है कि—"पिछले माह हरित इंडिया के कर्मचारियों ने दिनांक 17 अगस्त, 1977 को अचानक "मत रहो" (स्टे इन) हड़ताल कर दी थी जो दिनांक 18 अगस्त, 1977 को समाप्त हो गयी। मालिकों ने विभिन्न आरोपों के अन्तर्गत सात श्रमिकों को निलम्बित करके आरोप-पत्र दिए तथा वेतन समुदाय अधिनियम, 1938 की धारा 9 के अन्तर्गत आठ दिन के वेतन की अतिरिक्त कटौती की भी घोषणा की जिसके कारण श्रमिकों में रोष व्याप्त था। दिनांक 6 सितम्बर, 1977 को वेतन बांटने के दिन श्रमिकों ने वेतन लेने से इन्कार कर दिया। मान्यवर, उनको पूरा वेतन नहीं दिया गया, यही वेतन न लेने का असली कारण था। सरकार ने यथासमय हस्ताक्षेप नहीं किया। बांदा के मामले में आज सदन में विवाद उठा कि इसमें जिनके नाम हैं, उनको कम्पेन्सेशन नहीं दिया जा रहा है। वहां पर मजदूरों की एक शिकायत थी की मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा था। इस शिकायत को दूर करने के लिए सरकार द्वारा यथासमय प्रयास नहीं किया गया। सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा

एक अमानुषीय व्यवहार करने के कारण यह स्थिति पैदा हुई। मान्यवर, इसमें श्रम विभाग का दोष कहां तक है इसकी सूचना माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सदन को देने की कृपा करें।

श्री राम नरेश यादव—

अधिष्ठाता महोदय, जिस समय यह हड़ताल की थी, उसके दूसरे दिन हड़ताल समाप्त कर दी थी, दिनांक 6 सितम्बर, 1977 को वेतन बांटने के दिन उन्होंने वेतन लेने से इन्कार कर दिया।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, क्यों इन्कार किया ?

श्री राम नरेश यादव—

इसलिए इन्कार किया कि उन्होंने कानून के खिलाफ काम किया था और उनके वेतन की कटौती कर ली गयी थी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी तथ्यों को छिपा रहे हैं लिहाजा मान्यवर, हमारा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री गोविन्द सिंह नेगी अपने दल के सदस्यों के सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठ जायं।

श्री राम नरेश यादव—

अधिष्ठाता महोदय, तथ्यों को किसी तरह छिपाया नहीं गया ह। यहां केवल यह प्रश्न था कि एक दिन पहले उन्होंने हड़ताल की थी। हड़ताल के सिलसिले में, पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट की धारा 9 के अन्तर्गत उनका आठ दिन का वेतन काट लिया गया। दिनांक 6 सितम्बर, 1977 को वेतन लेने से उन्होंने इन्कार कर दिया तब प्रश्न आया। इसके दूसरे दिन यह घटना हो गई। इसलिए बीच में किसी भी लेबर बोर्ड के सामने इसको रखने का कोई सवाल नहीं था।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि 2 आदमी मरे हैं। यह पुलिस की गोली से मरे हैं या किसी अन्य लोगों की गोली से मरे हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

अधिष्ठाता महोदय, उस समय तक पुलिस पहुंची ही नहीं थी। इससे पहले ही आघात पहुंचा दिया गया ओर उनकी हत्या कर दी थी।

श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मैं एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

समय का ध्यान रखिएगा। आधे मिनट में कहें।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जो लोग मरे हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किससे मरने की सूचना मिली है?

श्री राम नरेश यादव—

एक तो उसमें से मरा है छर्रे से, 12 बोर के छर्रे से मरा। दूसरा लाठियों की चोटों से मरा।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्यप्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
12 सितम्बर, 1977।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 821 पर)

क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्तों द्वारा वर्ष 1975-76 में क्रय किए गए कीटाणुनाशक अप्रैल से नवम्बर, 1975 तक

क्रम सं0	फर्म का नाम	6 प्रतिशत एन.ई.एम.सी. (मी.ट.)	10 प्रतिशत बी.एच.सी. घोल (मी.ट.)	5 प्रतिशत क्लोरोडीन (मी.ट.)	20 प्रतिशत इन्ड्रीन ई.सी. (लीटर)
1	2	3	4	5	6
1	मेसर्स पेस्टीसाइड इन्डिया, आगरा	3.389	..	..	..
2	मेसर्स सिंघल पेस्टीसाइड, आगरा	..	283.400	84.650	..
3	मेसर्स आरती मिनरल, फरीदाबाद	..	10.000	..	..
4	मेसर्स भारत पल्वराइजिंग मिल्स, दिल्ली।	..	..	..	3.990
	योग ..	3.389	293.400	84.650	3.990

कुल योग मूल्य 2.34 लाख

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 1975 से गन्ना संघ, लखनऊ द्वारा वर्ष 1975–76 हेतु क्रय किए गये कीटाणु-नाशकों का विवरण (1975–76)

क्रम संख्या	पूर्ति करने वाली फर्म का नाम	6 प्रतिशत एन.ई.एम.सी. (मी0ट0)	10 प्रतिशत बी.एच.सी. घोल (मी0ट0)	5 प्रतिशत क्लोरोडेन (मी0ट0)	20 प्रतिशत इन्ड्रीन ई0सी0 (लीटर)	20 प्रतिशत हेप्टाक्लोर ई0सी0 (लीटर)	5 प्रतिशत मेलाथियान ई0सी0 (लीटर)
1	मेसर्स सिंघल पेस्टीसाइड, आगरा	..	..	865	395,5	54,365	49,300	..
2	मेसर्स सनरे केमिकल इन्डस्ट्रीज, आगरा	..	..	600,5	..	4,900	..	..
3	मेसर्स मोतीलाल पेस्टीसाइड, मथुरा	..	..	699	224	46,180	27,800	..
4	मेसर्स स्वरूप केमिकल्स, लखनऊ	..	..	613,5	..	..	..	..
5	मेसर्स पेस्टीसाइड, इन्डिया, आगरा	..	37,400	..	..	..	19,900	..
6	मेसर्स क्राप हेल्थ प्राडक्ट्स, गाजियाबाद	..	..	..	..	4,500	..	300
7	मेसर्स एग्रो इन्डस्ट्रियल केमिकल्स, रुद्रपुर (नैनीताल)		..	61.5	..	700	..	..
8	मेसर्स केमिकल्स एन्ड इन्सेक्ट्रीसाइड, गोरखपुर		0.755	116	..	..	..	..
	योग मूल्य (लाख रुपया)	..	38,155 (10,74)	2955,5 (26,70)	619,5 (11,56)	110,645 (33,01)	97,000 (20,30)	300 (0,09)

कुल योग मूल्य 102.40 लाख।

उत्तर प्रदेश विधान सभा